



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन
31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



उत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 01

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए

छत्तीसगढ़ शासन
वर्ष 2019 का प्रतिवेदन संख्या 01

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कड़िका	पृष्ठ
प्राक्कथन	–	V
कार्यपालिक सारांश	–	Vii
प्रथम अध्याय— राज्य शासन के वित्त		
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	1.1	1
2017–18 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश	1.1.1	1
राजकोषीय स्थिति की समीक्षा	1.1.2	3
बजट अनुभाग तथा वास्तविकतायें	1.1.3	5
जेंडर बजट	1.1.4	6
राज्य के संसाधन	1.2	7
राज्य के वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन	1.2.1	7
राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि हस्तांतरण	1.2.2	8
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	9
राज्य के स्वयं के संसाधन	1.3.1	10
कर के संग्रहण की लागत	1.3.2	11
भारत सरकार से सहायता अनुदान	1.3.3	11
केंद्रीय कर हस्तांतरण	1.3.4	12
राजस्व का कम संग्रहण	1.3.5	12
पूँजीगत प्राप्तियाँ	1.4	13
ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	1.4.1	14
आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ	1.4.2	14
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1.4.3	14
क्षतिपूर्ति उपकर का अनंतिम समायोजन	1.4.4	14
लोक लेखे की शेष राशि	1.5	16
संसाधनों का उपयोग	1.6	16
पूँजीगत व्यय	1.6.1	17
राजस्व व्यय	1.6.2	17
प्रतिबद्ध व्यय	1.6.3	17
व्यय की गुणवत्ता	1.7	19
लोक व्यय की पर्याप्तता	1.7.1	19
व्यय के उपयोग की कुशलता	1.7.2	20
चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय	1.7.3	20
शासकीय व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.8	20
सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय परिणाम	1.8.1	21
अपूर्ण परियोजनाएं	1.8.2	21
निवेश एवं प्रतिफल	1.8.3	22
राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम	1.8.4	22
रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	1.8.5	23
वित्त लेखे एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के रोकड़ शेष निवेश के आंकड़ों में विविधता	1.8.6	24
परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व	1.9	24
परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का वृद्धि तथा घटक	1.9.1	24
राजकोषीय दायित्व	1.9.2	25
आरक्षित निधि के अंतर्गत लेनदेन	1.9.3	26
राज्य आपदा राहत निधि	1.9.4	27
संचित निक्षेप निधि	1.9.5	27
प्रत्याभूति की स्थिति—आकस्मिक दायित्व	1.9.6	28
ऋण प्रबंधन	1.10	29

विवरण	संदर्भ	
	कड़िका	पृष्ठ
ऋण प्रारूप	1.10.1	29
ऋण धारणीयता	1.10.2	29
ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा	1.10.3	30
द्वितीय अध्याय— वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
विनियोग लेखे का सारांश	2.1	31
वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन	2.2	32
पिछले वर्षों (2000-01 से 2017-18) से संबंधित प्रावधानों में अतिरेक व्यय का नियमितीकरण की आवश्यकता	2.2.1	32
सतत् अतिरेक व्यय	2.2.2	32
योजनाओं के तहत अतिरेक व्यय	2.2.3	33
बचत	2.2.4	33
अनुदानों के अंतर्गत सतत् बचत	2.2.5	34
उप शीर्षों के तहत समग्र बजट प्रावधान का उपयोग ही नहीं किया गया	2.2.6	35
अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान	2.2.7	35
उप शीर्षों/योजनाओं के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान	2.2.8	35
निधियों का अतिरेक/ अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.2.9	36
वास्तविक बचत से अधिक समर्पण	2.2.10	36
पूर्वानुमानित बचत का समर्पण नहीं किया जाना	2.2.11	36
व्यय का अतिवेग	2.2.12	36
विनियोग लेखे में भिन्नताओं के कारण प्रदान नहीं किए गए	2.2.13	37
आकस्मिकता निधि से अग्रिम	2.3	37
अनुदान संख्या 71 – इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए बजटीय प्रक्रिया	2.4	38
संचार क्रांति योजना पर व्यय का गलत वर्गीकरण	2.4.1	39
बजट अनुमान एकमुश्त हैं	2.4.2	39
वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन समर्पण	2.4.3	39
तृतीय अध्याय— वित्तीय प्रतिवेदन		
लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.)	3.1	41
संक्षिप्त आकस्मिक देयक एवं विस्तृत आकस्मिक देयक	3.2	42
स्वायत्त निकाय का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण की स्थिति	3.3	43
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब	3.4	43
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभश का घोषित न होना	3.4.1	45
हानि तथा गबन इत्यादि के प्रकरणों का प्रतिवेदन	3.5	45
व्यक्तिगत जमा खाते	3.6	46
व्यक्तिगत जमा खाते में भू-अर्जन की निधि	3.6.1	46
लेखाओं का पूर्णमेलन न किया जाना	3.6.2	47
असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते	3.6.3	47
राशि ₹ 135.67 करोड़ का गलत वर्गीकरण	3.6.4	48
राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का वर्गीकरण	3.7	48
लघु शीर्ष-800 में समायोजन	3.8	49
स्थानीय लेखापरीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष	3.9	50
शासकीय खाते से बाहर धनराशि रखा जाना	3.9.1	50
अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना	3.9.2	50
रोकड़ बही के रखरखाव से संबंधित वित्तीय नियमों का अनुपालन नहीं करना	3.9.3	51
भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर	3.10	52
श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग	3.10.1	52
राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का विभाजन	3.11	53
राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन	3.12	54
राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	3.13	54

परिशिष्ट	विवरण	पृष्ठ
परिशिष्ट 1.1 भाग अ	छत्तीसगढ़ राज्य की रूपरेखा	57
परिशिष्ट 1.1 भाग ब	शासकीय लेखों की संरचना एवं प्रपत्र	58
परिशिष्ट 1.1 भाग स	वित्त लेखों को दो भागों में विभाजित किया गया है।	58
परिशिष्ट 1.2	वित्तीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी जाने वाली विधि राजकोषीय स्थिति के आंकलन हेतु अपनाई गई कार्यविधि	59
परिशिष्ट 1.3 भाग अ	वर्ष 2017-18 के प्राप्ति एवं भुगतान का सार	61
परिशिष्ट 1.3 भाग ब	छत्तीसगढ़ शासन की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति	64
परिशिष्ट 1.4	वर्ष 2017-18 के लिये बजट प्रावधान	65
परिशिष्ट 1.5	वर्ष 2017-18 के दौरान महिलाओं के लिये बजट प्रावधान एवं व्यय	67
परिशिष्ट 1.6	राज्य सरकार के वित्तीय समय श्रृंखला डाटा विश्लेषण	68
परिशिष्ट 2.1	अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय	72
परिशिष्ट 2.2	योजनायें जिनमें 10 करोड़ से अधिक अतिरिक्त व्यय हुए	73
परिशिष्ट 2.3	अनुदान स्तर पर प्रत्येक प्रावधान में ₹100 करोड़ से अधिक की बचत	74
परिशिष्ट 2.4	विनियोगों के अंतर्गत वर्ष के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत	76
परिशिष्ट 2.5	बिना अनुदानों/विनियोगों की सीमा के योजनाओं के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक बचत	78
परिशिष्ट 2.6	वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान ₹ 20 करोड़ से अधिक तथा 10 प्रतिशत से अधिक सतत बचत	80
परिशिष्ट 2.7	योजनाएँ जिनमें ₹ 10 करोड़ से अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा	82
परिशिष्ट 2.8	प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ या उससे अधिक अनुपूरक प्रावधान, जो अनुदान के अंतर्गत अनवाश्यक सिद्ध हुए	84
परिशिष्ट 2.9	अनुदानों के अंतर्गत अतिरिक्त अनुपूरक प्रावधान	86
परिशिष्ट 2.10	उप-शीर्षों के अंतर्गत अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान	87
परिशिष्ट 2.11	उप-शीर्षों के अंतर्गत अतिरिक्त अनुपूरक प्रावधान	89
परिशिष्ट 2.12	उप-शीर्षों के अंतर्गत अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान	91
परिशिष्ट 2.13	अत्याधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त निधियों का पुर्नविनियोजन (जहाँ आधिक्य/बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक हो)	92
परिशिष्ट 2.14	वास्तविक बचत से अधिक समर्पण	93
परिशिष्ट 2.15	बचत (₹ एक करोड़ से अधिक) घटित हुई परन्तु राशि समर्पण का हिस्सा नहीं है	94
परिशिष्ट 2.16	समर्पण नहीं किये गये ₹ एक करोड़ एवं उससे अधिक का बचत	95
परिशिष्ट 2.17	वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय की अतिवेग	96
परिशिष्ट 3.1	बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मुख्य शीर्ष वार स्थिति	97
परिशिष्ट 3.2	31 जनवरी 2019 तक की लंबित वि.आ. देयकों का वितरण	97
परिशिष्ट 3.3	31 दिसम्बर 2018 तक राज्य शासन के द्वारा बकाया लेखे वाले सा.क्षे. उपक्रमों में निवेश	98
परिशिष्ट 3.4	चोरी, गबन एवं शासकीय सम्पत्ति/सामग्री के कमी के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण	99
परिशिष्ट 3.5	31 मार्च 2018 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरण	100
परिशिष्ट 3.6	वर्ष 2017-18 के दौरान सूचित किये गये हानि प्रकरणों में वसूली	102

परिशिष्ट	विवरण	पृष्ठ
परिशिष्ट 3.7	व्यक्तिगत जमाखातों में भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि	103
परिशिष्ट 3.8	मार्च 2018 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरित राशि का विवरण	104
परिशिष्ट 3.9	पूँजीगत के अंतर्गत बजट राजस्व प्रकृति के व्यय का विवरण	104
परिशिष्ट 3.10	वर्ष 2017-18 के दौरान लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्ति में दर्ज का विवरण	105
परिशिष्ट 3.11	वर्ष 2017-18 में लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत अन्य व्यय के तहत आरक्षित विवरण	106
परिशिष्ट 3.12	अस्थाई अग्रिम की स्थिति	107
परिशिष्ट 3.13	रोकड़ पुस्तिका का अनियमित संधारण	108

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन (छ.ग.) के वित्त पर प्रस्तुत इस प्रतिवेदन का प्रयोजन 2017-18 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का मूल्यांकन करने और राज्य विधान सभा को वित्तीय आंकड़ों के लेखापरीक्षा विश्लेषण पर आधारित जानकारी प्रदान करता है। यह प्रतिवेदन छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम (संशोधित), 2017 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों, चौदहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन तथा वर्ष 2017-18 के बजट अनुमानों के विरुद्ध वित्तीय निष्पादन का विश्लेषण करने का प्रयास है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

आध्याय-1 वित्त लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2018 को छत्तीसगढ़ सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करती है। यह ब्याज भुगतान, वेतन व मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी एवं ऋणों के पुर्नभुगतान पर व्यय और लिये गये उधार के स्वरूप की प्रवृत्तियों की अंतर्दृष्टि प्रस्तुत करता है।

आध्याय-2 विनियोजन लेखाओं की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोजनों एवं रीति, जिसमें आबंटित संसाधनों का सेवा प्रदाता विभाग द्वारा प्रबंधन किया गया, का अनुदानवार व्याख्या प्रस्तुत करता है।

आध्याय-3 विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमावलियों के छत्तीसगढ़ सरकार के अनुपालन की सूची है।

लेखापरीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गये लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।

कार्यपालिक सारांश

कार्यपालिक सारांश

राज्य की राजकोषीय स्थिति

मुद्रास्फीति को लेखांकित करने के पश्चात् भी वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक राजस्व प्राप्तियाँ, राजस्व व्यय तथा पूँजीगत व्यय में वृद्धि हुई है। यद्यपि वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ और पूँजीगत व्यय, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में मामूली कम हुआ, जहाँ पर उसी वर्ष राजस्व व्यय मुद्रास्फीति को लेखांकित करने के पश्चात् भी बढ़ा।

कड़िका 1.1.1

राज्य ने बजट अनुमान 2017-18 और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राजकोषीय घाटा और सकल राज्य घरेलू उत्पाद से बकाया ऋण का अनुपात, के लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। यद्यपि, सकल राज्य घरेलू उत्पाद से कुल बकाया ऋण का अनुपात (18.14 प्रतिशत) 14^{वें} वित्त आयोग की सीमा (17.05 प्रतिशत) से ज्यादा था, जो राज्य शासन का छत्तीसगढ़ विकास ऋण के तहत बाजार ऋण ₹ 8,100 करोड़ लेने के कारण हुआ।

कड़िका 1.1.2

छत्तीसगढ़ शासन का प्राथमिक घाटा वर्ष 2013-18 के दौरान ₹ 1,361 करोड़ और ₹ 6,281 करोड़ के बीच रहा, जो इंगित करता है कि गैर-ऋण प्राप्तियाँ राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी।

कड़िका 1.1.2.2

संसाधन गतिशीलता

राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 59,647 करोड़) पिछले वर्ष (₹ 53,685 करोड़) से ₹ 5,962 करोड़ (11.11 प्रतिशत) बढ़ी जो बजट अनुमानों (₹ 66,094 करोड़) से 9.75 प्रतिशत कम था।

राजस्व व्यय (₹ 56,230 करोड़) वर्ष 2016-17 के मुकाबले ₹ 8,065 करोड़ (16.74 प्रतिशत) तक बढ़ा जो बजट अनुमान (₹ 61,313 करोड़) से 8.29 प्रतिशत कम था।

पूँजीगत व्यय (₹ 10,001 करोड़) वर्ष 2016-17 के मुकाबले ₹ 530 करोड़ (5.60 प्रतिशत) तक बढ़ा जो बजट अनुमान (₹ 14,454 करोड़) से 30.81 प्रतिशत कम था।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच लगातार अन्तर कम हो।

कड़िका 1.1.3, 1.2.1, 1.3, 1.6.1 एवं 1.6.2

महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा और अनुशंसाओं का सारांश:

जेंडर बजट

महिलाओं के केंद्रित कार्यों के लिए विशेष रूप से 28 योजनाओं के लिए ₹ 4,904 करोड़ रुपये के बजट प्रावधानों में से केवल ₹ 4,003 करोड़ (81.61 प्रतिशत) खर्च किए गए थे।

अनुशंसा: वित्त विभाग को विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करके समय-समय पर सभी जेंडर बजट योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि महिलाओं से संबंधित कार्यों हेतु प्रावधान का पूर्णतः उपयोग किया जा सकें और वास्तविक खर्च की जाँच के लिए अलग उप-शीर्ष और उद्देश्य-शीर्ष भी खोलना चाहिए।

कड़िका 1.1.4

क्षतिपूर्ति उपकर का अनंतिम समायोजन

भारत सरकार से प्राप्त होने वाली वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) क्षतिपूर्ति की राशि ₹ 113.43 करोड़ में से ₹ 106 करोड़ वास्तव में प्राप्त हुआ, परिणामस्वरूप ₹ 7.43 करोड़ राज्य शासन को कम हस्तांतरित हुआ।

₹ 322 करोड़ का अग्रिम भुगतान माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2017 के लिये राज्यों को देय क्षतिपूर्ति से किया गया, उस समयावधि के दौरान ₹ 322 करोड़ की राजस्व प्राप्ति के रूप में जोड़ना, स्वीकृति आदेश के अनुसार अनियमित है।

अनुशंसा: सरकार को भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की शेष राशि वापसी के लिए कार्य करना चाहिए।

कड़िका 1.4.4.1 एवं 1.4.4.2

नवीन पेंशन योजना

मार्च 2006 से नवीन पेंशन योजना में योगदान के साथ दिसम्बर 2004 से फरवरी 2006 तक बकाया अंशदान की कटौती की गई है। वर्ष 2006-18 के दौरान कर्मचारियों के अंशदान ₹ 1,697.89 करोड़ के सापेक्ष, राज्य शासन ₹ 1,688.26 करोड़ बकाया जमा किया जो कि ₹ 9.63 करोड़ कम था।

दिनांक 31 मार्च 2018, की स्थिति में ₹ 14.51 करोड़ लोक लेखे से एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक, में स्थानांतरित के लिए बकाया थे। ₹ 9.63 करोड़ का संक्षिप्त योगदान और ₹ 14.51 करोड़ गैर हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राज्य शासन को ₹ 24.14 करोड़ की देयता की अनावश्यक सृजन हुई।

अनुशंसा: राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोक्ता के हिस्से के साथ कर्मचारियों को योगदान तुरंत एन.एस.डी.एल. में स्थानांतरित कर दिया जाए।

कड़िका 1.6.3

लोक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2017-18 के दौरान सकल व्यय से विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र पर व्यय और शिक्षा क्षेत्र पर व्यय, पूँजीगत व्यय और स्वास्थ्य क्षेत्रों पर व्यय का अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से ज्यादा था।

कड़िका 1.7.1

अपूर्ण परियोजनायें

लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विभाग में 110 अपूर्ण परियोजनाओं (अनुमानित लागत ₹ 3,712.38 करोड़) में से आज तक, 42 परियोजनाओं में ₹ 2,843.25 करोड़ लागत से अधिक थे (जहाँ लागत को संशोधित किया गया) चूँकि राज्य शासन ने 68 अपूर्ण परियोजनाओं में लागत मूल्यांकन नहीं किया है, राज्य शासन द्वारा किये जाने वाले व्यय की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका।

अनुशंसा: लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग सभी अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और परियोजनाओं को समय पर पूरा होने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकते हैं।

कड़िका 1.8.2

निवेश, ऋण व अग्रिमों पर प्रतिफल

वर्ष 2013-18 के दौरान राज्य शासन ने सरकार के लिए गये उधार लागत और निवेश पर प्रतिफल के बीच अन्तर के कारण ₹ 1,477.23 करोड़ का अनुमानित नुकसान वहन किया।

यह भी कि, विगत पाँच वर्षों में राज्य शासन ने सरकार के लिए गये उधार और दिये गये ऋण के बीच के अन्तर के कारण ₹ 33.81 करोड़ का अनुमानित नुकसान वहन किया।

अनुशंसा: राज्य सरकार को उन कंपनियों/निगमों/बैंक में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए जिनके वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधारी लागत को भी पूरा नहीं करते हैं। इसी तरह राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ब्याज दरों के बराबर या उससे अधिक ब्याज

दरों पर ऋण विभिन्न संस्थाओं के लिए उचित हो, जो कि सरकार उधार निधियाँ पर भुगतान करती है।

कांडिका 1.8.3 एवं 1.8.4

राज्य आपदा राहत निधि (रा.आ.रा.नि.)

मार्च 2018 तक रा.आ.रा.नि. में ₹ 175.55 करोड़ का अंतिम शेष था। राज्य शासन को ओवरड्राफ्ट ब्याज दरों के आधार पर विनिवेश किए गए शेषों (₹ 693.20 करोड़) पर ब्याज भुगतान करना था। हालांकि, निधि के निर्माण के बाद से शासन ने राज्य आपदा राहत निधि को कोई ब्याज नहीं दिया। वर्ष 2010-18 की अवधि के लिए लागू दरों पर ब्याज ₹ 281.88 करोड़ का आंकलन किया गया है। इनमें से, सिर्फ वर्ष 2017-18 के लिए न चुकाया हुआ ब्याज ₹ 56.01 करोड़ था, जिसके कारण राजस्व आधिक्य को अधिक एवं राजकोषीय घाटे को कम दर्शाया गया।

अनुशंसा: राज्य सरकार को दिशानिर्देशों के अनुसार इस निधि के तहत शेष का निवेश करना चाहिए।

कांडिका 1.9.4

संचित निक्षेप निधि

वर्ष 2017-18 के दौरान वर्ष के शुरुआत में छत्तीसगढ़ शासन को न्यूनतम ₹ 217.15 करोड़ (प्रारंभिक वर्ष में बकाया दायित्व ₹ 43,430.86 करोड़ का 0.50 प्रतिशत) वार्षिक अंशदान, निधि में स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी, इसके बदले छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 200 करोड़ हस्तांतरण किया। राज्य शासन द्वारा ₹ 17.15 करोड़ का कम योगदान दिया गया, परिणामस्वरूप राजस्व आधिक्य अधिक और राजकोषीय घाटा कम दर्शाया गया।

अनुशंसा: छत्तीसगढ़ शासन को 12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार जरूरत राशि के ऋण मुक्ति हेतु संचित निक्षेप निधि में स्थानांतरित करना चाहिये।

कांडिका 1.9.5

प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन को वर्ष के शुरुआत में बकाया प्रतिभूति के 0.50 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान के साथ एक प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करने की आवश्यकता थी। तदनुसार राज्य शासन को प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करने की आवश्यकता थी एवं वर्ष 2005-06 से 2017-18 के दौरान ₹ 132.51 करोड़ की स्थानांतरण करनी थी, जिसमें से ₹ 19.91 करोड़ केवल वर्ष 2017-18 संबंधित है। यद्यपि, राज्य शासन ने प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया। परिणामस्वरूप, राज्य शासन का दायित्व ₹ 132.51 करोड़ बढ़ गया और महत्वपूर्ण वर्षों में और राजस्व आधिक्य को अधिक तथा राजकोषीय घाटे को कम दर्शाया गया।

अनुशंसा: राज्य शासन को 12^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार प्रत्याभूति की जोखिम का मूल्यांकन करने के बाद प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करना चाहिए एवं निधि की ओर योगदान की मात्रा तय करनी चाहिए।

कांडिका 1.9.6

आफ बजट दायित्व

छत्तीसगढ़ शासन ने, छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल और छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड के ऋण के भुगतान की राशि ₹ 631.17 करोड़ का दायित्व कम दिखाया।

अनुशंसा: कर्ज की प्रभावी देनदारी छत्तीसगढ़ शासन के लेखा में दर्शित होना चाहिए।

कांडिका 1.9.6.1

वित्तीय वर्ष के अंतिम दिवस पर समर्पण

वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बचत ₹ 18,888.71 करोड़ रहा, जिसमें से ₹ 5,008.39 करोड़ (कुल बचत का 26.52 प्रतिशत) कालातीत हो गया। 31 मार्च 2018 को शेष बचत ₹ 13,878.32 करोड़ में से ₹ 13,838.17 करोड़ समर्पित किया गया, जिससे अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग का कोई संभावना नहीं रह गया।

अनुशंसा: सभी पूर्वानुमानित बचतों को समर्पण समय पर किया जाना चाहिए ताकि निधियों का उपयोग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

कॉडिका 2.1

अतिरिक्त व्यय को नियमित करने की आवश्यकता

वर्ष 2000-01 से 2017-18 के लिए प्रावधानों पर ₹ 3,260.16 करोड़ का अतिरिक्त व्यय को, जैसे कि भारत के संविधान के अनुसार जरूरत है, राज्य सरकार, राज्य विधान मंडल द्वारा नियमित कराने में विफल रहा है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को अतिरिक्त व्यय के सभी मौजूदा मामलों को अति शीघ्र नियमित करने की आवश्यकता है और भविष्य में अत्यन्त एवं चरम आपात स्थिति के मामले, जिसका व्यय केवल आकस्मिक निधि से पूरा किया जा सके को छोड़कर इस तरह के व्यय को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए। जो विभागीय अधिकारी विधान मंडल के अनुमति से ज्यादा खर्च करते हैं उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करनी चाहिए।

कॉडिका 2.2.1

बचत

कुल बचत ₹ 18,888.71 करोड़ के विरुद्ध 39 अनुदानों और दो विनियोग में ₹ 100 करोड़ या उससे अधिक तथा कुल प्रावधान का दस प्रतिशत से अधिक, ₹ 17,075.65 करोड़ (कुल बचत का 90.41 प्रतिशत) का बचत हुआ। कुल ₹ 18,886.70 करोड़ की कुल बचत में से, ₹ 3,191.61 करोड़ की बचत के कारणों को विनियोग खातों में उचित रूप से नहीं बताया गया है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान 24 अनुदानों एवं तिन विनियोग के अंतर्गत 29 प्रकरणों में, प्रत्येक प्रकरण में ₹ 20 करोड़ से अधिक की सतत् बचत थी। चार प्रकरणों के प्रत्येक प्रावधान में 30 प्रतिशत से अधिक की सतत् बचत हुई थी।

अनुशंसा: वित्त विभाग को मासिक व्यय की ज्यादा कारगर समीक्षा करनी चाहिए ताकि सभी अनुमानित बचत का समर्पण समय पर हो सके।

कॉडिका 2.2.4, 2.2.5 एवं 2.2.13

व्यय की अतिवेग

वर्ष 2017-18 की अंतिम तिमाही के दौरान 28 मुख्य शीर्षों में ₹ 3,020.05 करोड़ का व्यय हुआ, जो कि इन शीर्षों के तहत कुल व्यय ₹ 4,574.82 करोड़ का 66.01 प्रतिशत है। इसका कुल व्यय ₹ 1,951.48 करोड़ (कुल व्यय का 42.66 प्रतिशत) वर्ष 2018 के मार्च माह में हुआ जो कि बजट मैनुअल के प्रावधानों के विपरीत है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान व्यय के अतिवेग को नियंत्रित करना चाहिए।

कॉडिका 2.2.12

आकस्मिकता निधि से अग्रिम

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 के दौरान आकस्मिकता निधि से नौ प्रकरणों में ₹ 13.74 करोड़ आहरित किया गया जो कि न ही अप्रत्याशित और आकस्मिक प्रकृति की थी।

अनुशंसा: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिक और अप्रत्याशित प्रकृति के व्यय को पूरा करने के अलावा आकस्मिक निधि से कोई भी अग्रिम आहरित न की जाये, जैसा कि भारत के संविधान में निहित है।

कड़िका 2.3

लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.)

दिनांक 31 मार्च 2018 तक कुल ₹ 2,413.40 करोड़ की कुल लागत 317 उ.प्र. पत्र बकाया थी, जिसमें विभिन्न विभागों में प्राप्त सहायता अनुदान के विरुद्ध 31 जनवरी 2019 तक ₹ 628.48 करोड़ के 100 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।

अनुशंसा: वित्त विभाग को एक समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके अंदर प्रशासनिक विभाग, जिन्होंने अनुदान जारी किया है, अनुदान आदेश में तय समयसीमा से परे लंबित सभी उ.प्र.प. प्राप्त करें और यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त अवधि के दौरान प्रशासनिक विभाग कोई अन्य दोषी अनुदानग्राही को जारी न करें। सरकार को वैसे अधिकारी जो समय के अंदर उ.प्र.प. जमा नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

कड़िका 3.1

संक्षिप्त आकस्मिक देयक एवं विस्तृत आकस्मिक देयक

दिनांक 31 जनवरी 2019 को, कुल लंबित 47 विस्तृत आकस्मिक देयक की राशि ₹ 115.15 करोड़ थी।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि में सं. आ. देयकों का समायोजन करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि इस निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो।

कड़िका 3.2

स्वायत्त निकाय का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण की स्थिति

छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला कानूनी सेवाएं अभिकरण और कैम्पा निधि छत्तीसगढ़ ने 06 माह से 30 माह की विलंब से लेखे प्रस्तुत किये जबकि छत्तीसगढ़ राज्य आवास मंडल ने 2011-12 से लेखे प्रस्तुत नहीं किये हैं।

अनुशंसा: प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वायत्त निकाय लेखापरीक्षा को लेखे समय से प्रस्तुत करें।

कड़िका 3.3

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

कुल 13 कार्यशील सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के 19 लेखें 1 से 4 वर्षों तक लंबित थे। राज्य सरकार वर्ष 2017-18 तक दस कार्यशील सा.क्षे.उ. को ₹ 9,463.02 करोड़ का बजटीय समर्थन प्रत्याभूति: ₹ 2,920.30 करोड़ (तीन सा.क्षे.उ.), अनुदान: ₹ 1,697.08 करोड़ (छ: सा.क्षे.उ.) तथा अन्य सब्सिडी एवं राजस्व अनुदान: ₹ 4,845.64 करोड़ (आठ सा.क्षे.उ.) प्रदान किया गया। गैर-अकार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों को कोई बजटीय सहायता नहीं दी गई है। लेखाओं का निस्तारण न होने के कारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखपरीक्षक, चार वर्षों की अवधि तक कम्पनियों की पूरक लेखापरीक्षा करने में असमर्थ रहे, जैसा कम्पनी अधिनियम द्वारा निर्धारित है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी सा.क्षे. उपक्रमों के प्रकरणों (जिसके लेखे बकाया हैं) की समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि तर्क संगत अवधि के अंदर लेखे अद्यतन हो और उस सभी प्रकरणों में वित्तीय समर्थन अवरुद्ध करना चाहिए जहां लेखे लगातार बकाया है।

कड़िका 3.4

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभंश का घोषित न होना

राज्य सरकार ने कोई लाभंश नीति तैयार नहीं किया है जिसके अंतर्गत सा.क्षे.उ. को सरकार द्वारा अंशदानीत प्रदत्त शेयर पूँजी पर एक न्यूनतम प्रतिफल भुगतान करना आवश्यक हो। उनके नवीनतम लेखे अनुसार, 10 सा.क्षे.उ. ने ₹ 6,636.17 करोड़ की सरकारी इक्विटी वाले ₹ 104.04 करोड़ समग्र लाभ अर्जित किया। केवल दो सा.क्षे. उपक्रमों अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और राज्य भंडारण निगम ने क्रमशः ₹ 1.60 करोड़ और ₹ 0.81 करोड़ का लाभंश प्रस्तावित किया।

अनुशंसा: राज्य सरकार का शेयर पूँजी निवेश पर प्राप्त वापसी के लिए नीति तैयार करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि लाभंश अर्जित करने वाले सा.क्षे. उपक्रमों नीति के अधीन लाभंश घोषित करें।

कांडिका 3.4.1

हानि तथा गबन इत्यादि के प्रकरणों का प्रतिवेदन

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में मार्च 2018 के अंत तक निर्णायक जांच और निपटान के लिए ₹ 125.29 करोड़ की राशि लंबित थी।

अनुशंसा: राज्य सरकार को विभागीय कार्यवाही में तेजी लानी चाहिए, तथा ऐसे प्रकरणों के पुर्नवृत्ति को रोकने/घटाने हेतु आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ करना चाहिये।

कांडिका 3.5

व्यक्तिगत जमा खाते

छत्तीसगढ़ में मार्च 2018 तक, 263 व्यक्तिगत जमा खातों में ₹ 1,757 करोड़ पड़े रहें जिसमें से 1,459.13 करोड़ भूमि अधिग्रहण और 135.67 करोड़ शिक्षा एवं वन जमा से संबंधित था और 8443-106 में दर्ज हुआ जो कि शीर्षों का अवर्गीकरण हुआ।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करने की आवश्यकता है तथा इस खाते में अनावश्यक पड़े हुए राशि शीघ्र ही संचित निधि में जमा करना सुनिश्चित करें और निधियों का उपयुक्त शीर्ष में वर्गीकरण हेतु निर्देशित करें।

कांडिका 3.6

लघु शीर्ष-800 में समायोजन

राजस्व प्राप्ति तथा व्यय में 2,522.98 करोड़ (46 मुख्य शीर्षों) और 1,579.97 करोड़ (46 मुख्य शीर्षों) वास्तविक शीर्षों के वर्गीकरण के बिना लघु शीर्ष-800 में दर्ज किया गया।

अनुशंसा: वित्तीय विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ विचार विमर्श करके लघु शीर्ष-800 में प्रदर्शित होने वाले सभी का विस्तृत अवलोकन करे एवं यह सुनिश्चित करे कि ऐसी सभी प्राप्तियाँ तथा व्यय भविष्य में उपर्युक्त लेखा शीर्ष में दर्ज हों।

कांडिका 3.8

अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

31 मार्च 2018 की स्थिति में विभिन्न विभागों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष या आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान समायोजन प्रमाणक के गैर संग्रहण के कारण ₹ 22.66 करोड़ अग्रिम के 1,922 मामलों समायोजन के लिए लंबित थे।

अनुशंसा: अस्थायी अग्रिम के यथासमय समायोजन के लिए शासन को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

कांडिका 3.9.2

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

मण्डल द्वारा उपलब्ध धन का केवल 42 प्रतिशत का उपयोग कर सका और 2017-18 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत केवल 34 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार, ₹ 279.69 करोड़ उपलब्ध धनराशि का उपयोग नहीं होने के कारण, पंजीकृत श्रमिक विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने से वंचित हो गये। छत्तीसगढ़ में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि से वर्ष 2017-18 के दौरान 42 प्रतिशत निधि का उपयोग हुआ जो कि मध्य प्रदेश (14 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (7 प्रतिशत) और बिहार (5 प्रतिशत) से अधिक रहा। यह भी कि 34 प्रतिशत श्रमिकों को लाभान्वित किया गया जो मध्यप्रदेश (19 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (8 प्रतिशत) और बिहार (11 प्रतिशत) से अधिक है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल में पंजीकृत कर्मकार के लिए कार्यान्वित कल्याण योजनाओं पर अधिकतम राशि उपयोग में लाना सुनिश्चित करना चाहिए।

कांडिका 3.10

राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का विभाजन

नवम्बर 2000 में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशक बाद अनुवर्ती राज्यों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच लोक लेखा शीर्षों के अंतर्गत राशि ₹ 118.28 करोड़, पूँजीगत शीर्षों के अंतर्गत, ₹ 5,750.38 करोड़ तथा ऋण और अग्रिम के अंतर्गत ₹ 1,297.35 करोड़ राशि का संविभाजन किया जाना शेष है।

अनुशंसा: दोनो अनुवर्ती राज्यों के बीच लोक लेखा, पूँजीगत लेखा जमा एवं अग्रिम की शेष राशि के बंटवारे की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए राज्य शासन को मध्य प्रदेश के साथ संपर्क करना चाहिए।

कांडिका 3.11

राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

वित्त लेखे के अनुसार, व्यय तथा राजस्व में गलत प्रविष्टि/लेखन के कारण राजस्व आधिक्य में ₹ 2,429.00 करोड़ के अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटा में ₹ 66.46 करोड़ के न्यूनोक्ति हुई।

कांडिका 3.13

प्रथम अध्याय
राज्य शासन के वित्त

प्रथम अध्याय

राज्य शासन के वित्त

छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य

यह अध्याय वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य सरकार के वित्त पर लेखापरीक्षा परिदृश्य प्रस्तुत करता है तथा पिछले पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2016-17 के सापेक्ष मुख्य राजकोषीय संचय में परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

विश्लेषण छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त लेखे में निहित विवरणों पर आधारित है। राज्य की पार्श्व दृश्य परिशिष्ट 1.1 (भाग-अ) में दी गई है।

1.1 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.)¹

वर्तमान मूल्यों तथा स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.1 में दर्शायी गई है।

तालिका 1.1- भारत का सकल घरेलू उत्पाद तथा राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्रचलित भाव पर भारत का स.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,12,33,522	1,24,67,959	1,37,64,037	1,52,53,714	1,67,73,145
प्रचलित भाव पर भारत का स.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	12.97	10.99	10.40	10.82	9.96
प्रचलित भाव पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	2,06,833	2,21,142	2,34,212	2,62,263	2,91,681
प्रचलित भाव पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	16.52	6.92	5.91	11.98	11.22
स्थिर भाव पर राज्य का स.रा.घ.उ. (₹ करोड़ में)	1,82,579	1,85,882	1,97,069	2,13,649	2,27,866
स्थिर भाव पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.00	1.81	6.02	8.41	6.65

(स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट)

वर्ष 2017-18 में राज्य का प्रतिव्यक्ति स.रा.घ.उ. (₹ 1,10,628), भारत के प्रतिव्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (₹ 1,29,800) से कम था। यद्यपि, पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश (₹ 88,817), झारखंड (₹ 74,390) और उत्तरप्रदेश (₹ 61,558) से अच्छा था।

सरकारी लेखाओं के संरचना की व्याख्या परिशिष्ट 1.1 के भाग-ब में तथा वित्त लेखाओं का अभिन्यास भाग-ग में चित्रित किया गया है।

1.1.1 वर्ष 2017-18 में राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

राज्य की वित्तीय स्थिति के आकलन के लिए अपनाई गई पद्धति परिशिष्ट 1.2 में दी गई है।

तालिका 1.2 एवं 1.3 वर्ष 2013-18 के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देनों का सारांश प्रस्तुत करती है। परिशिष्ट 1.3 (भाग अ और ब) वर्ष 2017-18 के दौरान प्राप्तियों और संवितरण के साथ-साथ समग्र वित्तीय स्थिति का एक सार प्रदान करता है।

¹ स.घ.उ. एवं स.रा.घ.उ. क्रमशः देश एवं राज्य के भीतर एक तय समय में उत्पादित सभी अधिकृत मान्यता प्राप्त तैयार पूर्ण सामग्रियों एवं सेवाओं के बाजार मूल्य है और देश एवं राज्य की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण संकेतक है।

तालिका 1.2: प्राप्तियों का सारांश

(₹ करोड़ में)

भाग-अ- राजस्व	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	वर्ष 2017-18 में 2016-17 की तुलना में प्रतिशत में बढ़ोतरी
राजस्व प्राप्तियाँ	32,050.26	37,988.01	46,067.71	53,685.25	59,647.07	11.11
स्वयं के कर राजस्व	14,342.71	15,707.26	17,074.86	18,945.21	19,894.68	5.01
कर भिन्न राजस्व	5,101.17	4,929.91	5,214.79	5,669.25	6,340.42	11.84
राज्य के स्वयं की प्राप्तियाँ	19,443.88	20,637.17	22,289.65	24,614.46	26,235.10	6.58
संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा	7,880.22	8,363.03	15,716.67	18,809.16	20,754.81	10.34
भारत सरकार का अनुदान	4,726.16	8,987.81	8,061.59	10,261.63	12,657.16	23.34
भाग-ब- पूँजीगत एवं अन्य						
विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	7.64	3.03	2.84	2.37	3.32	40.08
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	1,637.27	194.86	296.39	172.99	138.59	(-)19.89
अंतर्राज्यीय समायोजन	5.14	0.91	0.52	0.38	1.24	226.32
लोक ऋण प्राप्तियाँ	3,931.89	6,439.67	7,251.15	5,479.93	9,652.44	76.14
आकस्मिकता निधि	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
लोक लेखा प्राप्तियाँ	45,867.54	51,321.89	55,059.09	62,693.95	72,057.56	14.94
प्रारंभिक रोकड़ शेष	2,116.94	2,735.29	1,218.38	2,833.72	4,658.85	64.41
योग	85,616.68	98,683.66	1,09,896.08	1,24,928.59	1,46,159.07	16.99

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 में, वस्तु एवं सेवा कर के लागू होने से संघीय करों/शुल्कों का हिस्सा (10.34 प्रतिशत) राज्य की स्वयं की प्राप्तियाँ (6.58 प्रतिशत) की तुलना में ज्यादा तेजी से वृद्धि की।

तालिका 1.3: व्यय का सारांश

(₹ करोड़ में)

भाग-अ- राजस्व	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	वर्ष 2017-18 में 2016-17 की तुलना में प्रतिशत में बढ़ोतरी
राजस्व व्यय	32,859.57	39,561.29	43,701.06	48,164.60	56,229.75	16.74
सामान्य सेवायें	7,851.15	9,041.58	10,408.76	11,496.23	12,870.41	11.95
समाजिक सुरक्षा	14,282.10	15,388.85	16,339.35	21,341.61	24,371.59	14.20
आर्थिक सेवायें	9,755.93	14,152.22	16,052.54	14,176.21	17,623.09	24.31
सहायता अनुदान/ अंशदान	970.39	978.64	900.41	1,150.55	1,364.66	18.61
भाग-ब- पूँजीगत एवं अन्य						
पूँजीगत व्यय	4,574.19	6,544.25	7,945.01	9,470.51	10,000.96	5.60
संवितरित ऋण तथा आग्रिम	1,318.53	88.32	164.73	272.71	368.76	35.22
अंतर्राज्यीय समायोजन	5.30	1.22	0.49	0.44	1.07	143.18
लोक ऋण की अदायगी	689.65	1,336.73	1,250.18	1,152.63	999.88	(-) 13.25
आकस्मिकता निधि का विनियम	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
लोक लेखा संवितरण	43,434.15	49,933.47	54,000.89	61,148.85	71,753.74	17.34
अंतिम रोकड़ शेष	2,735.29	1,218.38	2,833.72	4,658.85	6,804.91	46.06
योग	85,616.68	98,683.66	1,09,896.08	1,24,928.59	1,46,159.07	16.99

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ (रा.प्रा.)/राजस्व व्यय (रा.व्य.)/पूँजीगत व्यय (पूँ.व्य.) की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.4 में प्रस्तुत किये गये हैं।

तालिका 1.4: स.रा.घ.उ. के सापेक्ष रा.प्रा./रा.व्य./पूँ.व्य. की प्रवृत्तियाँ

(₹ करोड़ में)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	औसत
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियाँ						
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	32,050	37,988	46,068	53,685	59,647	
वर्तमान मूल्यों पर रा.प्रा.की वृद्धि दर (प्रतिशत)	8.36	18.53	21.27	16.53	11.11	15.16
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. (₹ करोड़ में)	28,292	31,931	38,762	43,734	46,597	
स्थिर मूल्यों पर रा.प्रा. की वृद्धि दर	2.30	12.86	21.39	12.83	6.55	11.19
रा.प्रा./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	15.50	17.18	19.67	20.47	20.45	18.65
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राजस्व व्यय						
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. (₹ करोड़ में)	32,859	39,561	43,701	48,165	56,230	
वर्तमान मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	21.83	20.40	10.46	10.21	16.74	15.93
स्थिर मूल्यों पर रा.व्य. (₹ करोड़ में)	29,006	33,253	36,771	39,237	43,928	
स्थिर मूल्यों पर रा.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	15.01	14.64	10.58	6.71	11.96	11.78
रा.व्य./स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	15.89	17.89	18.66	18.37	19.28	18.02
स.रा.घ.उ. के सापेक्ष पूँजीगत व्यय						
वर्तमान मूल्यों पर पूँ.व्य. (₹ करोड़ में)	4,574	6,544	7,945	9,471	10,001	
वर्तमान मूल्यों पर पूँ.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)7.01	43.07	21.41	19.21	5.60	16.46
स्थिर मूल्यों पर पूँ.व्य. (₹ करोड़ में)	4,038	5,501	6,685	7,715	7,813	
स्थिर मूल्यों पर पूँ.व्य. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	(-)12.21	36.23	21.53	15.41	1.26	12.44
पूँ.व्य./ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत)	2.21	2.96	3.39	3.61	3.43	3.12

जैसा की उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, मुद्रास्फीति को लेखांकित करने के पश्चात् भी वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक रा.प्रा., रा.व्य. तथा पूँ.व्य. में वृद्धि हुई है। यद्यपि वर्ष 2017-18 के दौरान 2016-17 की तुलना में रा.प्रा. और पूँ.व्य. स.रा.घ.उ. के प्रतिशत में मामूली कम हुआ, जहाँ पर उसी वर्ष रा.व्य. मुद्रास्फीति को लेखांकित करने के पश्चात् भी बढ़ा।

वर्ष 2016-17 की तुलना में राजस्व व्यय ₹ 48,165 करोड़ से वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 56,230 करोड़ मुख्य रूप से आवास (₹ 2,014 करोड़), फसल कृषि कर्म (₹ 1,714 करोड़) और पॉवर (₹ 1,590 करोड़) में बढ़ोत्तरी (₹ 8,065 करोड़) की वजह से हुआ।

वर्ष 2016-17 में पूँजीगत व्यय ₹ 9,471 करोड़ से बढ़कर (₹ 530 करोड़) वर्ष 2017-18 में ₹ 10,001 करोड़ हो गया। वर्ष 2016-17 की तुलना में पूँजीगत व्यय स.रा.घ.उ. के अनुपात (19.21 प्रतिशत) की कमी (5.60 प्रतिशत) मुख्य रूप से पूँजीगत व्यय में पॉवर (₹ 446 करोड़) और लघु सिंचाई (₹ 261 करोड़) में कमी के कारण हुआ।

1.1.2 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

14^{वें} वित्त आयोग की अनुशंसा और राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधानसभा में प्रस्तुत मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के आधार पर बजट में उपबंधित लक्षित मुख्य अवयवों के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य का प्रदर्शन तालिका 1.5 में दिया गया है।

वर्ष 2017-18 के लिए मुख्य राजकोषीय पूर्वानुमान, जैसा कि राज्य के राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम 14^{वें} वित्त आयोग तथा बजट दस्तावेज में निर्धारित है तालिका 1.5 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 1.5: मुख्य राजकोषीय अवयव

राजकोषीय अवयव	2017-18			
	14 ^{वें} वित्त आयोग का लक्ष्य	एफ.आर.बी.एम अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य	बजट के अनुसार लक्ष्य	वास्तविक
राजस्व घाटा (-)/राजस्व आधिक्य (+)	राजस्व आधिक्य	आधिक्य ₹ 4,780.97 करोड़	आधिक्य ₹ 4,780.97 करोड़	आधिक्य ₹ 3,417.32 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 1.17 प्रतिशत)
राजकोषीय घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3.50 प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना	सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अधिकतम 3.50 प्रतिशत राजकोषीय घाटा बनाये रखना (₹ 9,646.64 करोड़)	₹ 9,646.64 करोड़	₹ 6,810.32 करोड़ (स.रा.घ.उ. का 2.33 प्रतिशत)
स.रा.घ.उ. से सरकार के कुल बकाया ऋण का अनुपात (प्रतिशत में)	17.05	18.47	19.87	18.14

राजकोषीय घाटा (₹ 6,810.32 करोड़) बजट अनुमान की तुलना में, मुख्यतः पूँजीगत व्यय (₹ 4,453 करोड़) तथा राजस्व आधिक्य (₹ 1,364 करोड़) में बजट की तुलना में कम होने के कारण हुआ।

राजस्व आधिक्य में बजट अनुमान की तुलना में कमी मुख्य रूप से, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (₹ 316 करोड़) और ग्रामीण विकास (₹ 198 करोड़) में बजट अनुमान की तुलना में ज्यादा व्यय होने के कारण हुआ।

स.रा.घ.उ. से कुल बकाया ऋण का अनुपात (18.14 प्रतिशत) 14^{वें} वित्त आयोग की सीमा (17.05 प्रतिशत) से ज्यादा था, जो राज्य शासन का छत्तीसगढ़ विकास ऋण के तहत बाजार ऋण ₹ 8,100 करोड़ लेने के कारण हुआ।

1.1.2.1 राजकोषीय घाटा एवं इसके वित्तपोषण स्वरूप का संयोजन

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण स्वरूप को तालिका 1.6 में दर्शाया गया है:-

तालिका 1.6:-राजकोषीय घाटे के अवयव एवं वित्तपोषण का स्वरूप

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6
राजस्व घाटे की संरचना					
राजस्व घाटा (-)/आधिक्य(+)	(-)809.31	(-)1,573.28	2,366.65	5,520.65	3,417.32
शुद्ध पूँजीगत व्यय	(-)4,566.55	(-)6,541.22	(-)7,942.17	(-)9,468.14	(-)9,997.64
शुद्ध ऋण तथा आग्रिम ²	318.58	106.23	131.69	(-)99.78	(-)230.00
उदय से संबंधित व्यय छोड़कर	.	.	870.12	.	.
कुल	(-)5,057.28	(-)8,008.27	(-)4,573.71	(-)4,047.27	(-)6,810.32
राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का स्वरूप*					
बाजार से लिए गए उधार	2,843.99	3,807.65	4,666.75	3,897.68	8,100.00
भारत सरकार से ऋण	(-)134.50	(-)148.49	(-)18.79	211.57	292.41

² अन्तर्राज्यीय परिशोधन सम्मिलित।

1	2	3	4	5	6
एन.एस.एस.एफ. को जारी विशेष प्रतिभूति	1.42	414.18	389.09	(-)420.53	(-)431.13
वित्तीय संस्थाओं से ऋण (नाबार्ड)	531.33	645.80	525.92	638.58	691.28
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0.00	383.80	(-)383.80	0.00	0.00
लघु बचत, भविष्य निधि आदि	265.40	443.83	514.30	426.96	640.61
जमा तथा अग्रिम	1,818.98	466.62	(-)69.54	550.66	120.95
उंचत तथा विविध	(-)1,243.93	1,449.74	(-)1,823.27	(-)629.98	(-)1,611.16
प्रेषण	(-) 98.03	193.52	11.94	49.14	70.92
अन्य ³	305.16	264.02	389.93	639.80	(-)765.14
कुल	4,289.82	7,920.67	4,202.53	5,363.90	7,108.74
कुल अधिक्य (+)/घाटा(-)	(-) 767.46	(-) 87.60	(-) 371.18	1,316.63	298.42
योग	5,057.28	8,008.27	4,573.71	4,047.27	6,810.32

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

* सभी आंकड़े वर्ष के दौरान सवितरण/बहाव हैं।

1.1.2.2 घाटे/आधिक्य की गुणवत्ता

राजस्व घाटा से राजकोषीय घाटा का अनुपात तथा प्राथमिक घाटों का प्राथमिक राजस्व घाटा⁴ एवं पूँजीगत व्यय (ऋण तथा अग्रिम सम्मिलित) का अपघटन राज्य के वित्त घाटा की गुणवत्ता को दर्शाता है। प्राथमिक घाटे (तालिका 1.7) का विभाजन दर्शाता है कि किस सीमा तक पूँजी व्यय में वृद्धि के कारण घाटा हुआ है जो कि सरकार की उत्पादक क्षमता में सुधार करने के लिए वांछनीय हो सकता है।

तालिका 1.7 राज्य में प्राथमिक घाटा/आधिक्य के अवयव

(₹ करोड़ में)

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्रारंभिक राजस्व व्यय ⁵	पूँजीगत व्यय	ऋण तथा अग्रिम	प्राथमिक व्यय ⁶	प्राथमिक राजस्व घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिक घाटा (-)/ आधिक्य (+)	प्राथमिकी घाटा का स.रा.घ.उ. के सापेक्ष अनुपात (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)	9
2013-14	33,699	31,508	4,574	1,318	37,400	2,191	(-) 3,709	1.79
2014-15	38,187	37,835	6,544	88	44,467	352	(-) 6,281	2.84
2015-16	46,367	41,552	7,075'	165	49,662	4,815	(-) 2,425	1.04
2016-17	53,861	45,478	9,471	273	55,222	8,383	(-) 1,361	0.52
2017-18	59,790	53,131	10,001	370	63,502	6,659	(-) 3,712	1.27

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

* उदय योजना के अंतर्गत, ₹ 870.12 करोड़ के व्यय को छोड़कर।

जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, राज्य के गैर-ऋण प्राप्तियां राज्य के प्राथमिक व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे।

1.1.3 बजट अनुमान तथा वास्तविकतायें

बजट अनुमानों के मुकाबले वास्तविक प्राप्तियां और व्यय में कमी या तो अप्रत्याशित और अनोपेक्षित घटनाओं के कारण या बजट तैयार करने के दौरान व्यय या राजस्व के कम/अधिक अनुमान के कारण हुआ, जो कि वांछित राजकोषीय उद्देश्यों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है


³ आकस्मिकता निधि और आरक्षित निधि सम्मिलित।

⁴ प्राथमिक राजस्व घाटा को राज्य के गैर ब्याज राजस्व व्यय तथा गैर ऋण प्राप्तिओं के मध्य अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। यह राज्य के राजस्व खाते के अंतर्गत प्राथमिक व्यय के प्रतिपूर्ति हेतु गैर ऋण प्राप्तिओं की सीमा को इंगित करता है।

⁵ प्रारंभिक राजस्व व्यय, राजस्व व्यय में से ब्याज भुगतान को छोड़कर है।

⁶ प्राथमिक व्यय, ब्याज भुगतान को छोड़कर राजस्व, पूँजी तथा ऋण और अग्रिम को सम्मिलित करता है।

वर्ष 2017-18 के लिए चयनित वित्तीय मानदंडों के बजट अनुमानों के मुताबिक वास्तविकता चार्ट 1.1 और परिशिष्ट 1.4 में दिखाया गया है।



(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे 2017-18 और बजट अनुमान 2017-18)

जैसा कि, देखा जा सकता है, कि राज्य शासन वास्तविक राजस्व व्यय (₹ 5,083 करोड़), जिसमें शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति (₹ 1,914 करोड़), पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें (₹ 1,290 करोड़) और सामाजिक कल्याण और पोषण (₹ 545 करोड़) में बजट अनुमान के मुकाबले कमी करके महत्वपूर्ण राजस्व आधिक्य प्राप्त करने के सक्षम हुई, तत्पश्चात् वित्तीय घाटे के लक्ष्य को प्राप्त किया गया। इसी तरह पूँजीगत व्यय में कमी (₹ 4,453 करोड़) मुख्य रूप से परिवहन (₹ 2,517 करोड़) और सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण (₹ 894 करोड़) में कमी के कारण हुआ।

अनुशंसा: वित्त विभाग को बजट तैयार करने की प्रक्रिया को तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि बजट अनुमान और वास्तविकता के बीच लगातार अंतर कम हो।

1.1.4 जेंडर बजट

राज्य का जेंडर बजट कुल बजट का वह हिस्सा होता है जो महिलाओं को पूरी तरह से या आंशिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। बजट दस्तावेज के मुताबिक, महिलाओं से संबंधित योजनाओं को दो भागों में बांटा गया है— (1) योजनाएं जिनमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिनमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

अभिलेखों की जाँच के दौरान यह देखा गया कि, वित्त मंत्रालय की अनुशंसा (2006-07 का बजट भाषण) के अनुसार, राज्य शासन को जेंडर बजट सेल (जून 2012) का गठन करना था। जेंडर बजट सेल को, विभिन्न विभागों के बीच सामन्जस्य बनाते हुए, जेंडर बजट को लागू करना था, तथा महिला और बाल विकास विभाग इसकी निगरानी और विश्लेषण का कार्य सौंपा गया था। यद्यपि, विभाग द्वारा जेंडर बजट सेल के कार्य के बारे में कोई सूचना नहीं प्रदान की गई।

यह देखा गया कि वर्ष 2017-18 के दौरान 28 योजनाएं जो कि 100 प्रतिशत महिला केंद्रित कार्यों की थी, के लिए ₹ 4,904.25 करोड़ (₹ 3,639.26 करोड़; मूल बजट प्रावधान और ₹ 1,264.99 करोड़; पूरक बजट प्रावधान) के बजट प्रावधान किए गए थे (परिशिष्ट 1.5)। कुल बजट ₹ 4,904.25 करोड़ में से केवल ₹ 4,002.51 करोड़ (81.61 प्रतिशत) खर्च किया गया था तथा ₹ 897.93 करोड़ (18.33 प्रतिशत) या तो समर्पित या

पुनर्विनियोजित किया गया तथा ₹ 3.81 करोड़ (0.08 प्रतिशत) का अधिक व्यय, समर्पण के पश्चात उपलब्ध बजट से किया गया।

इसके अलावा, 99 योजनाओं के लिए बजट प्रावधान ₹ 9,555.67 करोड़, जिसमें बजट का एक भाग पृथक (न्यूनतम 30 प्रतिशत) महिलाओं के केंद्रित कार्यों पर खर्च किया जाना था, जिसे बिना किसी उप शीर्ष या उद्देश्य शीर्ष के बनाया गया था। इस प्रकार, इन योजनाओं के तहत महिलाओं के ऊपर खर्च की गई वास्तविक राशि को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका।


अनुशंसा: वित्त विभाग को विभिन्न विभागों के बीच समन्वय करके समय-समय पर सभी जेंडर बजट योजनाओं की समीक्षा करनी चाहिए, ताकि महिलाओं से संबंधित कार्यों हेतु प्रावधान का पूर्णतः उपयोग किया जा सके और वास्तविक खर्च की जाँच के लिए अलग उप-शीर्ष और उद्देश्य-शीर्ष भी खोलना चाहिए।


1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 राज्य के वित्त लेखों के अनुसार राज्य के संसाधन


चार्ट 1.2, 1.3 और 1.4 वित्त लेखों में वर्णित राज्य के वित्तीय संसाधनों के विभिन्न परिक्षेत्र प्रस्तुत करता है।

चार्ट 1.2: संसाधनों की संरचना एवं उप घटक





(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)



(स्रोत: छत्तीसगढ़ शासन के वित्त लेखे 2017-18)


1.2.2 राज्य बजट से अलग राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को राशि हस्तांतरण

31 मार्च 2014 तक, केंद्र सरकार द्वारा निधियों का एक बड़ा हिस्सा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु सीधे राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को हस्तांतरित कर दिया जाता था, जिसे विवेचनात्मक के रूप में स्वीकार किया गया था और निधियों को राज्य के वित्त लेखे में नहीं दर्शाया जाता था अतएव, वार्षिक वित्त लेखे राज्य के संसाधनों का संपूर्ण चित्रण नहीं करता था। भारत सरकार द्वारा 01 अप्रैल 2014 से केन्द्र प्रायोजित योजनाओं/अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता से संबंधित सभी सहायता राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को न कर सीधे राज्य शासन को दिये जाने का निर्णय लिया गया था। जबकि वर्ष 2016-17 में जारी राशि ₹ 1,112.05 करोड़ के सापेक्ष वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 6,490.81 करोड़ की केन्द्रीय राशि राज्य क्रियान्वयन एजेंसियों को सीधे हस्तांतरित की गई, पिछले वर्ष जारी राशि की तुलना में

₹ 5,378.76 करोड़ (483.68 प्रतिशत) के निधियों के प्रत्यक्ष हस्तांतरण में वृद्धि हुई। मुख्यतः राशि, उन ईकाईयों को हस्तांतरित किया गया जो योजनाओं को लागू करती है, जो कि, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत अनाज का विकेन्द्रीकृत खरीदी हेतु आर्थिक सहायता, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, अक्षय ऊर्जा-आफ ग्रिड, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना इत्यादि।

1.3 राजस्व प्राप्तियां

वर्ष 2013-18 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ तथा संरचना परिशिष्ट 1.6 तथा चार्ट 1.5 में दर्शायी गई है।



(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखों)

वर्ष 2017-18 के दौरान, प्राप्ति में वृद्धि (₹ 5,962 करोड़, 11.11 प्रतिशत) मुख्यत रूप से राजस्व कर (₹ 950 करोड़), कर भिन्न राजस्व (₹ 671 करोड़), संघीय करो का हिस्सा (₹ 1,946 करोड़) और भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 2,395 करोड़), में ज्यादा प्राप्ति के कारण बढ़ोत्तरी हुई। स.रा.घ.उ. के सापेक्ष राज्य के स्वयं का कर राजस्व की प्रवृत्ति तालिका 1.8 में दर्शाए गए है।

तालिका 1.8: स.रा.घ.उ. और राजस्व प्राप्ति के सापेक्ष राज्य का स्वयं का कर राजस्व की प्रवृत्ति

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
राज्य के स्वयं का कर राजस्व (₹ करोड़ में)	14,343	15,707	17,075	18,945	19,895
राज्य के स्वयं का कर राजस्व/ स.रा.घ.उ. (प्रतिशत में)	6.93	7.10	7.29	7.22	6.82
राज्य के स्वयं का कर राजस्व/ राजस्व प्राप्ति (प्रतिशत में)	44.75	41.35	37.07	35.39	33.35

जबकि राज्य का स्वयं का कर राजस्व 2013-14 में ₹ 14,343 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2017-18 में ₹ 19,895 करोड़ हो गया। स.रा.घ.उ. के संबंध में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का समानुपात 2016-17 में 7.22 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 6.82 प्रतिशत हो गया।

छत्तीसगढ़ का राज्य का स्वयं का कर राजस्व और स.रा.घ.उ. का अनुपात (6.82 प्रतिशत), पड़ोसी राज्यों मध्य प्रदेश (6.34 प्रतिशत), झारखंड (4.84 प्रतिशत) से बेहतर रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश (7.08 प्रतिशत) से कम था।

1.3.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

14^{वें} वित्त आयोग के आकलन एवं बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2017-18 हेतु राज्य की वास्तविक स्वयं का कर राजस्व और कर-भिन्न राजस्व तालिका 1.9 में दिया गया है।

तालिका 1.9: कर राजस्व तथा कर भिन्न राजस्व

	14 ^{वें} वित्त का अनुमान	बजट अनुमान	एफ.आर.बी.एम. अनुमान	(₹ करोड़ में) वास्तविक
कर राजस्व	27,672	23,421	23,421	19,895
कर-भिन्न राजस्व	5,833	7,704	7,704	6,340

(स्रोत: 14^{वें} वि.आ. प्रतिवेदन, बजट दस्तावेज तथा राज्य के वित्त लेखे 2017-18)

बजट अनुमान के मुकाबले स्वयं के कर राजस्व की कम प्राप्ति मुख्य रूप से बिक्री पर कर, व्यापार इत्यादि (₹ 6,995 करोड़) जो कि जी.एस.टी. के लागू करने के कारण हुआ, माल तथा यात्रियों पर कर (₹ 1,289 करोड़), मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क (₹ 353 करोड़), भूमि राजस्व (₹ 154 करोड़), तथा वाहनों पर कर (₹ 20 करोड़) के कम संग्रहण के कारण हुई। यद्यपि, उसी दौरान राज्य वस्तु एवं सेवाकर (₹ 4,387 करोड़) के लागू किया गया और करों का संग्रहण मुख्य रूप से राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 886 करोड़) के अंतर्गत ज्यादा हुआ (परिशिष्ट 1.4 तथा 1.6)।

1.3.1.1 कर राजस्व

वर्ष 2013-18 के दौरान कर राजस्व का विवरण नीचे तालिका 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: कर राजस्व के घटक

राजस्व शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	(₹ करोड़ में) विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 में वृद्धि का प्रतिशत
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	7,930	8,429	8,908	9,927	6,450	9.17
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) (जुलाई 2017 से जीएसटी शुरू)					4,387	
राज्य उत्पाद शुल्क	2,549	2,892	3,338	3,444	4,054	17.71
वाहनों पर कर	651	703	829	985	1,180	19.80
मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क	990	1,023	1,185	1,211	1,197	(-)1.16
भू-राजस्व	226	332	364	504	446	(-)11.51
माल एवं यात्रियों पर कर	945	982	1,040	1,340	478	(-)64.33
अन्य कर ⁷	1,052	1,346	1,411	1,534	1,703	11.02
योग	14,343	15,707	17,075	18,945	19,895	5.01
वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.04	9.51	8.71	10.95	5.01	

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

जुलाई 2017 से, वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के साथ राज्य का कुल राजस्व प्रतिशत अवधि में 12.84 प्रतिशत तथा वास्तव में ₹ 2,433 करोड़ बढ़ गया (जीएसटी क्षतिपूर्ति राशि ₹ 1,483 करोड़ सम्मिलित) अतः यह प्रतीत होता है कि जीएसटी का लागू होना राज्य के राजस्व संग्रहण को अच्छी गति देता है।

इसी के साथ वर्ष 2017-18 के दौरान यह देखा गया कि राज्य उत्पाद शुल्क राजस्व कर पर, वार्षिक 12 प्रतिशत ₹ 618 करोड़ की वृद्धि हुई। यह वृद्धि प्रतिकारी शुल्क

⁷ अन्य व्यय-होटल प्राप्तियाँ, आय तथा व्यय पर कर, बिजली पर कर, सेवाओं तथा वस्तुओं पर कर।

में वर्गीकृत करना 2017-18 से बंद कर दिया गया। भारत सरकार से सहायता अनुदान का विवरण तालिका 1.13 में नीचे दिया गया है।

तालिका 1.13: भारत सरकार द्वारा जारी सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान					9,275.76
वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान					1,460.23
संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत प्रावधानित अनुदान					109.64
केन्द्रीय सड़क निधि से प्राप्त अनुदान	4,726.16	8,987.80	8,061.59	10,261.63	212.28
वस्तु एवं सेवा कर (सामान्य सहायता अनुदान) लागू करने के कारण हुई हानि के लिए प्रतिपूर्ति					1,483.00
अन्य हस्तांतरण/राज्यों को अनुदान					116.25
योग	4,726.16	8,987.80	8,061.59	10,261.63	12,657.16
राजस्व प्राप्तियां	32,050	37,988	46,068	53,685	59,647.07
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में कुल अनुदान	14.75	23.66	17.50	19.11	21.22

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.3.4 केन्द्रीय कर हस्तांतरण

वर्ष 2013-18 के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को हस्तांतरित करों का विवरण तालिका 1.14 में नीचे दिया गया है।

तालिका 1.14: केन्द्रीय कर अंतरण की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
केन्द्रीय कर हस्तांतरण	7,880.22	8,363.03	15,716.47	18,809.16	20,754.81
राजस्व प्राप्तियों के हिस्से के रूप में केन्द्रीय कर हस्तांतरण	24.59	22.01	34.12	35.04	34.80

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 के दौरान पिछले वर्ष से केन्द्रीय कर हस्तांतरण में वृद्धि मुख्य रूप से एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (₹ 2,094 करोड़), निगम कर के अलावा आय पर कर (₹ 1,181 करोड़), निगम कर (₹ 333 करोड़) एवं केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर (₹ 219 करोड़) के अंतर्गत हुआ। जबकि करों का संकलन मुख्य रूप से संघीय उत्पाद शुल्क (₹ 768 करोड़), सेवा कर (₹ 677 करोड़) और सीमा शुल्क (₹ 496 करोड़) के अंतर्गत कम हुआ।

1.3.5 राजस्व का कम संग्रहण

1.3.5.1 करों का कम निर्धारण, आरोपण न किया जाना, अल्प आरोपण

वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 501 इकाईयों⁹ में से 81 इकाईयाँ जोकि वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क, भू-राजस्व, खनन प्राप्ति, वाहनों पर कर, वानिकी और वन्य जीवन एवं विद्युत कर से संबंधित थी, के नमूना जाँच से प्रदर्शित हुआ की 22,986 प्रकरणों में करों और शुल्क के कम वसूली/वसूली नहीं किए

⁹ वाणिज्यिक कर विभाग (55 इकाईयाँ), मुद्रांक और पंजीयन विभाग (114 इकाईयाँ), राज्य आबकारी विभाग (27 इकाईयाँ) भू-राजस्व विभाग (165 इकाईयाँ), उर्जा विभाग (17 इकाईयाँ), परिवहन (24 इकाईयाँ), भू-गर्भ तथा खाद्य विभाग (32 इकाईयाँ), वन विभाग (67 इकाईयाँ)।

जाने वाले कर, शुल्क एवं फीस/राजस्व की हानि इत्यादि के रूप में कुल ₹ 4,227.18 करोड़ की अनुमानित हानि हुई। संबंधित विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गये 17,155 प्रकरणों में ₹ 133.78 करोड़ की कम आकलन और अन्य कमियों को स्वीकार किया।

1.3.5.2 बकाया राजस्व

बकाया राजस्व की राशि का विवरण नीचे तालिका 1.15 में दिया गया है

तालिका 1.15: बकाया राजस्व

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	कुल बकाया राशि		पाँच वर्ष से अधिक की बकाया राशि	
		31 मार्च 2017 की स्थिति	31 मार्च 2018 की स्थिति	31 मार्च 2017 की स्थिति	31 मार्च 2018 की स्थिति
1	बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	1,887.09	2,459.64	831.28	1,074.29
2	राज्य उत्पाद शुल्क	49.91	51.20	19.91	26.49
3	विद्युत पर कर एवं शुल्क	708.53	951.63	108.35	189.58
4	वाहनों पर कर	26.65	27.72	9.80	8.06
5	मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क	17.23	54.17	2.35	15.37
6	गैर लौह खनन एवं धातु कर्म उद्योग	0.85	0.77	0.85	0.77
7	वानिकी एवं वन्य जीवन	8.67	..	3.30	..
योग		2,698.93	3,545.13	975.84	1,314.56

वन विभाग एवं राजस्व विभाग ने बकाया राजस्व की आवश्यक जानकारी प्रस्तुत नहीं की।

अनुशसा: वित्त विभाग को बकाया राजस्व की तेजी से वसूली के लिए एक तंत्र विकसित करना चाहिए।

1.4 पूंजीगत प्राप्तियाँ

पूँजी भाग के अंतर्गत वर्ष 2013-18 के दौरान प्राप्तियों की प्रवृत्ति तालिका 1.16 एवं परिशिष्ट 1.6 में दिया गया है।

तालिका 1.16: पूंजीगत प्राप्तियों के घटक तथा वृद्धि की प्रवृत्तियाँ

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	7.64	3.03	2.84	2.37	3.32
ऋण तथा अग्रिमों की वसूली (₹ करोड़ में)	1,637.27	194.86	296.39	172.99	138.59
अंतर्राज्यीय परिशोधन (₹ करोड़ में)	5.14	0.91	0.52	0.38	1.24
(अ) कुल गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	1,650.05	198.80	299.75	175.74	143.15
गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	6.74	(-87.95)	50.78	(-41.37)	(-18.54)
आंतरिक ऋण (₹ करोड़ में)	3,917.30	6,430.98	7,105.87	5,098.40	9,187.89
केन्द्र सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम (₹ करोड़ में)	14.59	8.69	145.28	381.53	464.55
(ब) लोक ऋण (₹ करोड़ में)	3,931.89	6,439.67	7,251.15	5,479.93	9,652.44
पूँजीगत प्राप्तियाँ (अ+ब) (₹ करोड़ में)	5,581.94	6,638.47	7,550.90	5,655.67	9,795.59
लोक ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	91.08	63.78	12.60	(-24.43)	76.14
वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	16.52	6.92	5.91	11.98	11.22
पू.प्रा. की वृद्धि दर (प्रतिशत)	54.90	18.93	13.74	(-25.10)	73.20

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2017-18 के दौरान कोई भी विनिवेश नहीं किया गया। हालांकि, सहकारी संस्थाओं द्वारा ₹ 3.56 करोड़ वर्ष 2017-18 में पूंजीगत भाग के निवेश से वापस किया गया।

1.4.1 ऋण तथा अग्रिमों की वसूलियाँ

वर्ष 2017-18 के दौरान ऋण की वसूली मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम मर्यादित रायपुर (₹ 26 करोड़), शहरी निकायो को बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए ऋण (₹ 24.84 करोड़), भोरमदेव सहकारी चीनी मील (₹ 20 करोड़), नगर निगम के विशेष-अवसर हेतु ऋण (₹ 18.40 करोड़), छत्तीसगढ़ राज्य भण्डारण निगम द्वारा गोदामों के निर्माण (₹ 16.39 करोड़) एवं महामाया सहकारी चीनी मील अम्बिकापुर (₹ 10 करोड़) से हुई।

1.4.2 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.17 में दिया गया है।

तालिका:1.17 राज्य सरकार के आंतरिक ऋण के घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बाजार ऋण	3,000.00	4,200.00	4,850.00	4,200.00	8,100.00
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध पत्र	0.00	0.00	870.12	0.00	0.00
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	674.62	796.13	673.52	898.40	1,087.89
राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	242.68	658.81	712.23	0.00	0.00
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0.00	776.04	0.00	0.00	0.00
योग	3,917.30	6,430.98	7,105.87	5,098.40	9,187.89

(स्रोत: संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

राज्य सरकार द्वारा निवेश और ऋण एवं अग्रिम की तुलना में उच्च ब्याज दर पर उधार लेने के प्रभाव की चर्चा कण्डिका 1.8.3 एवं 1.8.4 में की गई है।

1.4.3 भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम

वर्ष 2017-18 के दौरान भारत सरकार से ₹ 465 करोड़ ऋण एवं अग्रिम मुख्यतः छत्तीसगढ़ सड़क क्षेत्र विकास परियोजना क्रम II (₹ 446.67 करोड़) और सतत शहरी परिवहन योजना (₹ 17.64 करोड़) के लिए प्राप्त हुये।

1.4.4 क्षतिपूर्ति उपकर का अनंतिम समायोजन

1.4.4.1 वस्तु एवं सेवा कर

राज्य सरकार ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 1 जुलाई 2017 से लागू कर दिया है। वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 के अनुसार केन्द्र सरकार राज्यों द्वारा जीएसटी लागू किये जाने के कारण पाँच सालों में हुई राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति करेगी। राज्यों को देय क्षतिपूर्ति की गणना, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के बाद प्राप्त अंतिम राजस्व आंकड़े, जिनकी भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षा के द्वारा लेखापरीक्षा की गयी है, के आधार पर की जाती है। जीएसटी के करों के राजस्व आंकड़े जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत अंतिमीकृत किये गये थे। छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में आधार वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व ₹ 7,357.43 करोड़ थे राज्य के किसी वर्ष के अनुमानित राजस्व की गणना राज्य के आधार वर्ष के राजस्व पर अनुमानित वृद्धि दर (14 प्रतिशत प्रतिवर्ष) का लागू करके की जायेगी। आधार वर्ष के अनुसार वर्ष 2017-18 के लिए अनुमानित राजस्व (01 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2018) का आंकड़ा ₹ 7,171.29 करोड़ था। 2017-18 के राजस्व के आंकड़ें प्राप्ति की प्रकृति के अनुसार

वित्त लेखों में प्रदर्शित किये गये हैं जैसे कि राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), एसजीएसटी एवं एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रॉस उपयोग, आईजीएसटी का कर भाग का एसजीएसटी में हस्तांतरण का विभाजन और आईजीएसटी का अग्रिम विभाजन राज्य सरकार द्वारा जीएसटी के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान अनुमानित राजस्व ₹ 7,171.29 करोड़ के विरुद्ध राजस्व प्राप्ति का वितरण तालिका 1.18 में दिया गया है।

तालिका 1.18: एकत्रित प्री जीएसटी और एसजीएसटी, आईजीएसटी का प्रावधिक विभाजन और भारत सरकार से प्राप्त संरक्षित राजस्व के विरुद्ध जुलाई 2017 से मार्च 2018 के मध्य प्राप्त आईजीएसटी की क्षतिपूर्ति।

(₹ करोड़ में)

माह	9 माह में संरक्षित राजस्व	एकत्रित प्री जीएसटी कर ¹⁰	एकत्रित एसजीएसटी	आईजीएसटी का अग्रिम विभाज्य	कुल प्राप्त राशि	प्राप्त होने वाली क्षतिपूर्ति ¹¹	प्राप्त वास्तविक क्षतिपूर्ति (31-03-2018 तक)	शेष
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7(2-6)	8	7(7-8)
जुलाई और अगस्त 2017	1,593.62	893.75	324.48	78.71	1,296.94	296.68	0	296.68
सितम्बर और अक्टूबर 2017	1,593.62	145.31	639.86	276.84	1,062.01	531.61	253	278.61
नवम्बर और दिसंबर 2017	1,593.62	72.74	602.66	375.15	1,050.55	543.07	562	(-)18.93
जनवरी और फरवरी 2018	1,593.62	26.01	756.74	685.61	1,468.36	125.26	219	(-)93.74
मार्च 2018	796.81	50.49	459.5	187.01	697	99.81	449	(-)349.19
योग	7,171.29	1,188.30	2,783.24	1,603.32	5,574.86	1,596.43	1,483.00	113.43

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि भारत सरकार ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 के दौरान जीएसटी की क्षतिपूर्ति का ₹ 113.48 करोड़ कम हस्तांतरित किया है। जबकि मार्च माह तक का क्षतिपूर्ति ₹ 106 करोड़, मई 2018 में प्राप्त हुआ, जिसे वर्ष 2017-18 के लेखों में प्रदर्शित ना करके 2018-19 के लेखों में प्रदर्शित किया जायेगा। अर्थात्, उपरोक्त समयावधि के दौरान जीएसटी की क्षतिपूर्ति का ₹ 7.43 करोड़ बकाया भारत सरकार द्वारा (नवम्बर 2018) राज्य को कम हस्तांतरित किया गया।

1.4.4.2 आईजीएसटी का आग्रिम विभाजन एवं जीएसटी क्षतिपूर्ति के विरुद्ध इसका समायोजन

भारत सरकार के आईजीएसटी एक्ट, 2017 के सेशन 17 के अंतर्गत आईजीएसटी का विभाजन राज्य सरकार को करना पड़ता है। राज्य विभाग, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (भारत सरकार) ने अंतिम/अग्रिम ₹ 322.00 करोड़ को विभाजन के भुगतान की स्वीकृति (फरवरी 2018) इन शर्तों के साथ की, कि राशि का समायोजन अप्रैल 2018 से जनवरी 2019 के दौरान आईजीएसटी का भुगतान 10 बराबर किस्तों में किया जायेगा। जबकि, जनवरी 2018 के दौरान ₹ 322 करोड़ का अग्रिम भुगतान भारत सरकार द्वारा माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2017 के लिये राज्यों को देय क्षतिपूर्ति से किया गया उस समयावधि के दौरान ₹ 322 करोड़ की राजस्व प्राप्ति के रूप में जोड़ना, स्वीकृति आदेश के अनुसार अनियमित है। जबकि, राज्य सरकार ने वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 322 करोड़ प्राप्त किया।

अनुशांसा: सरकार को भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति की शेष राशि वापसी के लिए कार्य करना चाहिए।

¹⁰ वैट तथा केन्द्रीय बिक्री कर (शुद्ध वापसी) और पेट्रोलियम पदार्थ तथा शराब में वैट और केन्द्रीय बिक्री कर छोड़कर जीएसटी में सामाहित राजस्व सम्मिलित।

¹¹ क्षतिपूर्ति के आंकड़ें प्रावधिक हैं।

1.5 लोक लेखे की शेष राशि

लघु बचत, भविष्य निधि, आरक्षित निधि, जमा तथा अग्रिम उचंत और प्रेषण इत्यादि के तहत प्राप्तियाँ और वितरण जो राज्य के समेकित निधि का हिस्सा नहीं होती है संविधान के अनुच्छेद 266 (2) के तहत स्थापित लोक लेखा में रखी जाती है और न ही राज्य विधायिका द्वारा मतदान के अधीन नहीं होता है। यहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। लोक लेखे के तहत प्राप्तियों और वितरण की स्थिति वित्तीय लेखे के विवरण 21 में दिखायी गई है और लोक लेखे (निवल) का विवरण तालिका 1.19 में दिखायी गई है।

तालिका 1.19:- निवल लोक लेखा प्राप्तियाँ तथा इसके घटक

(₹ करोड़ में)

स.क्र	लोक लेखा प्राप्तियाँ	प्राप्तियाँ	संवितरण	निवल लोक प्राप्तियाँ
1	लघु बचत, भविष्य निधि आदि	1,435.87	795.26	640.61
2	आरक्षित निधियाँ	1,224.59	1,702.52	(-)477.93
3	जमा तथा अग्रिम	4,039.17	3,918.22	120.95
4	उचन्त और विविध	1,55,385.53	1,56,996.70	(-)1,611.17
	घटाइये- विभागीय शेष	2.81	4.39	(-)1.58
	घटाइये - स्थाई अग्रदाय	0.00	0.00	0.00
	घटाइये - रोकड़ शेष निवेश	1,00,028.39	1,01,587.25	(-)1,558.86
	कुल- उचन्त और विविध	55,354.33	55,405.06	(-)50.73
5	प्रेषण	10,003.60	9,932.68	70.92
योग (1 से 5 तक)		72,057.56	71,753.74	303.82


(स्रोत: वर्ष 2017-18 वित्त लेखे)

घाटे के वित्तीय में निधि की शुद्ध उपलब्धता के अंतर्गत लघु बचत, जमा तथा अग्रिम और प्रेषण का प्रमुख भाग है।

1.6 संसाधनों का उपयोग

व्यय की वृद्धि तथा संरचना

चार्ट 1.6 वर्ष 2013-18 के दौरान क्रमशः कुल व्यय के प्रवृत्ति एवं संरचना को दर्शाता है।



(स्रोत: वर्ष 2017-18 वित्त लेखे)

1.6.1 पूँजीगत व्यय

विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2017-18 के दौरान पूँजीगत व्यय (₹ 530 करोड़; 5.60 प्रतिशत) बढ़ गया जोकि मुख्य रूप से परिवहन (₹ 309 करोड़) और ग्रामीण विकास (₹ 289 करोड़) पूँजीगत व्यय में वृद्धि के कारण हुआ। यद्यपि, उसी वर्ष पूं.व्य. मुख्य रूप से पॉवर (₹ 446 करोड़) और लघु सिंचाई (₹ 261 करोड़) के अंतर्गत घटा था।

तालिका 1.20 पूँजीगत व्यय का स.रा.घ.उ. के साथ अनुपात

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूँजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	4,574	6,544	7,945	9,471	10,001
पूँजीगत व्यय का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	2.21	2.96	3.39	3.61	3.43

छत्तीसगढ़ का (3.43 प्रतिशत) पूँजीगत व्यय तथा स.रा.घ.उ. का अनुपात पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश (2.84 प्रतिशत) की तुलना में ज्यादा था, लेकिन झारखंड (4.68 प्रतिशत) और मध्य प्रदेश (4.37 प्रतिशत) से कम रहा।

1.6.2 राजस्व व्यय

वर्ष 2016-17 में 83 प्रतिशत के मुकाबले वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 84 प्रतिशत हुआ। वर्ष 2017-18 के दौरान राजस्व व्यय स.रा.घ.उ. का 19 प्रतिशत था। पिछले वर्ष 2016-17 के राजस्व व्यय ₹ 48,165 करोड़ की तुलना में वृद्धि वर्ष 2017-18 में बढ़कर ₹ 56,230 करोड़ (₹ 8,065 करोड़, 16.74 प्रतिशत) हो गया जो कि मुख्य रूप से सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं में कमशः ₹ 3,030 करोड़ और ₹ 3,447 करोड़ की वृद्धि के कारण हुआ।

1.6.3 प्रतिबद्ध व्यय

राजस्व खाते पर राज्य सरकार के प्रतिबद्ध व्यय के मुख्य रूप से वेतन मजदूरी, सब्सिडी, पेंशन और ब्याज पर व्यय शामिल होता है। तालिका 1.21 में वर्ष 2013-18 के दौरान इन घटकों पर व्यय में प्रवृत्ति प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.21: प्रतिबद्ध व्यय के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट अनुमान	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी	9,137 (29)	10,003 (26)	10,865(24)	11,424 (21)	15,337	13,184
सहायता अनुदान से वेतन का भुगतान	1,749 (5)	2,010 (5)	2,305(5)	2,868 (5)	—	3,447
ब्याज भुगतान	1,351(4)	1,727(5)	2,149 (5)	2,687 (5)	3,023	3,098
पेंशन	2,752(9)	3,249 (9)	3,519 (8)	3,487 (6)	5,214	3,898
सब्सिडी	3,156(10)	3,747 (10)	7,397 (16)	4ए189(8)	6,108	5,005
कुल	18,145 (57)	20,736 (55)	26,235 (57)	24,655(46)	29,682	28,632

(स्रोत:- संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

कोष्ठक राजस्व प्राप्ति को प्रतिशत इंगित करता है।

एन.ए. बजट अनुमान में उपलब्ध नहीं है।

*केंद्रीय प्रवर्तित योजना के अंतर्गत वेतन मजदूरी का भुगतान सम्मिलित

वेतन एवं मजदूरी (₹ 13,184 करोड़) ब्याज भुगतान ₹ 3,098 करोड़ और पेंशन ₹ 3,898 करोड़ कुल मिलाकर राजस्व व्यय के 36 प्रतिशत रहा तथा वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्ति का 34 प्रतिशत उपयोग किया।

वेतन एवं मजदूरी

वेतन एवं मजदूरी पर व्यय वर्ष 2016-17 में ₹ 11,424 करोड़ का हुआ था, जो कि वर्ष 2017-18 में बढ़कर (₹ 1,760 करोड़) ₹ 13,184 करोड़ हो गया। सहायता अनुदान¹² से भुगतान किया गया वेतन वर्ष 2016-17 में हुये व्यय ₹ 2,868 करोड़ से बढ़कर (₹ 579 करोड़) वर्ष 2017-18 में ₹ 3,447 करोड़ हो गया।

ब्याज भुगतान

ब्याज भुगतान की वृद्धि दर पिछले वर्ष की तुलना में 15 प्रतिशत अधिक थी, जो कि मुख्य रूप से बाजार ऋण ₹ 378.62 करोड़ (29 प्रतिशत) पर ब्याज की तेज वृद्धि के कारण हुई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान ब्याज भुगतान राजस्व प्राप्तियों का पाँच प्रतिशत था। वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 के दौरान ब्याज भुगतान के प्रमुख घटक नीचे तालिका 1.22 में दिए गए हैं।

तालिका 1.22:- ब्याज भुगतान के घटक

(₹ करोड़ में)

घटक	2016-17			2017-18		
	बकाया दायित्व	ब्याज भुगतान	भुगतान किया गया ब्याज बकाया के प्रतिशत के रूप में	बकाया दायित्व	ब्याज भुगतान	भुगतान किया गया ब्याज बकाया के प्रतिशत के रूप में
आंतरिक ऋण	28,330.29	2,107.16	7.44	36,690.44	2,474.18	6.74
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,047.15	137.49	6.72	2,339.57	133.83	5.72
लघु बचत भविष्य निधि आदि	4,592.47	370.95	8.08	6075.40	419.55	6.91
अन्य	8,460.95	71.23	0.84	7,801.67	70.77	0.91
कुल	43,430.86	2,686.83	6.19	52,907.08	3,098.33	5.75

(स्रोत:- संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

पेंशन भुगतान

शासकीय कर्मचारी जो 1 नवम्बर 2004 को या इसके पश्चात नियुक्त हुए हैं उन्हें नवीन पेंशन योजना के अंतर्गत शामिल किया गया जो कि परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना है। योजना के दिशानिर्देशानुसार कर्मचारी मूलवेतन एवं मंहगाई भत्ते का 10 प्रतिशत का अंशदान करता है एवं इसके समतुल्य राज्य शासन का अंशदान होता है तथा संपूर्ण राशि निश्चित निधि प्रबंधक के माध्यम से नेशनल सिक्योरिटीज डिपाजिटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.)/ट्रस्टी बैंक में स्थानांतरित किया जाता है।

मार्च 2006 से नवीन पेंशन योजना में योगदान के साथ दिसंबर 2004 से फरवरी 2006 तक बकाया अंशदान की कटौती की गई है। वर्ष 2006-18 के दौरान कर्मचारियों के अंशदान ₹ 1,697.89 करोड़ के सापेक्ष, राज्य शासन ₹ 1,688.26 करोड़ बकाया जमा किया जो कि ₹ 9.63 करोड़ कम था।

31 मार्च 2018, की स्थिति में ₹ 14.51 करोड़ (प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारियों का अंशदान ₹ 3.48 करोड़ सम्मिलित) लोक लेखे से एन.एस.डी.एल./ट्रस्टी बैंक, में स्थानांतरित के लिए बकाया थे। ₹ 9.63 करोड़ का संक्षिप्त योगदान और ₹ 14.51

¹² सहायता अनुदान से विभिन्न संस्थाओं शिक्षा, खेलकूद, कला और संस्कृत, कृषि तथा संबद्ध किया-कलाप और ग्रामीण विकास को वेतन भुगतान।

करोड़ गैर हस्तांतरण के परिणामस्वरूप राज्य शासन को ₹ 24.14 करोड़ की देयता की अनावश्यक सृजन हुई।

अनुशांसा: राज्य शासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोक्ता के हिस्से के साथ कर्मचारियों को योगदान तुरंत एन.एस.डी.एल. में स्थानांतरित कर दिया जाए।

सब्सिडी

वर्ष 2017-18 में सब्सिडी ₹ 5,005 करोड़, राजस्व प्राप्तियों को 8.39 प्रतिशत रही, ये सब्सिडी मुख्यतः मुख्यमंत्री खाद्य सहायता योजना (₹ 2,048 करोड़), पाँच एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय (₹ 819 करोड़), उपभोक्ताओं के बिजली फीस में माफी (₹ 514 करोड़) में थी।

कुछ सब्सिडी वर्ष 2017-18 में सहायता अनुदान (प्रकार में) के रूप में तालिका 1.23 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.23: राज्य शासन द्वारा दिया गया सहायता अनुदान (प्रकार में)

(₹ करोड़ में)

विभाग का नाम	योजनाएं	2016-17	2017-18
स्कूल शिक्षा	हाईस्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय	106.17	59.41
स्कूल शिक्षा	निःशुल्क शालेय पुस्तकों का प्रदाय	93.57	88.14
स्कूल शिक्षा	अनुसूचित जनजाति छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकों एवं स्टेशनरी का वितरण	0.70	0.68
कृषि	पाँच एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय	259.48	849.67
संचार	तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विद्यार्थियों को निःशुल्क लेपटॉप/टेबलेट का प्रदाय	5.54	47.07
योग		465.46	1,044.97

(स्रोत:- संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.7 व्यय की गुणवत्ता

विकास व्यय (सामाजिक एवं आर्थिक सेवायें) कुल व्यय का 78 प्रतिशत है।

1.7.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

वर्ष 2013-14 को आधार वर्ष रखते हुए वर्ष 2017-18 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा पूँजीगत व्यय के परिपेक्ष्य में राज्य शासन के राजकोषीय प्राथमिकता की समीक्षा तालिका 1.24 में की गई है।

तालिका 1.24: वर्ष 2013-14 एवं 2017-18 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

(प्रतिशत में)

राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता	ई/स.रा.घ.उ.	डीई [#] /ई	एसएसई/ई	सीई/ई	शिक्षा/ई	स्वास्थ्य/ई
औसत (अनुपात) 2013-14						
सामान्य श्रेणी राज्य	14.70	66.50	37.60	13.60	17.20	4.50
छत्तीसगढ़	20.94	76.73	38.65	11.80	18.32	4.01
औसत (अनुपात) 2017-18						
सामान्य श्रेणी राज्य	16.10	67.90	36.70	14.40	15.50	4.90
छत्तीसगढ़	22.83	77.87	40.72	15.57	18.79	6.02
ई: सकल व्यय, डीई-विकास व्यय, एसएसई: सामाजिक क्षेत्र व्यय, सीई: पूँजीगत व्यय #विकास व्यय के अंतर्गत विकासात्मक राजस्व व्यय, विकासात्मक पूँजीगत व्यय एवं वितरित विकासात्मक ऋण एवं अग्रिम सम्मिलित है।						

वर्ष 2017-18 में लोक व्यय की पर्याप्तता का अनुरूप दर्शाता है कि, सामान्य श्रेणी राज्य के औसत तथा राज्य के खुद का प्रदर्शन वर्ष 2013-14 के तुलना में बेहतर था।

1.7.2 व्यय के उपयोग की कुशलता

तालिका 1.25 पिछले वर्ष के बजट राशि एवं व्यय के साथ-साथ वर्ष 2017-18 के दौरान राज्य का सकल व्यय के सापेक्ष में विकास व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.25: विकास व्यय

(₹ करोड़ में)

विकास व्यय के घटक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	
					बजट अनुमान	वास्तविक
विकास राजस्व व्यय	24,038 (62)	29,541 (64)	32,392 (63)	35,518 (61)	45,224	41,995 (63)
विकास पूँजीगत व्यय	4,392 (11)	6,287 (14)	7,582 (15)	9,283 (16)	13,980	9,698 (15)
विकास ऋण एवं अग्रिम	1,309 (03)	78 (0.17)	164 (0.32)	273 (0.47)	265	169 (0.25)
कुल विकास व्यय	29,739 (77)	35,906 (78)	40,138 (77)	45,074 (78)	59,469	51,862 (78)
सकल व्यय (आरई+सीई+एल एवं ए)	38,757	46,195	51,811	57,968		66,600

कोष्ठक में दिये गये आँकड़े कुल व्यय का प्रतिशत दर्शाता है।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.7.3 चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

तालिका 1.26 में पूँजीगत व्यय तथा राजस्व व्यय के घटक जो चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के अनुरक्षण पर व्यय के विवरण को प्रदर्शित करता है।

तालिका 1.26: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की कुशलता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना	2016-17			2017-18		
	सी.ई का टी.ई से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में		सी.ई का टी.ई से अनुपात	राजस्व व्यय के अंश में	
		अनुरक्षण व्यय	वेतन एवं मजदूरी		अनुरक्षण	वेतन एवं मजदूरी
सामाजिक सेवाएं						
सामान्य शिक्षा	0.89	0.11	34.44	1.00	0.12	36.56
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.56	0.63	44.23	0.60	0.65	43.10
जल आपूर्ति, स्वच्छता एवं आवास एवं शहरी विकास	1.89	0.98	3.29	1.64	0.66	2.57
कुल सामाजिक सेवाएं जिनमें	4.24	0.48	27.68	3.98	0.34	28.13
आर्थिक सेवाएं						
कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	0.16	0.64	18.72	0.13	0.48	16.61
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	3.26	4.95	47.42	2.52	11.63	51.70
कुल आर्थिक सेवाएं जिनमें	11.77	2.52	14.27	10.58	2.44	12.72

(स्रोत: विगत वर्षों के वित्त लेखे) टी.ई: संबंधित क्षेत्र में कुल व्यय; सी.ई: संबंधित क्षेत्र में पूँजीगत व्यय;

1.8 शासकीय व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

यह खण्ड शासन द्वारा किये गये निवेश एवं अन्य पूँजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

1.8.1 सिंचाई परियोजनाओं का वित्तीय परिणाम

13^{वें} एव 14^{वें} वित्त आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का आंकलन करने के लिए इन सिंचाई परियोजनाओं (राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ) पर लागत वसूली दर निर्धारित की थी। 2013-18 की अवधि के लिए राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की स्थिति तालिका 1.27 में दर्शायी गयी है।

तालिका 1.27: सिंचाई परियोजनाओं में लागत वसूली की स्थिति

वर्ष	राजस्व व्यय	राजस्व प्राप्तियाँ	13 ^{वें} एव 14 ^{वें} वित्त आयोग के लागत वसूली का आंकलन	राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ	लागत वसूली में अंतर
	₹ करोड़ में		प्रतिशत में		
2013-14	411.19	756.44	60	184	(-)124
2014-15	448.12	544.85	75	122	(-)47
2015-16	486.45	630.18	35	130	(-)95
2016-17	508.63	624.47	35	123	(-)88
2017-18	531.51	588.88	35	111	(-)76

राज्य सरकार ने वित्त आयोग के दिशानिर्देशों के तहत किसी सिंचाई परियोजना को वाणिज्यिक के रूप में घोषित नहीं की इसके पश्चात् भी लागत वसूली का हिस्सा अनुकूल हुई। छत्तीसगढ़ (-76 प्रतिशत) की सिंचाई परियोजनाओं की अंतराल लागत वसूली पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश (-47 प्रतिशत), एवं उत्तर प्रदेश (21 प्रतिशत) के तुलना में बेहतर थी।

अनुशांसा: राज्य सरकार वित्त आयोग की अनुशांसा के अनुसार लागत वसूली का आंकलन हेतु सिंचाई परियोजनाओं को वाणिज्यिक के रूप में घोषित करने के माध्यमों का उपयोग कर सकती है।

1.8.2 अपूर्ण परियोजनाएं

अपूर्ण परियोजनाओं की जानकारी जो 31 मार्च 2018 तक या उससे पहले पूर्ण होने थे, तालिका 1.28 में दर्शाई गई है।

तालिका 1.28 विभागवार अपूर्ण परियोजनाओं की रूपरेखा

विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	अनुमानित लागत	अपूर्ण परियोजनायें			31 मार्च 2018 को 110 अपूर्ण परियोजनाओं का संचयी व्यय	
			42 अपूर्ण परियोजनाओं की प्रारंभिक अनुमानित लागत संशोधित	42 अपूर्ण परियोजनाओं की संशोधित लागत	प्राक्कलित लागत के पुनरीक्षण के पश्चात् 42 अपूर्ण परियोजनाओं की कुल लागत		
			क्र.	राशि			
लोक निर्माण	16	479.20	4	234.97	737.22	502.25	633.83
जल संसाधन	94	3,233.18	38	1,467.10	3,808.11	2,341	3,433.02
योग	110	3,712.38	42	1,702.07	4,545.33	2,843.25	4,066.85

(स्रोत: वित्त लेख 2017-18)

अपूर्ण निर्माण कार्यों पर निधियों का अवरोधन नकारात्मक रूप से व्यय की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। परियोजना के निर्माण कार्य के पूर्णता में विलंब से लागत वृद्धि का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त इन परियोजनाओं के पूर्णता में विलंब के कारण

परियोजनाओं से नियत लाभ प्राप्त नहीं किये जा सके। चूंकि राज्य सरकार ने 68 अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का मूल्यांकन नहीं किया है, इसलिए राज्य द्वारा किये जाने वाले व्यय की वास्तविक राशि का पता नहीं लगाया जा सका। जिससे परियोजना का वांछित लाभ नहीं पाया जा सका।

अनुशंसा: लोक निर्माण विभाग एवं जल संसाधन विभाग सभी अपूर्ण परियोजनाओं की लागत का पुनर्मूल्यांकन कर सकते हैं और परियोजनाओं को समय पर पूरा होने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकते हैं।

1.8.3 निवेश एवं प्रतिफल

31 मार्च 2018 की स्थिति में, शासन ने 13 सरकारी कंपनियों ₹ 6,459.45 करोड़, 1523 सहकारी समितियों एवं स्थानीय निकायों (₹ 199.15 करोड़), दो सांविधिक निगमों (₹ 37.82 करोड़), एक ग्रामीण बैंक (₹ 25.15 करोड़) तथा पाँच संयुक्त स्टॉक कम्पनी (₹ 144.80 करोड़) में ₹ 6,866.37 करोड़ निवेश किया।

वर्ष 2013-18 के दौरान निवेश पर प्रतिफल की स्थिति तालिका 1.29 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.29: निवेश पर प्राप्त लाभांश/ब्याज

निवेश/प्रतिफल/उधार की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
वर्ष के अन्त में निवेश* (₹ करोड़ में)	1,866.44	1,872.53	6,192.22	6,778.60	6,866.37
निवेश पर प्रतिफल (₹ करोड़ में)	14.21	0.86	5.73	0.55	4.80
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत में)	0.76	0.05	0.09	0.01	0.07
शासकीय उधार पर औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	6.12	6.16	6.25	6.62	6.38
ब्याज दर एवं प्रतिफल के बीच अंतर (प्रतिशत में)	5.36	6.11	6.16	6.61	6.31
बाजार ऋण के ब्याज दर एवं प्रतिफल पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर से हानि	100.04	114.41	381.44	448.07	433.27

* (वर्ष के अंत में निवेश मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच 31 मार्च 2018 तक के अविभाजित निवेश को शामिल नहीं करता है।)

पिछले पाँच वर्षों में राज्य शासन को शासकीय ऋण पर ब्याज एवं निवेश के प्रतिफल के अंतर के रूप में ₹ 1,477.23 करोड़ को हानि हुई। यह गौर करने की बात है कि निवेश पर खराब प्रतिफल के बावजूद भी वित्त विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को इक्विटी, ऋण, अनुदान/आर्थिक सहायता द्वारा नियमित रूप से बजटीय समर्थन प्रदान किया। यद्यपि इन्होंने अपने लेखों का अतिमीकरण नहीं किया।

अनुशंसा: राज्य शासन को उन कंपनियों/निगमों/बैंकों में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए, जिनका वित्तीय प्रदर्शन पूंजी की उधार लागत को पूरा नहीं करता है।

1.8.4 राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम

सहकारी समितियों, निगमों एवं कंपनियों में निवेशों के अतिरिक्त शासन इनमें से बहुत से संस्थाओं/संगठनों को भी ऋण तथा अग्रिम प्रदान करती रही है। विवरण तालिका 1.30 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.30: राज्य शासन द्वारा दिये गये ऋण पर प्राप्त औसत ब्याज

(₹ करोड़ में)

ऋणों की प्रमात्रा/ब्याज प्राप्ति/उधारियों की लागत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्रारंभिक शेष	1,864.72	1,545.99	1,395.41	1,273.96 ¹³	941.98 ¹⁴
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम	1,318.53	88.32	164.73	272.71	368.76
वर्ष के दौरान पुर्नभुगतान राशि	1,637.27	194.86	296.39	172.99	138.59 ¹⁵
अंतशेष	1,545.99	1,439.45	1,263.75	1,373.69	1,172.16
निवल वृद्धि	(-)318.74	(-)106.54	(-)131.66	99.72	230.17
ब्याज प्राप्ति	274.43	47.30	47.02	30.19	27.61
बकाया ऋणों तथा अग्रिमों के प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्ति	17.75	3.17	3.54	2.28	2.36
राज्य शासन के बकाया राजकोषीय देनदारियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	6.12	6.16	6.25	6.62	6.38
ब्याज प्राप्ति एवं ब्याज भुगतान में अंतर (प्रतिशत)	11.63	(-) 2.99	(-)2.71	(-)4.34	(-)4.02
बाजार ऋण के ब्याज दर एवं ऋण पर प्राप्त ब्याज के बीच अंतर से हानि	0.00	2.64	4.46	11.89	14.82

विगत पाँच वर्षों में (वर्ष 2013-14 छोड़कर) राज्य शासन को ऋण एवं अग्रिम पर प्राप्त ब्याज तथा ऋण पर दिये गये ब्याज के अंतर से ₹ 33.81 करोड़ की हानि हुई।

शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिमों का ब्योरा वित्त लेखे के विवरण 18 के खण्ड एक में विस्तृत विवरण किया गया है एवं इकाइयों का विस्तृत विवरण जिनके ऋण के पुर्नभुगतान का बकाया वित्त लेखे के विवरण 18 के खण्ड 2 में किया गया है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को उन कंपनियों/निगमों/बैंक में निवेश की समीक्षा करनी चाहिए जिनके वित्तीय प्रदर्शन पूँजी की उधारी लागत को भी पूरा नहीं करते हैं।

1.8.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

रोकड़ शेष तथा वर्ष के दौरान राज्य शासन द्वारा किये गए निवेश को तालिका 1.31 में प्रदर्शित किया गया है।

¹³ प्रधान महालेखाकार, मध्य प्रदेश के शेष प्राप्ति ₹ 10.21 करोड़ की बढ़ोतरी के कारण।

¹⁴ प्रारंभिक शेष में बदलाव (₹ 431.71 करोड़) प्रभाजित और नया रायपुर विकास प्राधिकरण को वर्ष 2006-07 में भूमि अधिग्रहण हेतु दिये गये ऋण का पूँजीगत व्यय में रूपांतरण, (₹ 438.00 करोड़), सरकारी कर्मचारियों के ऋण तथा अग्रिम में प्रभाजन के तहत शुद्ध वृद्धि (₹ 6.74 करोड़), सांविधिक निगमों (₹ 0.41 करोड़) और सहकारी समितियों/निगमों/बैंकों (₹ 0.03 करोड़) में शुद्ध कमी, के कारण हुआ।

¹⁵ छत्तीसगढ़ अधोसंरचना विकास निगम का ₹ 0.71 करोड़ का अपरिवर्तनीय ऋण तथा अग्रिम बट्टे खाते में डाला गया सम्मिलित।

तालिका 1.31: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	01 अप्रैल 2017 की स्थिति में प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2018 की स्थिति में अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
(1) कोषालय में रोकड़	0.00	0.00
(2) रिजर्व बैंक में जमा	339.18	637.60
(3) मार्गस्थ प्रेषण	0.00	0.00
कुल (1+2+3)	339.18	637.60
(4) "रोकड़ शेष निवेश लेखा" में किया गया निवेश	2,512.00	4,070.85
योग (अ) सामान्य रोकड़ शेष (1+2+3+4)	2,851.18	4,708.45
(ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश		
(1) विभागीय अधिकारियों जैसे वन तथा लोक निर्माण विभाग, राज्यपाल के सैनिक सचिव के पास रोकड़	8.70	10.28
(2) विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय के लिए स्थायी पेशगी राशियों	0.34	0.34
(3) विशिष्ट उद्देश्य हेतु निधियों का निवेश	1,798.63	2,085.84
कुल (ब) अन्य रोकड़ शेष और निवेश (1+2+3)	1,807.67	2,096.46
कुल (अ) तथा (ब)	4,658.85	6,804.91

(स्रोत: वित्त लेखे 2017-18)

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रोकड़ शेष को भारत सरकार के कोषालय देयकों में निवेश किया गया।

1.8.6 वित्त लेखे एवं भारतीय रिजर्व बैंक के रोकड़ शेष निवेश के आंकड़ों में विविधता

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों एवं केंद्रीय लेखे अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त जानकारी के जांच के दौरान यह पाया गया कि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के द्वारा किए गये रोकड़ शेष निवेश के मार्च 2018 के आंकड़ों एवं केंद्रीय लेखे अनुभाग, भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त रोकड़ शेष निवेश की जानकारी में ₹ 4.52 करोड़ की अंतर मौजूद है।

1.9 परिसंपत्तियाँ एवं दायित्व

1.9.1 परिसंपत्तियों एवं दायित्वों का वृद्धि तथा घटक

प्रचलित शासकीय लेखा प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली अचल परिसंपत्तियों जैसे भूमि और भवन का व्यापक लेखांकन नहीं किया जाता है। तथापि, सरकारी लेखे सरकार के वित्तीय दायित्वों तथा किये गये व्यय द्वारा सृजित परिसंपत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2017 की समरूप स्थिति की तुलना में 31 मार्च 2018 को ऐसे दायित्वों एवं परिसंपत्तियों के सार को **परिशिष्ट 1.3 (भाग ब)** में प्रस्तुत किया गया है। दायित्व में आंतरिक ऋण, भारत सरकार द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम, तथा लोक लेखे एवं आरक्षित निधि में प्राप्तियाँ सम्मिलित है। शासकीय संपत्ति में पूँजीगत व्यय, राज्य शासन द्वारा दी गई ऋण एवं अग्रिम तथा रोकड़ शेष सम्मिलित है।

1.9.3 आरक्षित निधि के अंतर्गत लेनदेन

राज्य शासन के लोक लेखे में 16 आरक्षित निधि विशेष उद्देश्यों हेतु बनाये गये हैं। विवरण तालिका 1.33 में दिया गया है:

तालिका 1.33: वर्ष 2017-18 के दौरान आरक्षित निधि की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखे का शीर्ष	01 अप्रैल 2017 को प्रारंभिक शेष क्रेडिट(+)/ डेबिट (-)	2017-18 के दौरान प्राप्ति	2017-18 के दौरान संवितरण	31 मार्च 2018 को अंतिम शेष क्रेडिट(+)/ डेबिट (-)
(क) ब्याज वाले आरक्षित निधि				
8121-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	693.20	263.04	780.69	175.55
योग (क) ब्याज वाले आरक्षित निधि	693.20	263.04	780.69	175.55
(ख) बिना ब्याज वाले आरक्षित निधि				
8222-निक्षेप निधि	1746.94	200.00	0.00	1,946.94
8223-अकाल राहत निधि	3.69	0.09	0.00	3.78
8228-राजस्व आरक्षित निधि	4.63	0.00	0.00	4.63
8229- विकास तथा कल्याण निधि ¹⁹	1,678.24	761.46	921.83	1,517.87
8235- सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	0.01	0	0	0.01
योग-(ख) बिना ब्याज वाले आरक्षित निधि	3,433.51	961.55	921.83	3,473.23
योग क एवं ख- आरक्षित निधि	4,126.71	1,224.59	1,702.52	3,648.78
आरक्षित निधि निवेश लेखा	(-)1,798.63	0	287.21	(-)2,085.84

(स्रोत: वित्त लेखे 2017-18)

सोलह आरक्षित निधि (₹ 3,648.78 करोड़ अंतिम शेष) में से 12 संचालित तथा चार असंचालित (₹ 18.99 करोड़ अंतिम शेष) वर्ष 2000-2001 तथा 2017-18 के बीच थे। राज्य शासन 31 मार्च 2018 तक ₹ 2,085.84 करोड़ (57.17 प्रतिशत) का निवेश का चूकी थी। असंचालित निधियों के विवरण तालिका 1.34 में दिये गये हैं।

तालिका 1.34: असंचालित आरक्षित निधियों के विवरण

आरक्षित निधि के नाम	31 मार्च 2018 को अंतिम शेष (₹ करोड़ में)	असंचालित वर्ष
8229- विकास एवं कल्याण निधि		
कृषि उद्देश्य हेतु विकास निधि	0.06 (क्रेडिट)	2000-01
वनीकरण हेतु क्षतिपूर्ति निधि	18.89 (क्रेडिट)	2008-09
शिक्षा हेतु विकास निधि	0.03 (क्रेडिट)	2011-12
8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि		
अन्य निधि	0.01 (क्रेडिट)	2000-01
योग	18.99 (क्रेडिट)	

¹⁹ प्रारंभिक शेष में घटाव ₹ 14.90 करोड़ वर्ष 2014-15 में, पर्यावरण उपकार निधि का खर्चा ₹ 12.90 करोड़ और वर्ष 2016-17 में अद्योसंरचना विकास उपकार निधि ₹ 2.00 करोड़ का खर्चा वहन करने से हुआ।

आगे, वर्ष 2001-02 में ग्रामीण विकास निधि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आरक्षित निधि गठित किया गया था, जिसका 31 मार्च 2018 में ₹ 214.76 करोड़ संचयी शेष था। परन्तु, शुरुआत से ही इस निधि से कोई व्यय नहीं किया गया है।

आरक्षित निधि में स्थानांतरण एवं संवितरण संचित निधि के उचित राजस्व एवं व्यय शीर्षों के डेबिट एवं क्रेडिट के माध्यम से होता है। जब यह रिज़र्व बैंक जमा सीधे या निवेश के माध्यम से प्रभावित करते हैं तभी यह वास्तविक रोकड़ हस्तांतरण दर्शाता है। चूंकि कोई वास्तविक नकद बहिर्वाह नहीं है, इसलिए आरक्षित निधि के खिलाफ छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिखाए गये ये लेनदेन केवल पुस्तक प्रविष्टियां हैं जो आरक्षित निधि के निर्माण और संचालन के तहत भावना का उल्लंघन करती हैं। उनका एकमात्र प्रभाव प्रासंगिक वर्षों के लिए एक अनुपयुक्त अनुकूल राजस्व आधिक्य राजकोषीय घाटे की स्थिति को दर्शाता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को आरक्षित निधि के तहत लेनदेन एवं शेष राशि की समीक्षा करनी चाहिए एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के साथ शेष राशि के वास्तविक निवेश करते हुए रोकड़ लेखांकन के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। राज्य सरकार को असंचालित निधि को बंद करने के लिए कार्रवाई शुरू करने की आवश्यकता है एवं निरंतरता से संचित निधि में शेष राशि को भेजना चाहिए।

1.9.4 राज्य आपदा राहत निधि

मार्च 2018 को राज्य आपदा राहत निधि का शेष ₹ 175.55 करोड़ था। राज्य आपदा राहत निधि की मार्गदर्शिका 2010 के कण्डिका 19 एवं 20 के तहत, राज्य कार्यकारी समिति द्वारा निधि के शेष को (क) केन्द्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियों में (ख) ऑक्शनड ट्रेजरी बिल एवं (ग) ब्याज युक्त जमा एवं अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के जमा प्रमाण पत्रों में निवेश किया जाना है और अर्जित ब्याज को संबंधित कोष में जमा किया जाना है।

मार्च 2018 में राष्ट्रीय आपदा राहत निधि से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 49.31 करोड़ राज्य आपदा राहत निधि को स्थानांतरित नहीं किया। जिसके कारण राजस्व आधिक्य को अधिक दर्शाया गया एवं राजकोषीय घाटे को कम दर्शाया गया। यद्यपि, जून 2018 में राशि राज्य आपदा राहत निधि को स्थानांतरित कर दिया गया था।

राज्य आपदा राहत निधि की मार्गदर्शिका के अनुसार, अधिविकर्षण पर भुगतान की जाने वाली दर पर सरकार को विनिवेश किए गए शेषों पर ब्याज (₹ 693.20 करोड़) का भुगतान करना आवश्यक था। तथापि, निधि के निर्माण के बाद से शासन ने राज्य आपदा राहत निधि को कोई ब्याज नहीं दिया। वर्ष 2010-18 की अवधि के लिए लागू दरों पर ब्याज ₹ 281.88 करोड़ का आंकलन किया गया है। इनमें से, सिर्फ वर्ष 2017-18 के लिए न चुकाया हुआ ब्याज ₹ 56.01 करोड़ था, जिसके कारण राजस्व आधिक्य को अधिक दर्शाया गया एवं राजकोषीय घाटे को कम दर्शाया गया। इस तरह के न चुकाये हुए ब्याज राज्य शासन की दायित्व को बढ़ाता है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को दिशानिर्देशों के अनुसार इस निधि के तहत शेष का निवेश करना चाहिए।

1.9.5 संचित निक्षेप निधि

12^{वें} वित्त आयोग के अनुशंसा में सभी ऋण जैसे बैंको से ऋण, राष्ट्रीय अल्प बचत निधि आदि के परिशोधन हेतु राज्य ने संचित निक्षेप निधि का गठन किया। साथ ही, 12^{वें} वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार वर्ष के शुरुआत में बकाया दायित्वों का न्यूनतम 0.50 प्रतिशत वार्षिक अंशदान निधि में स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी।

वर्ष 2017-18 के दौरान वर्ष के शुरुआत में छत्तीसगढ़ शासन को न्यूनतम ₹ 217.15 करोड़ (प्रारंभिक वर्ष में बकाया दायित्व ₹ 43,430.86 करोड़ का 0.50 प्रतिशत) वार्षिक

अंशदान, निधि में स्थानांतरण करने की आवश्यकता थी, इसके बदले छत्तीसगढ़ शासन ने ₹ 200 करोड़ हस्तांतरण किया। राज्य सरकार द्वारा 17.15 करोड़ का कम योगदान किया गया जिसके कारण राजस्व आधिक्य अधिक एवं राजकोषीय घाटा कम प्रदर्शित हुआ। संचित निक्षेप निधि (निवेश लेखा) में वर्ष 2006-07 से 2017-18 के दौरान ₹ 1,946.94 करोड़ शेष रहा।

अनुशंसा: छत्तीसगढ़ शासन को 12^{वीं} वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार जरूरत राशि के ऋण मुक्ति हेतु संचित निक्षेप निधि में स्थानांतरित करना चाहिये।

1.9.6 प्रत्याभूति की स्थिति-आकस्मिक दायित्व

अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा प्रत्याभूति दिया गया था एवं पिछले पाँच वर्षों से लंबित प्रत्याभूति तालिका 1.35 में दिया गया है।

तालिका 1.35: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दी गई प्रत्याभूति

(₹ करोड़ में)					
प्रत्याभूतियाँ	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्रत्याभूति की अधिकतम राशि	7,571.99	9,080.06	14,883.41	12,641.13	6,549.89
प्रत्याभूति की बकाया राशि	3,358.27	2,314.47	1,988.24	3,982.97	3,881.92

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

मार्च 2018 के अंत तक ₹ 3,881.92 करोड़ की प्रत्याभूति बकाया थी। आकस्मिक दायित्वों के रूप में प्रत्याभूतियों की लंबित राशि राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 6.51 प्रतिशत था। राज्य के एफआरबीएम अधिनियम में यह प्रावधान शामिल किया गया है कि राज्य शासन सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत से नई प्रत्याभूति नहीं देगा। नई प्रत्याभूतियाँ (₹ 349.19 करोड़) एफआरबीएम अधिनियम द्वारा निर्धारित सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.5 प्रतिशत (0.12 प्रतिशत) में थी।

12^{वीं} वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन को वर्ष के शुरुआत में बकाया प्रत्याभूति के 0.50 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक योगदान के साथ एक प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करने की आवश्यकता थी। तदनुसार राज्य शासन को प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करने की आवश्यकता थी एवं वर्ष 2005-06 से 2017-18 के दौरान ₹ 132.51 करोड़ का स्थानांतरण करना था, जिसमें से ₹ 19.91 करोड़ केवल वर्ष 2017-18 संबंधित है। राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अधिकांश प्रत्याभूतियाँ मध्यम एवं कम जोखिम प्रकृति के होने के कारण वित्त आयोग के अनुशंसा के विपरीत प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन नहीं किया।

तथापि, शासन को प्रत्याभूति की जोखिम का मूल्यांकन करने के बाद प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करना चाहिए एवं निधि की ओर योगदान की मात्रा तय करनी चाहिए।

वर्ष 2017-18 के दौरान प्रत्याभूति शुल्क के तौर पर ₹ 11.67 करोड़ के विरुद्ध ₹ 5.00 करोड़ की वसूली हुई जिसका मुख्य कारण छत्तीसगढ़ विपणन संघ रायपुर (₹ 6.67 करोड़) से कम प्राप्ति होना है।

अनुशंसा: राज्य शासन को 12^{वीं} वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार प्रत्याभूति की जोखिम का मूल्यांकन करने के बाद प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन करना चाहिए एवं निधि की ओर योगदान की मात्रा तय करनी चाहिए।

1.9.6.1 आफ बजट दायित्व

छत्तीसगढ़ शासन वर्ष 2014 में छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (सी.एस. पी.डी.सी.एल.) के पक्ष में निजी प्लेसमेंट बांड द्वारा ₹ 500 करोड़ के लिए प्रत्याभूति जारी किया। जिसमें से वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य शासन ने ₹ 300 करोड़ ग्रामीण विद्युतीकरण में उपयोग किया, जो किसी अन्य योजना के तहत नहीं था। छत्तीसगढ़

शासन द्वारा, इस बांड पर मूलधन तथा ब्याज का भुगतान करने की बात कही गई थी। जिसके तहत, सी.एस.पी.डी.सी.एल. के कर्ज के भुगतान का दायित्व पूरा छत्तीसगढ़ शासन पर हुआ।

इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा (वर्ष 2017) में, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल (सी.एच.बी.) को बैंक से ₹ 800 करोड़ लेने हेतु 0.5 प्रतिशत प्रत्याभूति फीस के साथ प्रत्याभूति दिया था।

छत्तीसगढ़ शासन इस संबंध में आवास एवं पर्यावरण विभाग, (एच.ई.सी.जी.) से समझौते अनुसार, सी.एच.बी. 6424 आवसीय दर का सरकारी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए निर्माण करेगी। इसके लिए सी.एच.बी. बैंक से कर्ज लेगी और एच.ई.सी.जी. मूलधन और ब्याज का भुगतान कर्ज पर वास्तविक यथास्थिति में करेगी। वर्ष 2017-18 के दौरान सी.एच.बी. ₹ 161.02 करोड़ का कर्ज कनेरा बैंक से लिया। वर्ष के दौरान एच.ई.सी.जी. ने कोई भुगतान नहीं किया। अतः छत्तीसगढ़ शासन पर ₹ 161.02 करोड़ का दायित्व बन गया।

इसी तरह, छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ पुलिस हाऊसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (सी.पी. एच.सी.एल.) को पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों के लिए 10,000 आवसीय घर निर्माण हेतु ₹ 800 करोड़ का कर्ज बैंक से लेने प्रत्याभूति जारी किया। वर्ष 2017-18 के दौरान सी.पी.एच.सी.एल. ₹ 170.15 करोड़ का कर्ज हासिल किया (इलाहाबाद बैंक से ₹ 132.63 करोड़ और कनेरा बैंक से ₹ 37.52 करोड़) छत्तीसगढ़ शासन ने सी.पी.एच.सी.एल. से संबंधित कर्ज हेतु वार्षिक बजट में ₹ 100 करोड़ के प्रावधान को पारित कर दिया। इस प्रभाव से, सी.एस.पी.डी.सी.एल, सी.एच.वी. और सी.पी.एच.सी.एल. के कर्ज के भुगतान का दायित्व छत्तीसगढ़ शासन पर हुआ। परिणामस्वरूप, छत्तीसगढ़ शासन का दायित्व ₹ 631.17 करोड़ कम आंका गया।

अनुशंसा: कर्ज की प्रभावी देनदारी छत्तीसगढ़ शासन के लेखा में दर्शित होना चाहिए।

1.10 ऋण प्रबंधन

1.10.1 ऋण प्रारूप

यह खण्ड राज्य शासन के ऋण स्थिरीकरण²⁰; गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता²¹; उधार ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता²² ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान के राजस्व प्राप्तियों से अनुपात के रूप में मापा गया) तथा राज्य शासन के प्रतिभूतियों के परिपक्वता की रूपरेखा के संदर्भ में ऋण धारणीयता²³ का मुल्यांकन करता है।

1.10.2 ऋण धारणीयता

तालिका 1.36 2013-14 से शुरू विगत पाँच वर्ष की अवधि के लिए इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करता है।

²⁰ स्थायित्व की आवश्यक शर्त है कि यदि आर्थिक वृद्धि दर, ब्याज दर अथवा लोक उधारों की लागत से अधिक है, तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थिर रहेगा बशर्ते प्रारम्भिक अवशेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा मामूली ऋणात्मक हो। दिये गये दर विस्तार (स.रा.घ.उ. वृद्धि पर-ब्याज पर) एवं प्रमात्रा विस्तार (ऋण दर विस्तार), ऋण धारणीयता की स्थिति यह बताती है कि यदि प्राथमिक घाटे के साथ-साथ प्रमात्रा विस्तार शून्य हो तो, ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात स्थायी होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर रहेगा। दूसरे रूप में, यदि प्रमात्रा विस्तार के साथ-साथ प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है, ऋण-स.रा.घ.उ. का अनुपात बढ़ेगा और यदि धनात्मक है तो ऋण-स.रा.घ.उ. अनुपात में तदनुसार कमी/गिरावट आयेगी।

²¹ राज्य के वृद्धिजन्य ब्याज दायित्वों एवं वृद्धिजन्य प्रारम्भिक व्यय की प्राप्ति के लिए वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता है। ऋण धारणीयता पर्याप्त रूप में सुसाध्य हो सकती है यदि वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों से वृद्धिजन्य ब्याज भार तथा वृद्धिजन्य प्राथमिक व्यय की पूर्ति हो सके।

²² उधार ली गई निधियों की निवल उपलब्धता को, कुल ऋण प्राप्तियों से ऋण विमोचन (मूलधन + ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा सूचित करता है कि किस सीमा तक ऋण प्राप्तियों ऋण विमोचन के लिए उपयोग में लाई गईं। यही उधार ली गई निधियों की उपलब्धता दर्शाती है।

²³ ऋण धारणीयता एक समयावधि में ऋण-स.रा.घ.उ. के अनुपात को स्थिर बनाये रखने की राज्य की योग्यता के रूप में परिभाषित है और इनके ऋणों को चुकाने की क्षमता के बारे में चिंता को भी सम्मिलित करता है। अतः ऋण के धारणीयता का चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को चुकाने के लिए तरल परिसम्पत्तियों की पर्याप्तता और अतिरिक्त उधारों की लागत का इन उधारों के प्रतिलाभ के साथ संतुलन बनाये रखने की क्षमता से भी संबंध है। इसका तात्पर्य है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि ऋण चुकाने की क्षमता में वृद्धि के समरूप होना चाहिये।

तालिका 1.36: ऋण धारणीयता: सूचकांक एवं प्रवृत्तियाँ

ऋण धारणीयता के सूचकांक	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बकाया ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	12.04	14.01	16.11	16.88	18.14
वृद्धिजन्य गैर ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता (संसाधन अंतर) (₹ करोड़ में)	(-)2,405	(-) 2,196,41	2,563.71	1,396.51	(-)2,762
राज्य को शुद्ध ऋण की उपलब्धता (₹ करोड़ में)	4,283	4,551	4,687	3,003	5,550
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति)	0.04	0.05	0.05	0.05	5.19

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.10.3 राज्य ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा

राज्य ऋण के परिपक्वता की रूपरेखा वर्ष 2017-18 तालिका 1.37 में दिया गया है।

तालिका 1.37: राज्य ऋण के परिपक्वता

वर्ष	राशि (₹ करोड़ में)	प्रतिशत
0 से 1	1,216.24	3.12
1 से 3	3,543.85	9.08
3 से 5	4,248.51	10.89
5 से 7	9,258.09	23.72
7 से 9	10,090.75	25.85
9 और उस से अधिक	10,672.56	27.34
योग	39,030.01	100.00

(स्रोत: वित्त लेखे 2017-18)

31 मार्च 2018 में राज्य ऋण की परिपक्वता की रूपरेखा दर्शाती है कि, राज्य को 9 साल के अंदर 72.66 प्रतिशत ऋण का भुगतान करना पड़ेगा। आगे यह भी दर्शाता है कि राज्य का अगले सात से 9 साल जो कि वित्तीय वर्ष 2025 से 2027 के दौरान 10,090.75 करोड़ (कुल दायित्व का 25.85 प्रतिशत) ऋण का भुगतान करना है।

तालिका 1.38: उधार ली गई निधियों की शुद्ध उपलब्धता

ब्यौरे	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
लोक ऋण एवं अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियाँ ²⁴ (₹ करोड़ में)	10,310	11,914	12,902	11,804	15,851
लोक ऋण एवं अन्य दायित्व के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज) ²⁵ (₹ करोड़ में)	6,027	7,363	8,215	8,801	10,301
निधियों की शुद्ध उपलब्धता (₹ करोड़ में)	4,283	4,551	4,687	3,003	5,550
लोक ऋण एवं अन्य दायित्व के अंतर्गत प्राप्तियों से निधियों की शुद्ध उपलब्धता का प्रतिशत	41.54	38.20	36.33	25.44	35.01

उक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि ऋण ली गई निधियों की 64.99 प्रतिशत दायित्वों के निर्वहन के लिए उपयोग किया एवं इसका उपयोग राज्य के पूँजी निर्माण/विकास गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सका। पड़ोसी राज्य झारखण्ड (22.24 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (17.27 प्रतिशत) एवं मध्य प्रदेश (13.37 प्रतिशत) की तुलना में छत्तीसगढ़ (35.01 प्रतिशत) राज्य की ऋण निधियों की शुद्ध उपलब्धता ज्यादा थी।

²⁴ कुल प्राप्तियाँ ₹ 15,851 करोड़ = आंतरिक कर्ज ₹ 9,188 करोड़ भारत सरकार का ऋण ₹ 465 करोड़ और अन्य कर्तव्य ₹ 6,198 करोड़।

²⁵ कुल वापसी ₹ 10,301 करोड़ = आंतरिक कर्ज के सापेक्ष मूलधन और ब्याज ₹ 3,302 करोड़, भारत सरकार का ऋण ₹ 306 करोड़ और अन्य दायित्व का निर्वहन ₹ 6,693 करोड़।

द्वितीय अध्याय
वित्तीय प्रबंधन
एवं
बजट नियंत्रण

द्वितीय अध्याय

वित्तीय प्रबंधन तथा बजटीय नियंत्रण

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए विनियोग की लेखापरीक्षा का निष्पादन करते हैं कि क्या बजट के अन्तर्गत विभिन्न अनुदानों के तहत वास्तविक व्यय उस वर्ष के लिए स्वीकृत विनियोग अधिनियम के तहत दिए गए प्राधिकरणों के अन्तर्गत भारित किया जाना चाहिए तब भारित किया गया है तथा इस प्रकार किया गया व्यय विधि संबंधित नियमों, अधिनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप है।

2.1 विनियोग लेखे का सारांश

वर्ष 2017-18 के दौरान 71 अनुदानों/विनियोगों के विरुद्ध वास्तविक व्यय का सारांश तालिका 2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.1 कुल बजट प्रावधानों की तुलना में वास्तविक व्यय की स्थिति का सारांश

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल अनुदान/विनियोग	वास्तविक व्यय	बचत	समर्पण की राशि	31 मार्च को किए गए समर्पण की राशि	31 मार्च को किए गए समर्पण की राशि का बचत राशि से प्रतिशत
दत्तमत	I राजस्व	58,776.18	6,217.44	64,993.61	53,549.30	11,444.31	9,288.40	9,263.22	80.94
	II पूंजीगत	16,113.32	951.83	17,065.15	11,048.94	6,016.21	3,233.54	3,218.58	53.50
	III ऋण तथा अग्रिम	366.40	230.50	596.90	369.83	227.06	225.24	225.24	99.20
	कुल दत्तमत	75,255.90	7,399.77	82,655.66	64,968.07	17,687.58	12,747.18	12,707.04	71.84
भारित	IV राजस्व	3,757.47	235.97	3,993.45	3,720.18	273.27	212.57	212.56	77.78
	V पूंजीगत	28.02	4.50	32.52	24.17	8.35	1.07	1.07	12.81
	VI लोक ऋण	1,917.38	0.00	1,917.38	999.88	917.50	917.50	917.50	100.00
	कुल भारित	5,702.87	240.47	5,943.35	4,744.23	1,199.12	1,131.14	1,131.13	94.33
	कुलयोग	80,958.77	7,640.24	88,599.01	69,712.30	18,886.71	13,878.32	13,838.17	73.27

(स्रोत: विनियोग लेखे 2017-18)

वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बचत ₹ 18,886.71 करोड़¹ (कुल अनुदान/विनियोग का 21.32 प्रतिशत) रहा, जिसमें से बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा ₹ 5,008.39 करोड़ (कुल बचत का 26.52 प्रतिशत) को कालातीत होने दिया गया। 31 मार्च 2018 को शेष बचत ₹ 13,878.32 करोड़ में से ₹ 13,838.17 करोड़ समर्पित किया गया, जिससे अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए इन निधियों के उपयोग का कोई संभावना नहीं रह गया। यह चिंता का एक गंभीर कारण है और प्रभावी बजटीय नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग की विफलता को इंगित करता है। सरकार मूल प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकती थी, इसलिए, ₹ 7,640.24 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक था।

अनुशंसा: सभी पूर्वानुमानित बचत का समर्पण समय पर किया जाना चाहिए ताकि निधियों का उपयोग विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

¹ कुल बचत ₹ 18,889.32 करोड़ है और अतिरिक्त व्यय ₹ 2.61 करोड़ है, जिसके परिणाम स्वरूप वास्तविक बचत ₹ 18,886.71 करोड़ है।

2.2 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबंधन

2.2.1 पिछले वर्षों (2000-01 से 2017-18) से संबंधित प्रावधानों में अतिरेक व्यय का नियमितीकरण की आवश्यकता है

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को राज्य विधानमण्डल द्वारा अनुदान/विनियोग में अतिरेक व्यय को नियमित कराना अनिवार्य है।

वर्ष 2000-01 से 2016-17 के लिए प्रावधानों पर ₹ 3,257.55 करोड़ का अतिरिक्त व्यय अब भी (सितंबर 2017) नियमित नहीं किया गया है, जिसे परिशिष्ट 2.1 में दर्शाया गया है।

इसके अलावा, 2017-18 के दौरान भी हुए अतिरेक व्यय का नियमितीकरण किया जाना है जो कि तालिका 2.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.2: वर्ष 2017-18 के दौरान प्रावधान से अधिक व्यय जिनका नियमितीकरण की आवश्यकता है

(₹ करोड़ में)						
स. क्र.	मांग सं.	अनुदान का नाम	कुल मांग/विनियोग	वास्तविक व्यय	अतिरेक राशि जिसका नियमितीकरण आवश्यक है	समर्पण राशि
राजस्व दत्तमत						
1	49	अनुसूचित जाति कल्याण	5.73	6.25	0.52	1.47
2	50	बीस सूत्रीय योजना क्रियान्वयन विभाग	2.00	2.74	0.74	0.50
राजस्व प्रभारित						
3	14	पशुपालन विभाग	®0.00	0.02	0.02	0.00
4	33	आदिवासी कल्याण	0.05	0.39	0.34	0.00
5	55	महिला एवं बाल विकास	*0.00	0.01	0.01	0.00
पूँजीगत/दत्तमत						
6	6	वित्त विभाग	0.10	1.08	0.98	0.00
योग			7.88	10.49	2.61	1.97

® प्रारंभ में ₹ 20,000 की टोकन राशि का प्रावधान किया गया था।

* प्रारंभ में ₹ 10,000 की टोकन राशि का प्रावधान किया गया था।

(स्रोत: विनियोग लेखे 2017-18)

अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विभाग और नियोजन, आर्थिक और सांख्यिकीय विभाग द्वारा 31 मार्च 2018 को ₹ 2.61 करोड़ की अंतिम अधिकता के बावजूद, ₹ 1.97 करोड़ समर्पण किया गया, जो अवास्तविक और अनुचित था।

अनुशंसा: राज्य सरकार को अतिरिक्त व्यय के सभी मौजूदा मामलों को अति शीघ्र नियमित करने की आवश्यकता है और भविष्य में अत्यन्त एवं चरम आपात स्थिति के मामले, जिनका व्यय केवल आकस्मिक निधि से पूरा किया जा सके, को छोड़कर इस तरह के व्यय को पूरी तरह से रोका जाना चाहिए।

2.2.2 सतत् अतिरेक व्यय

विगत तीन वर्षों में छह अनुदानों/विनियोगों के तहत 10 उप-शीर्षों में प्रावधान से अधिक सतत् अतिरेक व्यय पाया गया। इन उप-शीर्षों/योजनाओं के तहत इस वर्ष किए गए अतिरिक्त व्यय तालिका 2.3 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 2.3 सतत् अतिरेक व्यय

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मांग सं.	उप-शीर्षों के नाम	2015-16	2016-17	2017-18
1	03	2055-113-7494- छत्तीसगढ़ पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन	1.33	1.00	2.00
2	06	2235-60-200-7000-पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति	3.36	3.39	3.98
3	07	2030-02-102-2455- न्यायिकतर स्टांप की ब्रिकी पर व्यय	7.90	5.71	1.89
4		2030-01-101-4612- स्टाम्पों की लागत	4.11	3.64	2.13
5	13	2401--108-0701-7267- एन.एम.एस.ए. स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट योजना	1.24	1.01	4.25
6	19	2071-01-800-5499- सेवा निवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा	2.11	3.21	2.16
7		2210-03-198-0101-620- उप स्वास्थ्य केंद्र	4.75	22.95	15.05
8	41	2210-03-198-0102-2777-प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र	1.77	3.08	4.76
9		2210-03-198-0102-620- उप स्वास्थ्य केंद्र	6.19	20.00	19.45
10	58	2245-01-101-2018-नगद दान	171.42	7.81	4.88
योग					

(स्रोत: 2015-16 से 2017-18 तक के विनियोग लेखे)

अनुशंसा: वित्त विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई भी बजट नियंत्रण अधिकारी राज्य विधानमण्डल द्वारा अनुमोदित नियमित आवंटन से अतिरिक्त व्यय न करे तथा इसके लिये जो जिम्मेदार हैं उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करनी चाहिए।

2.2.3 योजनाओं के तहत अतिरेक व्यय

कुल 33 प्रकरणों में विभिन्न उपशीर्षों के अन्तर्गत ₹ 1,110.16 करोड़ का व्यय हुआ जो प्रत्येक प्रकरण में स्वीकृत प्रावधान से ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक है जिसका विवरण परिशिष्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

2.2.4 बचत

पिछले पांच वर्षों के दौरान सरकार अपने मूल बजट प्रावधान का उपयोग नहीं कर सकी और प्रत्येक वर्ष कई अनुपूरक प्रावधानों का सहारा लिया जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक वर्ष भारी मात्रा में बचत हुई। इसी अवधि के दौरान समग्र बचत 19.95 प्रतिशत से 26.88 प्रतिशत के बीच रही, जबकि मूल प्रावधान से बचत 13.04 प्रतिशत से 19.53 प्रतिशत के बीच तालिका 2.4 में दर्शाए गए हैं। यह इंगित करता है कि सरकार द्वारा किए गए बजट प्रावधान अतिरंजित थे और अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक थे।

तालिका 2.4: पिछले पाँच वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के समग्र बजट की बचत

वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल	वास्तविक व्यय	कुल बचत	कुल बचत प्रतिशत	मूल प्रावधान से बचत	मूल प्रावधान से बचत की प्रतिशत
2013-14	46,097.75	3,981.77	50,079.52	40,086.72	9,992.80	19.95	6,011.03	13.04
2014-15	57,149.83	3,052.58	60,202.41	48,187.92	12,014.49	19.96	8,961.91	15.68
2015-16	67,545.90	6,793.63	74,339.53	54,353.86	19,985.67	26.88	13,192.04	19.53
2016-17	73,996.33	6,205.99	80,202.32	60,470.82	19,731.50	24.60	13,525.51	18.28
2017-18	80,958.77	7,640.24	88,599.01	69,712.30	18,886.71	21.32	11,246.47	13.89

2.2.4.1 अनुदान और विनियोग के तहत बचत

कुल ₹ 18,886.71 करोड़ की कुल बचत में से ₹ 17,075.65 करोड़ की बचत 39 अनुदान और दो विनियोग के तहत हुई, जिसमें हरेक अनुदान/विनियोग में कुल ₹ 100 करोड़ राशि से अधिक की बचत हुई जो कि वर्ष के दौरान कुल बचत का 90.41 प्रतिशत है। यह परिशिष्ट 2.3 में विस्तृत है। उनमें से सात अनुदानों और एक विनियोग के तहत बचत ₹ 500 करोड़ से अधिक थी।

2.2.4.2 योजनाओं के तहत बचत

विनियोग लेखापरीक्षा से पता चला कि 18 अनुदानों/विनियोगों से संबंधित 36 मामलों में ₹ 8,684.22 करोड़ की बचत हुई थी और प्रत्येक मामले में ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत हुई जो कि कुल प्रावधानों के 10 प्रतिशत से भी अधिक था। यह परिशिष्ट 2.4 में दर्शाया गया है।

वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 1,613 संचालित उप-शीर्षों में ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत 47 योजनाओं में देखी गई, जिनका विवरण परिशिष्ट 2.5 में दिखाया गया है। इन 47 योजनाओं के तहत कुल ₹ 40,438.15 करोड़ की राशि का बजट रखा गया था, लेकिन केवल ₹ 28,467.68 करोड़ खर्च किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 11,970.47 करोड़ की बचत हुई, जो समग्र बचत का 63.38 प्रतिशत है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को वास्तविक जरूरत के अनुसार बजट तैयार करना चाहिए और उसका अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

2.2.5 अनुदानों के अंतर्गत सतत् बचत

वर्ष 2013-14 से 2017-18 की अवधि के दौरान 24 अनुदानों के तहत 29 प्रकरणों में ₹ 20 करोड़ से अधिक की लगातार बचत और प्रत्येक मामले में बजट प्रावधान का 10 प्रतिशत से अधिक था जैसा कि परिशिष्ट 2.6 में दिखाया गया है। अनुदानों का बचत कुल बजट का 10.15 और 89.66 प्रतिशत के बीच थी जो इंगित करती है कि बजट यथार्थवादी नहीं था। चार मामलों में प्रत्येक प्रावधान में 30 प्रतिशत से अधिक की लगातार बचत हुई।

यह पहले की राज्य वित्त रिपोर्टों में बताया गया था, लेकिन समस्या अभी भी बनी हुई है।

अनुशांसा: वित्त विभाग को मासिक व्यय की ज्यादा कारगर समीक्षा करनी चाहिए ताकि सभी अनुमानित बचत का समर्पण समय पर हो।

2.2.6 उप शीर्षों के तहत समग्र बजट प्रावधान का उपयोग ही नहीं किया गया

कुल 23 अनुदानों और दो विनियोगों के अंतर्गत 53 प्रकरणों में विभिन्न उपशीर्षों के लिए किए गए ₹ 10 करोड़ या उससे अधिक के समग्र प्रावधान ₹ 2,576.02 करोड़ का कोई भी उपयोग नहीं हुआ। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.7** में दिया गया है।

2.2.7 अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत अनुपूरक प्रावधान

अ) अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

कुल 35 अनुदानों के अंतर्गत 53 प्रकरणों में, वर्ष में एक करोड़ या उससे अधिक अनुपूरक प्रावधान का योग ₹ 3,487.80 करोड़ था जो अनावश्यक साबित हुआ, क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.8** में दर्शाया गया है।

ब) अतिरिक्त अनुपूरक प्रावधान

नौ अनुदानों और एक विनियोग में ₹ 1,700.81 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध, ₹ 3,944.15 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अत्यधिक साबित हुआ। प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की अतिरिक्त परिणामी बचत ₹ 2,243.34 करोड़ को **परिशिष्ट 2.9** में दर्शाया गया है।

अनुशांसा: राज्य सरकार को वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अनुपूरक बजट तैयार करना चाहिए ताकि अनुपूरक प्रावधान अधिक यथार्थवादी हो।

2.2.8 उप शीर्षों/योजनाओं के अन्तर्गत अनुपूरक प्रावधान

अ) अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 18 अनुदानों के अंतर्गत 42 प्रकरणों में प्राप्त ₹ 772.31 करोड़ के प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक के अनुपूरक प्रावधान पूरी तरह से अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम था। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.10** में दर्शाया गया है।

ब) अतिरिक्त अनुपूरक प्रावधान

कुल 23 अनुदानों के अंतर्गत 44 प्रकरणों में ₹ 3,877.46 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 4859.31 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अतिरिक्त सिद्ध हुए। प्रत्येक प्रकरण में परिणामी बचत ₹ एक करोड़ या उससे अधिक का कुल योग ₹ 982.45 करोड़ है जिसे **परिशिष्ट 2.11** में दर्शाया गया है।

स) अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

कुल 7 अनुदानों के अंतर्गत 9 प्रकरणों में ₹ 580.05 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता के विरुद्ध ₹ 209.38 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त सिद्ध हुए। प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की परिणामी कमी का कुल योग ₹ 370.67 करोड़ है जिसे **परिशिष्ट 2.12** में दर्शाया गया है।

2.2.9 निधियों का अतिरेक/ अनावश्यक /अपर्याप्त पुनर्विनियोजन

परिशिष्ट 2.13 में विस्तृत 11 अनुदानों के तहत 23 उपशीर्षों/योजनाओं में पुनर्विनियोजन के बाद ₹ 10 करोड़ से अधिक की अतिरेक/बचत थी। यह इंगित करता है कि अनुमानों का उचित मूल्यांकन नहीं किया गया था, क्योंकि पुनर्विनियोजन के माध्यम से धन निकालने/जमा करने के बाद भी, अनुदानों में अंतिम बचत/अतिरेक थे।

2.2.10 वास्तविक बचत से अधिक समर्पण

कुल 18 प्रकरणों में (प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 लाख या अधिक) वास्तविक बचत से अधिक राशियों का समर्पण इन विभागों में अपर्याप्त बजटीय नियंत्रण को दर्शाता है। कुल बचत ₹ 2,478.11 करोड़ के विरुद्ध ₹ 2,661.81 करोड़ समर्पित किया गया जिसके फलस्वरूप ₹ 183.70 करोड़ का अधिक समर्पण हुआ। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 2.14** में दिया गया है।

अनुशंसा: बजट नियंत्रण अधिकारियों को धन के समर्पण के पूर्व उनके साथ उपलब्ध शेष राशि का आंकलन करना चाहिए।

2.2.11 पूर्वानुमानित बचत का समर्पण नहीं किया जाना

पाँच अनुदानों और तीन विनियोगों के तहत 10 प्रकरणों के प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ से अधिक का बचत हुआ परंतु सम्बंधित विभाग द्वारा उसका कोई भी भाग समर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में ₹ 2664.22 करोड़ की राशि शामिल थी जो कुल बचत ₹ 18,886.71 करोड़ का 14.11 प्रतिशत है, जिसे **परिशिष्ट 2.15** में दर्शाया गया है।

इसी प्रकार, 20 अनुदानों एवं 1 विनियोग (समर्पण के बाद प्रत्येक प्रकरण में ₹ एक करोड़ या उससे अधिक की बचत) के तहत 27 प्रकरणों में ₹ 6,678.76 की बचत में से ₹ 2,569.32 करोड़ की प्रावधानित राशि (उपरोक्त बचतों का 38.47 प्रतिशत) का समर्पण नहीं किया गया जिसे **परिशिष्ट 2.16** में दर्शाया गया है।

अनुशंसा: सभी पूर्वानुमानित बचत का समर्पण समय पर किया जाना चाहिए ताकि, निधियों का उपयोग अन्य विकासात्मक उद्देश्यों के लिए किया जा सके।

2.2.12 व्यय का अतिवेग

मध्यप्रदेश बजट नियमावली (छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अनुसरित) की कण्डिका 92 के अनुसार, विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय की अतिवेग से बचना चाहिए। इसके विपरीत 31 मुख्य शीर्षों में 2017-18 की अंतिम तिमाही के दौरान ₹ 3,020.05 करोड़ का व्यय हुआ, जो कि इन शीर्षों के तहत कुल व्यय ₹ 4,574.82 करोड़ का 66.01 प्रतिशत है जिसे **परिशिष्ट 2.17** में दर्शाया गया है। इसका कुल व्यय ₹ 1,951.48 करोड़ (42.66 प्रतिशत) वर्ष 2018 के मार्च माह में हुआ।

वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में व्यय का अतिवेग सार्वजनिक धन के दुरुपयोग एवं अस्वास्थ्यकर प्रथाओं के जोखिम को बढ़ाता है। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय का अतिवेग समझदार वित्तीय प्रबंधन नहीं है और बजट मैनुअल के प्रावधान के विरुद्ध है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष के अंत के दौरान व्यय के अतिवेग को नियंत्रित करना चाहिए।

2.2.13 विनियोग लेखे में भिन्नताओं के कारण प्रदान नहीं किए गए

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 88,599.01 करोड़ की कुल अनुदान या विनियोग राशि और ₹ 69,712.30 करोड़ के व्यय के बीच ₹ 18,886.71 करोड़ का महत्वपूर्ण अन्तर है। ₹ 18,886.70 करोड़ की कुल बचत में से, 64 अनुदान (40 राजस्व और 24 पूँजीगत) और सात विनियोजन (पाँच राजस्व और दो पूँजीगत)के तहत ₹ 3,191.61 करोड़ की बचत के कारणों को विनियोग खातों में उचित रूप से नहीं बताया गया है।

अनुशंसा: बजट नियंत्रण अधिकारियों को बजट प्रावधान और व्यय के बीच भिन्नता के कारणों की जांच करनी चाहिए और बचत के आत्मसमर्पण के समय उसे प्रस्तुत करना चाहिए।

2.3 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

छत्तीसगढ़ के आकस्मिकता निधि नियमावली 2001 के अनुसार अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के उद्देश्य को छोड़कर, आकस्मिकता निधि से कोई भी अग्रिम नहीं लिया जाएगा।

वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹ 13.74 करोड़ की राशि के नौ मामलों में से आठ में, व्यय आकस्मिकता निधि से आहरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता था क्योंकि ये व्यय अप्रत्याशित या आकस्मिक चरित्र के नहीं थे। इस प्रकार, आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम उद्देश्य अधिनियम का उल्लंघन था। विवरण तालिका 2.5 में दिखाया गया है। हालांकि, 2017-18 के दौरान फंड से कुल निकासी अनुपूरक बजट के माध्यम से की गई थी।

तालिका 2.5: राज्य के आकस्मिकता निधि से व्यय

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग	व्यय की प्राकृति जिसके लिए आकस्मिकता निधि से अग्रिम आहरण किया गया है	अग्रिम राशि	आहरण माह
1	आवास और पर्यावरण	उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ध्वनि माप उपकरणों की 24 संख्या का वितरण	4.78	फरवरी 2018
2	घर (जनगणना)	राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर अपडेशन कार्य के तहत डाटा एंट्री कार्य	4.20	जुलाई 2017 अगस्त 2017 सितंबर 2017 फरवरी 2018
3	होम (पुलिस)	बुलेट प्रूफ वाहन की खरीद (स्कॉर्पियो)	1.47	मार्च 2018
4	एसटी और एससी डेवलप-मेंट	गिरौदपुरी धाम में समेकित विकास योजना के तहत बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण	0.50	मार्च 2018
5	सामान्य प्रशासन	छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयुक्त के लिए नए वाहन की खरीद	0.12	जनवरी 2018
6	पर्यटन	अटल नगर, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट के भवन का निर्माण और रखरखाव	1.52	जुलाई 2017
7	सामाजिक कल्याण	सीजी योग आयोग का निर्माण (75 लाख) और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संगठन (25 लाख)	1.00	जून 2017
8	सामाजिक कल्याण	निशक्तजन कार्यालय का सशक्तिकरण	0.15	नवंबर 2017
कुल			13.74	

• आवास और पर्यावरण विभाग के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 5 दिसंबर 2016 को निर्णय पारित किया गया था और आकस्मिक निधि से आहरण हेतु 9 अक्टूबर 2017 को स्वीकृत की गई थी जो फरवरी 2018 के महीने में आहरित की गई थी। अतः इस राशि का प्रावधान भुगतान से पहले किया जा सकता था और इस राशि को आकस्मिक निधि से आहरण करने की आवश्यकता नहीं थी।

• गृह विभाग (जनगणना) के मामले में आठ महीनों की अवधि में चार अलग-अलग महीनों में राशि निकाली गई थी। इसलिए पहले अनुपूरक बजट में राशि का प्रावधान किया जा सकता था।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, यह देखा गया कि प्राकृतिक आपदा के खर्च को पूरा करने के लिए कोई अग्रिम राशि नहीं लिया गया था।

अनुशंसा: राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आकस्मिक और अप्रत्याशित प्रकृति के खर्च को छोड़कर आकस्मिकता निधि से कोई अग्रिम नहीं लिया जाए।

2.3 अनुदान संख्या 71 – इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए बजटीय प्रक्रिया

परिचय

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का मुख्य उद्देश्य राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे की स्थापना और विकास करना था। विभाग छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) के माध्यम से राज्य में ई-गवर्नेंस और अन्य परियोजनाओं को लागू करता है। धन को विभाग द्वारा राजकोष से निकाला जाता है और कार्यान्वयन के लिए चिप्स को सौंप दिया जाता है।

अनुदान संख्या 71 – इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा ने खुलासा किया कि ₹ 203.53 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध विभाग ने ₹ 62.66 करोड़ का व्यय किया है, जिससे ₹ 140.87 करोड़ की कुल बचत हुई जो कि कुल बजट प्रावधान का 69.21 प्रतिशत है। विवरण तालिका 2.6 में दिए गए हैं।

तालिका 2.6: 2017-18 के दौरान बजटीय प्रावधान और व्यय

विवरण	पूंजीगत	राजस्व	(₹ करोड़ में)
			कुल
मूल अनुदान	100.00	100.74	200.74
अनुपूरक अनुदान	0.00	2.79	2.79
कुल अनुदान	100.00	103.53	203.53
व्यय	0.89	61.77	62.66
बचत	99.11	41.76	140.87
समर्पण (पुनः विनियोग)	99.11	36.93	136.04
कालातीत	0.00	4.83	4.83

संगठनात्मक संरचना

प्रमुख सचिव/सचिव, ई एंड आईटी विभाग के बजट नियंत्रण अधिकारी हैं और विशेष सचिव आहरण एवं संवितरण अधिकारी हैं। विभाग चिप्स के माध्यम से सभी परियोजनाओं को लागू करता है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.4.1 संचार क्रांति योजना पर व्यय का गलत वर्गीकरण

संचार क्रांति योजना (जून 2017 में शुरू किया गया) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में मोबाइल पैठ को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई एक पहल है। योजना यांत्रिकी के अनुसार सरकार को भारतीय निर्माता से फोन खरीदने या छत्तीसगढ़ में उत्पादन को

प्रोत्साहित करने और इसे चयनित क्षेत्र में पीडीएस कार्ड वाले सभी ग्रामीण परिवारों को पीडीएस के माध्यम से वितरित करना था।

उपरोक्त के मद्देनजर, परियोजना पर किए गए व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत करना गलत है। इसलिए, वर्ष 2017-18 के दौरान, अनुदान संख्या 41, 64 और 71 के अंतर्गत ₹ 200 करोड़ का बजट प्रावधान और अनुदान राशि के तहत ₹ 1.78 करोड़ का व्यय गलत वर्गीकरण है।

उपरोक्त तथ्य इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग और चिप्स को इंगित किया गया था। उत्तर अपेक्षित है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को संबंधित राजस्व शीर्ष में व्यय को बुक करना चाहिए।

2.4.2 बजट अनुमान एकमुश्त हैं

मध्य प्रदेश बजट नियमावली के पैराग्राफ 31 के अनुसार, बजट अनुमानों में एकमुश्त प्रावधान नहीं किया जाना चाहिए।

बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा के दौरान यह देखा गया कि राज्य के बजट के अनुसार वार्षिक आधार पर किए जाने वाले व्यय की विस्तृत योजना न तो विभाग की फाइलों में दर्ज की गई और न ही कार्यान्वयन एजेंसी, चिप्स की फाइलों में दर्ज की गई। अनुसूचित जातियों (एससीपी) और जनजातीय क्षेत्र उप योजना (टीएसपी) के लिए विशेष घटक योजना के लिए बजट प्रावधानों का विभाजन फाइलों पर दर्ज नहीं किया गया था। बचत/अनुमान का औचित्य फाइलों में दर्ज नहीं किया गया था। उपरोक्त तथ्य बताते हैं कि बजट का अनुमान एकमुश्त आधार पर किया गया था न कि वास्तविक जरूरत के अनुसार।

उपरोक्त तथ्य इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग और चिप्स को इंगित किया गया था। उत्तर की प्रतीक्षा है।

अनुशंसा: वर्ष के लिए योजना के विस्तृत अनुमान के अनुसार बजट तैयार किया जाना चाहिए।

2.4.3 वित्तीय वर्ष के अंतिम दिन समर्पण

मध्यप्रदेश बजट नियमावली के पैराग्राफ 131 के अनुसार, व्यय में प्रत्याशित बचत के विवरण 15 जनवरी तक बजट नियंत्रक अधिकारियों को वित्त विभाग को प्रस्तुत करने होंगे।

वर्ष 2017-18 के दौरान, मैनुअल में प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 31 मार्च 2018 को ₹ 136.04 करोड़ की राशि समर्पण कर दी गई और अन्य विकासात्मक उद्देश्यों पर धन के उपयोग के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई।

उपरोक्त तथ्य इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी विभाग और चिप्स को इंगित किया गया था। उत्तर अपेक्षित है।

अनुशंसा: प्रत्याशित बचत को वर्ष के समापन से पहले अच्छी तरह से आत्मसमर्पण किया जाना चाहिए ताकि उनका उपयोग अन्य विकासात्मक उद्देश्यों में किया जा सके।

तृतीय अध्याय
वित्तीय प्रतिवेदन

तृतीय अध्याय वित्तीय प्रतिवेदन

यह अध्याय वर्ष 2017-18 के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों सहित राज्य सरकार द्वारा अनुपालन के विहंगावलोकन एवं स्थिति को प्रस्तुत करता है।

3.1 लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.)

3.1.1. वित्तीय नियम निर्धारित करता है कि जब सहायता अनुदान किसी विशेष प्रयोजन हेतु प्रदाय किया जाता है, विभाग अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र (उ.प्र.प.) प्राप्त करना चाहिए तथा सत्यापन उपरान्त, यह सुनिश्चित करने हेतु कि अनुदान का उपयोग चाही गई प्रायोजन के लिए हुआ है, इसे अगले वर्ष 30 सितम्बर या उससे पहले महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करना चाहिए।

लेखापरीक्षा नमूना जाँच में पाया गया कि 31 मार्च 2018 तक कुल ₹ 2,413.40 करोड़ की कुल लागत 317 उ.प्र. पत्र बकाया थी, जिसमें विभिन्न विभागों में प्राप्त सहायता अनुदान के विरुद्ध 31 जनवरी 2019 तक ₹ 628.48 करोड़ के 100 उपयोगिता प्रमाण पत्र लंबित थे।

विभिन्न विभागों को प्राप्त सहायता अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण पत्रों की 31 जनवरी 2019 की स्थिति तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों* की स्थिति

(₹ करोड़ में)

निर्गत अनुदान	लंबित उ.प्र.प.	लंबित उ.प्र.प. जनवरी 2019		
		विलंब	संख्या	राशि
2014-15 तक	सितम्बर 2015	तीन वर्षों से अधिक	62	89.77
2015-16	सितम्बर 2016	दो वर्षों से अधिक	07	1.82
2016-17	सितम्बर 2017	एक वर्ष से अधिक	05	18.03
2017-18 के दौरान	सितम्बर 2018	04 माह	26	518.86
योग			100	628.48

(स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित जानकारी)

* वैसे अनुदान जिसकी स्वीकृति आदेश में उल्लेखित है कि उ.प्र. पत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में प्रेषित की जानी चाहिए।

मुख्य शीर्षवार एवं वर्षवार लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्रों की स्थिति परिशिष्ट 3.1 में दर्शायी गयी है।

अप्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्रों के मुख्य प्रकरण, नगरीय प्रशासन (₹ 547.89 करोड़ 42 उ.प्र.प.) एवं स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की क्षतिपूर्ति और समानुदेशन (₹ 80.59 करोड़, 56 उ.प्र.प.) से संबंधित है।

सहायता अनुदान के विरुद्ध उ.प्र.प. की अप्राप्ति विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानों की उपयोगिता समय पर प्रस्तुत करने संबंधी नियम एवं कार्यप्रणाली के अनुपालन में विफलता को दर्शाता है। लंबित उपयोगिता प्रमाण पत्र निधियों का दुर्विनियोजन एवं गबन के जोखिम को दर्शाता है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को एक समय-सीमा निर्धारित करनी चाहिए जिसके अंदर प्रशासनिक विभाग, जिन्होंने अनुदान जारी किया है, अनुदान आदेश में तय समयसीमा से परे लंबित सभी उ.प्र.प. प्राप्त करें और यह भी सुनिश्चित करें कि उक्त अवधि के दौरान प्रशासनिक विभाग कोई अन्य दोषी अनुदानग्राही को जारी न करें। सरकार को वैसे अधिकारी जो समय के अंदर उ.प्र.प. जमा नहीं करते हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए।

3.2 संक्षिप्त आकस्मिक देयक एवं विस्तृत आकस्मिक देयक

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता (छ.ग.को.स.), नियम 313 के अनुसार प्रत्येक आहरण और संवितरण अधिकारी को प्रत्येक संक्षिप्त आकस्मिक देयक में यह प्रमाणित करना होता है कि वर्तमान माह के प्रथम दिवस से पहले उसके द्वारा लिए गए सभी आकस्मिक प्रभार के लिए विस्तृत आकस्मिक देयक संबंधित नियंत्रक अधिकारियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करके महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को भेज दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम 327 के अनुसार, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को मासिक डीसी बिल को आवश्यक प्रमाण पत्र के साथ अगले महीने के पाँच तारीख के भीतर नियंत्रक अधिकारियों को प्रस्तुत करना चाहिए। नियंत्रक अधिकारी आवश्यक प्रमाणपत्र के साथ पारित विस्तृत आकस्मिक देयकों को महालेखाकार के पास जमा करना आवश्यक है, ताकि ये महालेखाकार के कार्यालय में उसी महीने की 25 तारीख से पहले प्राप्त हो सकें। विस्तृत आकस्मिक देयकों के व्ययों को बिना सहायक दस्तावेजों के प्रस्तुत करना संक्षिप्त आकस्मिक देयक के व्ययों की अपारदर्शिता दर्शाता है। निकाले गए संक्षिप्त आकस्मिक देयक के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयक जमा करने का विवरण निम्न तालिका 3.2 में दिखाया गया है

तालिका- 3.2 आकस्मिक देयकों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक देयकों के जमा करने की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	असमायोजित सं.आ. देयको का प्रारंभिक राशि		वर्ष के दौरान आहरित सं.आ. देयक		वर्ष के दौरान प्रस्तुत वि.आ. देयक		लंबित वि.आ. देयक	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2015-16	20	79.37	1,418	5,491.72	1,135	4,925.23	303	645.86
2016-17	303	645.86	1,317	3,556.39	1,505	4,177.06	115	25.19
2017-18	115	25.19	1,387	3,846.56	1,342	3,738.80	160	132.95

(स्रोत: वित्त लेखे 2017-18 और कार्यालय म.ले. (ले. एवं. ह.) द्वारा संकलित जानकारी)

31 मार्च 2018 की स्थिति में, ₹ 132.95 करोड़ के 160 विस्तृत आकस्मिक देयक लंबित हैं। 2017-18 तक विभागवार लंबित में मुख्यतया सहकारिता विभाग (₹ 114.00 करोड़), औद्योगिक विभाग (₹ 15.39 करोड़) तथा ग्रामीण औद्योगिक विभाग (₹ 2.73 करोड़) हैं।

महालेखाकार कार्यालय (लेखा एवं हकदारी) के प्रमाणक स्तर कम्प्यूटरीकरण (वीएलसी) के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन की जांच में पाया गया है कि 2017-18 में 1,387 संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के विरुद्ध ₹ 3,846.56 करोड़ में से ₹ 575.73 करोड़ (14.97 प्रतिशत) केवल मार्च माह में अहरित किए गए थे। मार्च में संक्षिप्त आकस्मिक देयकों के महत्वपूर्ण व्यय इंगित करता है कि आहरण मुख्य रूप से बजट समाप्त करने के लिए था और संबंधित वित्तीय वर्ष के भीतर इस तरह के आहरण का वास्तविक खर्च दूरस्थ था।

जबकि, 31 जनवरी 2019 को, कुल लंबित 47 विस्तृत आकस्मिक देयक की राशि ₹ 115.15 करोड़ का विवरण परिशिष्ट 3.2 में दिया गया है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी नियंत्रक अधिकारी निर्धारित अवधि में सं.आ. देयकों का समायोजन करें तथा यह भी सुनिश्चित करें कि इस निर्देश का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही हो।

3.3 स्वायत्त निकाय का पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण की स्थिति

राज्य सरकार ने विभिन्न स्वायत्त निकाय स्थापित किया है, जिसमें से केवल तीन स्वायत्त निकायों का लेखापरीक्षा हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को न्यासित किया है। दिसम्बर 2018 में सौंपे गये स्वायत्त निकाय की लेखापरीक्षा तथा लेखों की लेखापरीक्षा, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का विवरण आगे की तालिका में प्रदर्शित है।

तालिका 3.3 खातों को जमा करने की स्थिति

क्र. सं.	निकाय	अनुभाग	सौंपे जाने की अवधि	जिस वर्ष खातों को प्रदान किया गया	एस.ए.आर. की स्थिति	खातों के प्रतिपादन में देरी (माह)
01	कैम्पा निधि, छत्तीसगढ़ राज्य	20(1) डीपीसी एक्ट 1971	2014-15 से आगे	2014-15 से 2016-17	राज्य विधान सभा में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन रखे जाने संबंधी सूचना अपेक्षित है।	06 माह (2017-18)
02	छत्तीसगढ़ राज्य एवं जिला कानून सेवा अभिकरण	19(2) डीपीसी एक्ट 1971	2009 से आगे	2012-13 से 2014-15	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन का जारी किया गया।	30 (2015-16) 18 (2016-17) 06 (2017-18)
03	छत्तीसगढ़ राज्य आवास मंडल	19(3) डीपीसी एक्ट 1971	2007-08 से 2011-12	2007-08 से 2011-12	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य शासन को जारी किया गया। लेकिन इसे राज्य विधान सभा में रखे जाने की सूचना अप्राप्त है।	2011-12 के बाद अप्रस्तुत

अनुशंसा: प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वायत्त निकाय लेखापरीक्षा को लेखे समय से प्रस्तुत करें।

3.4 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब

कंपनी अधिनियम 2013 निर्धारित करता है कि कंपनियों के वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधित वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छः माह के अंदर अर्थात् सितम्बर माह तक तैयार किया जाना है, ऐसा न होने पर दोषी कंपनी से संबंधित प्रत्येक अधिकारी को अधिनियम के अधीन

भागीदारी बनाती है, जिसके अंतर्गत दण्ड के रूप में एक वर्ष का कारावास या जुर्माना के रूप में ₹ 50,000 से ₹ 5,00,000 तक या दोनों हो सकता है। 31 दिसम्बर 2018 तक का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (सा.क्षे.उ.) के लेखे के निस्तारण में प्रगति का विवरण तालिका 3.4 दर्शाया गया है:—

तालिका:3.4 कार्यशील एवं अकार्यशील सा.क्षे.उ. के लेखे के निस्तारण की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	कार्यशील	अकार्यशील	कुल
1	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	23	3	26
2	बकाया लेखे वाले सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की संख्या	13	1	14
3	बकाया लेखे की संख्या	19	1	20
4(अ)	छह वर्षों से अधिक बकाया सा.क्षे.उ. की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक
4(ब)	उपरोक्त लोक सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	निरंक	निरंक	निरंक
5(अ)	दो से पाँच वर्षों के बीच बकाया लेखे वाले सा.क्षे.उ. की संख्या	3	निरंक	3
5(ब)	उपरोक्त सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	9	निरंक	9
6(अ)	एक वर्ष तक सा.क्षे.उ. की बकाया लेखे की संख्या	10	1	11
6(ब)	एक वर्ष सा.क्षे.उ. में बकाया लेखे की संख्या	10	1	11
7	बकाये का विस्तार (वर्षों में)	1 से 4	1	1 से 4

(स्रोत:— कम्पनी द्वारा प्रदत्त सूचनाओं पर संकलित आंकड़े)

लेखाओं का निस्तारण न होने के कारण भारत के नियंत्रक एवं महालेखपरीक्षक, चार वर्षों की अवधि तक कम्पनियों की पूरक लेखापरीक्षा करने में असमर्थ रहे, जैसा कम्पनी अधिनियम द्वारा निर्धारित है।

उपरोक्त कथन संबंधित प्रशासनिक विभागों एवं विशेष रूप से वित्त विभाग की अक्षमता का द्योतक है और विशेष रूप से वित्त विभाग यह सुनिश्चित करे कि चूक करने वाली कम्पनियां संबंधित अधिनियमों का अनुपालन करें।

यह भी विशेष रूप से अवलोकनार्थ है कि इन सा.क्षे. उपक्रमों को वित्तीय समर्थन की मांग की वास्तविकता के लिए लेखे के अभाव में भी वित्त विभाग इक्विटी, ऋण, सहायक अनुदान/सब्सिडी, प्रतिभूतियों के रूप में वित्तीय सहायता नियमित रूप से प्रदाय किया है।

राज्य सरकार वर्ष 2017-18 तक दस कार्यशील सा.क्षे.उ. को ₹ 9,463.02 करोड़ का बजटीय समर्थन प्रत्याभूति: ₹ 2,920,30 करोड़ (तीन सा.क्षे.उ.), अनुदान: ₹ 1,697.08 करोड़ (छः सा.क्षे.उ.) तथा अन्य सब्सिडी एवं राजस्व अनुदान: ₹ 4,845.64 करोड़ (आठ सा.क्षे.उ.) प्रदान किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट 3.3 में प्रदर्शित है। अकार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों को कोई बजटीय सहायता नहीं दी गई है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी सा.क्षे. उपक्रमों के प्रकरणों (जिसके लेखे बकाया हैं) की समीक्षा करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि तर्क संगत अवधि के अंदर लेखे अद्यतन हो और उस सभी प्रकरणों में वित्तीय समर्थन अवरुद्ध करना चाहिए जहां लेखे लगातार बकाया हैं।

3.4.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा लाभांश का घोषित न होना:—

राज्य सरकार ने कोई लाभांश नीति तैयार नहीं किया है जिसके अंतर्गत सा.क्षे.उ. को शासकीय द्वारा अंशदानीत प्रदत्त शेयर पूँजी पर एक न्यूनतम प्रतिफल भुगतान करना आवश्यक हो। उनके नवीनतम लेखे अनुसार, 10 सा.क्षे.उ. ने ₹ 6,636.17 करोड़ की सरकारी इक्विटी वाले ₹ 104.04 करोड़ समग्र लाभ अर्जित किया। केवल दो सा.क्षे. उपक्रमों अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड और राज्य भंडारण निगम ने क्रमशः ₹ 1.60 करोड़ और ₹ 0.81 करोड़ का लाभांश प्रस्तावित किया।

अनुशंसा: राज्य सरकार का शेयर पूँजी निवेश पर प्राप्त वापसी के लिए नीति तैयार करनी चाहिए तथा सुनिश्चित करें कि लाभांश अर्जित करने वाले सा.क्षे. उपक्रमों नीति के अधीन लाभांश घोषित करें।

3.5 हानि तथा गबन इत्यादि के प्रकरणों का प्रतिवेदन

छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-1 के नियम 22 और 23, यह प्रावधान करता है कि लोक धन के हानि, गबन एवं दुर्विनियोजन के प्रत्येक मामले को महालेखाकार को प्रतिवेदित की जानी चाहिए। इसके अलावा, संहिता के नियम 24 में यह प्रावधान है कि आग, बाढ़, तूफान, भूकंप या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के कारण भवन, सड़क और पुलों जैसी अचल सम्पत्ति का कोई भी गंभीर नुकसान महालेखाकार को सूचित किया जाना चाहिए। इसके बाद विभागों द्वारा विस्तृत जांच की जाती है और इस तरह के नुकसान की पुनरावृत्ति रोकने के लिए किए गये उपायों/कार्यवाही की जानकारी दी जाती है।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में कुल 1972 लंबित मामलों में से, मार्च 2018 के अंत तक निर्णायक जांच और निपटान के लिए ₹ 125.29 करोड़ की राशि लंबित थी। लंबित मामलों का विभाग-वार तथा श्रेणी-वार विभाजन **परिशिष्ट- 3.4** में दिया गया है। मामलों का वर्ष-वार विश्लेषण **परिशिष्ट-3.5** में दिखाया गया है। लंबित मामलों की आयु-प्रोफाइल और प्रत्येक श्रेणी में लंबित मामलों की संख्या जैसे चोरी और गबन आदि की **तालिका 3.5** में दी गई है।

तालिका 3.5 हानियों एवं गबनों आदि की रूपरेखा

(₹ करोड़ में)

लंबित प्रकरणों की अवधि			लंबित प्रकरणों की प्रकृति		
वर्षों में	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की प्रकृति	प्रकरणों की संख्या	राशि
0 – 5	309	4,953.20			
5 – 10	403	5,110.31	चोरी	136	54.67
10 – 15	295	765.82	सम्पत्ति/सामग्रीयों की हानि	1,765	11,932.93
15 – 20	213	1,038.66	गबन	71	541.86
20 – 25	241	301.13	लंबित प्रकरणों का योग	1,972	12,529.46
25 से अधिक	511	360.34			
योग	1,972	12,529.46			

(स्रोत: राज्य शासन के विभागों द्वारा प्रेषित प्रकरण)

कुल 1,972 प्रकरण में से वन विभाग 393 प्रकरण तथा शिक्षा विभाग में 36 प्रकरण 25 वर्षों से अधिक लंबित थे। 1,972 प्रकरण में से 390 प्रकरण में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दर्ज हुए हैं।

इसके अलावा, यह भी देखा गया कि 47 मामलों में, विभिन्न विभागों ने 2017-18 के दौरान 12.89 लाख वसूली किया। विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-3.6** में है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को विभागीय कार्यवाही में तेजी लानी चाहिए, तथा ऐसे प्रकरणों के पुर्नवृत्ति को रोकने/घटाने हेतु आंतरिक नियंत्रण सुदृढ़ करना चाहिये।

3.6 व्यक्तिगत जमा खाते

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के सहायक नियम-543 के अनुसार राज्य शासन व्यक्तिगत जमा खातों को जिसमें निधि संचित निधि को आकलित कर विशेष उद्देश्य हेतु खोले जाने के लिए अधिकृत है। व्यक्तिगत जमा खाते प्रशासकों के नाम से मुख्य शीर्ष 8443- सिविल जमा -106- व्यक्तिगत जमा के अधीन लेखे रखे जाते हैं। व्यक्तिगत जमा लेखे जिसमें तीन वर्षों तक लगातार कोई संव्यवहार न हुआ हो के मामलों में संबंधित एवं खाते के प्रशासक को सूचना देते हुए खाता बंद किया जाए एवं खाते की शेष राशि राजस्व जमा में स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जाए। व्यक्तिगत जमा खातों की कोषालय लेखे के साथ समय-समय पर मिलान करने हेतु संबंधित प्रशासक का उत्तरदायित्व है।

वर्ष 2015-18 के दौरान राज्य में संचालित व्यक्तिगत जमा खातों का विवरण **तालिका 3.6** में दर्शाये गये हैं।

तालिका 3.6 व्यक्तिगत जमा खातों का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	1 अप्रैल तक की प्रारंभिक राशि		वर्ष के दौरान प्राप्ति/योग		वर्ष के दौरान बंद लेखे/अदायगी		31 मार्च तक की अंत शेष राशि	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2015-16	312	1,630.82	05	669.18	25	603.54	292	1,696.46
2016-17	292	1,696.46	08	918.64	19	722.63	281	1,892.47
2017-18	281	1,892.47	02	643.80	20	779.27	263	1,757.00

(स्रोत:- संबंधित वर्ष के वित्त लेखे)

तालिका 3.6 से दर्शित होता है कि वर्ष 2015-16 से 2017-18 के दौरान कुल 15 व्यक्तिगत जमा खाते खोले गये तथा 64 खातों को बंद किया गया। आगे, 31 मार्च 2018 की स्थिति में 263 व्यक्तिगत जमा खाते संचालन में थे जिसका अंतःशेष की राशि ₹ 1757.00 करोड़ रहा।

3.6.1 व्यक्तिगत जमा खाते में भू-अर्जन की निधि

कुल शेष की राशि ₹ 1757.00 करोड़ में से भू-अर्जन की राशि ₹ 1459.13 करोड़ संबंधित लाभार्थियों को वितरण न होने के कारण व्यक्तिगत जमा खाते में पड़ा रहा। भू-अर्जन से संबंधित अवितरित राशि का कोषालय वार विवरण **परिशिष्ट 3.7** में दर्शाया गया है।

उपरोक्त तथ्य निदेशक, पेंशन एवं कोषालय लेखा, छत्तीसगढ़ रायपुर के ध्यान में लाया गया जबकि उत्तर अब तक अपेक्षित है।

3.6.2 लेखाओं का पूर्णमेलन न किया जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता, भाग-1 के सहायक नियम 584 से 590 के निर्देशानुसार, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर संबंधित जमा खाते के प्रशासक से यह प्रमाण-पत्र लिया जाए कि उनके अभिलेखों के अनुसार अंतिम शेष एवं मार्च माह के धन ऋण पत्रक के अनुसार अंतिम शेष बराबर है। व्यक्तिगत जमा खातों का अंतिम शेष की राशि का पूर्णमिलान नहीं किया गया जिसका विवरण तालिका 3.7 में दिया गया है।

तालिका 3.7 व्यक्तिगत जमा खाते के अतःशेष में असमायोजित राशि

(₹ लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	धन ऋण ज्ञापन के अनुसार राशि	प्रशासक के अनुसार राशि	अंतर
01	संभागीय वन अधिकारी, रायगढ़	1,491.76	1,612.00	1,20.24
02	संभागीय वन अधिकारी, धरमजयगढ़	486.62	484.49	2.13
03	कलेक्टर, रायपुर	25,997.34	27,312.32	1,314.98
04	संभागीय वन अधिकारी, मारवाही	246.18	246.74	0.56
05	डीपीडब्ल्यूओ, आनंद निकेतन, बिलासपुर	0	0.33	0.33
06	श्रम कार्यालय, बिलासपुर	11.64	12.04	0.40
योग				14,38.64

(स्रोत: संबंधित विभाग से प्राप्त सूचना)

तीन कोषालय¹ कार्यालयों के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि राशि ₹ 14.39 करोड़ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को प्रेषित किया गया जिसका धन ऋण पत्रक के साथ मिलान नहीं किया गया एवं विभिन्न विभागों से वार्षिक प्रमाण पत्र भी प्राप्त नहीं किए गये।

इंगित किये जाने पर, संबंधित कोषालय अधिकारियों ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया की शीघ्र ही पूर्णमेलित धन-ऋण पत्रक को सत्यापित कर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।

3.6.3 असंचालित व्यक्तिगत जमा खाते

व्यक्तिगत जमा खाता वित्त विभाग की सहमति से संधारण किया जा सकता है। मौजूदा नियमानुसार महालेखाकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। व्यक्तिगत जमा लेखे जिसमें तीन वर्षों तक लगातार कोई संव्यवहार न हुआ हो के मामले में संबंधित एवं खाते के प्रशासक को सूचना देते हुए खाता बंद किया जाए एवं खाते की शेष राशि राजस्व जमा में स्थानांतरित करने की कार्यवाही की जाए।

कोषालय के अभिलेखों का नमूना जाँच में यह पाया गया कि दस व्यक्तिगत जमा खातों का कुल अंतिम शेष राशि ₹ 1.37 करोड़ था जो कि तीन वर्ष से अधिक असंचालित रहे तथा असंचालित लेखाओं को बंद करने हेतु संबंधित कोषालय अधिकारियों के द्वारा कार्यवाही नहीं की गई।

¹ रायगढ़, रायपुर तथा बिलासपुर कोषालय

इंगित किए जाने पर, कोषालय अधिकारियों ने स्वीकार किया तथा बताया कि अंसंचालित व्यक्तिगत जमा खाते के संबंध में संबंधित विभागों से संवाद कर इस पर कार्यवाही की जावेगी।

आगे, राज्य सरकार ने विभिन्न मुख्य शीर्षों के अधीन राशि ₹ 1.98 करोड़ का आहरण किया तथा इसे व्यक्तिगत जमा खाते में जमा किया। इसका विवरण परिशिष्ट 3.8 में दर्शाया गया है। वित्तीय वर्ष के अंत में इस तरह का हस्तांतरण बजटीय अनुमान के व्यपगत होने को रोकने हेतु किया गया है।

3.6.4 राशि ₹ 135.67 करोड़ का अवर्गीकरण

मुख्य एवं लघु शीर्ष की सूची अनुसार, शिक्षा हेतु जमा मुख्य शीर्ष 8443—सिविल जमा—123— शिक्षा और वन जमा मुख्य शीर्ष—8443 सिविल जमा—109— वन जमा में दर्ज किया जाना चाहिए।

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय से प्राप्त चालानों की जाँच में पाया गया कि शिक्षा एवं वन जमा क्रमशः ₹ 1.47 करोड़ एवं ₹ 134.20 करोड़ को लघु शीर्ष 123—शिक्षा एवं 109—वन जमा के स्थान पर मुख्य शीर्ष 8443—सिविल जमा 106—व्यक्तिगत जमा खाता के अंतर्गत दर्ज किया गया।

तीन कोषालयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में यह पाया गया कि रायपुर (₹ 0.24 करोड़) बिलासपुर (₹ 5.02 करोड़) और रायगढ़ (₹ 19.78 करोड़) को लघु शीर्ष 123—शिक्षा एवं 109—वन जमा को क्रमशः मुख्य शीर्ष 8443—सिविल जमा 106 व्यक्तिगत जमा में दर्ज किया गया। आगे यह भी अवलोकन किया गया कि वनमण्डल अधिकारी, बिलासपुर ने राशि ₹ 2.50 करोड़ को शीर्ष 8443—109 में जमा किया जबकि इसे वरिष्ठ कोषालय अधिकारी द्वारा 8443—106 में दर्ज किया गया।

इंगित किये जाने पर, कोषालय अधिकारी, रायपुर एवं रायगढ़ ने स्वीकार किया तथा बताया कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही किया जाएगा।

जबकि वरिष्ठ कोषालय अधिकारी, बिलासपुर ने बताया कि सॉफ्टवेयर में मुख्य शीर्ष 8443—109 में दर्ज करने हेतु प्रावधान न होने के कारण इसे व्यक्तिगत जमा खाते में दर्ज किया गया था। उत्तर स्वीकार योग्य नहीं हैं, क्योंकि ई-कोष सॉफ्टवेयर सभी कोषालयों में प्रयोग किया जाता है तथा अन्य कोषालयों में वन जमा शीर्ष 8443—109 में हो रही है।

अनुशंसा: वित्त विभाग को सभी व्यक्तिगत जमा खातों की समीक्षा करने की आवश्यकता है तथा इस खाते में अनावश्यक पड़े हुए राशि शीघ्र ही संचित निधि में जमा करना सुनिश्चित करें और निधियों का उपयुक्त शीर्ष में वर्गीकरण हेतु निर्देशित करें।

3.7 राजस्व एवं पूँजीगत व्यय का वर्गीकरण

राजस्व व्यय आवर्ती प्रकृति की होती है, एवं यह राजस्व प्राप्तियों से पूरा किया जाता है। पूँजीगत व्यय उस व्यय को परिभाषित करता है जो कि ठोस एवं स्थायी परिसम्पत्ति में वृद्धि या स्थायी दायित्वों में कमी को दर्शाता है।

भारत सरकार लेखा मानक (आई.जी.ए.एस.)—2 अनुदान और सहायता अनुदान के वर्गीकरण के बारे में निर्धारित करता है कि अनुदान द्वारा सहायता प्राप्त अनुदान को वर्गीकृत किया

जाएगा और चाहे जो भी हो, अनुदानकर्ता के वित्तीय विवरण में राजस्व व्यय के रूप में हिसाब लगाया जाएगा। वह उद्देश्य जिसके लिए निधियों का वितरण किया गया था। केवल भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेष रूप से अधिकृत मामलों में, इन पर सरकार के वित्तीय विवरणों में पूंजी शीर्ष के खाते में डेबिट किया जा सकता है।

इसके अलावा, सरकारी लेखा नियम 1990 के नियम 30 और छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-1 के खंड 324 में यह निर्धारित करने के लिए मापदंड है कि व्यय को समेकित निधि के पूंजी शीर्ष या राजस्व शीर्ष किस तरह से वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

पूँजी शीर्ष में वर्गीकृत की जाने वाला व्यय को मोटे तौर पर स्थायी प्रकार की संपत्ति को बढ़ाने और स्थायी चरित्र की बढ़ती हुई वस्तु के साथ किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया जाएगा। अस्थायी संपत्ति पर खर्च या स्थानीय निकाय या संस्थाओं को अनुदान पर खर्च संपत्ति बनाने के उद्देश्यों के लिए जो इन स्थानीय निकायों या संस्थानों के लिए होगा, आमतौर पर पूँजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, और विशेषरूप से प्राधिकृत, उन मामलों को छोड़कर, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा पूँजीगत शीर्ष डाला गया हो।

वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ शासन ने त्रुटिपूर्ण बजट तैयार किया और ₹ 2,359.39 करोड़ का अनुदान राजस्व शीर्ष के बजाय पूँजी शीर्ष के तहत वर्गीकृत किया। इसके अलावा ₹ 2.50 करोड़ की व्यावसायिक सेवाओं का भुगतान, ₹ 0.47 करोड़ का रखरखाव कार्य और ₹ 0.18 करोड़ का कार्यालय व्यय राजस्व मुख्य शीर्ष के बजाय पूँजीगत मुख्य शीर्ष के तहत वर्गीकृत किया गया है। विवरण परिशिष्ट 3.9 में दिया गया है।

3.8 लघु शीर्ष-800 में समायोजन

लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियाँ एवं अन्य व्यय से संबंधित है को तब क्रियाशील करना है जब लेखाओं में उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध न हो। लघु शीर्ष-800 को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह खाता को अपारदर्शी बनाता है और यह योजनाओं के कार्यक्रमों आदि को खुलासा नहीं करता है, जिससे यह संबंधित है।

वित्त लेखा 2017-18 की जांच में पाया गया है कि संबंधित 46 मुख्य शीर्षों के तहत दर्ज कुल राजस्व प्राप्तियों (₹ 59,647.07 करोड़) का 4.23 प्रतिशत अर्थात् ₹ 2,522.98 करोड़ को लघु शीर्ष-800 अन्य प्राप्तियों में वर्गीकृत किया गया था। 18 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत खातों (राजस्व प्राप्तियों) के तहत कुल प्राप्तियों ₹ 6,456.38 करोड़ में से ₹ 1,353.07 करोड़ (20.96 प्रतिशत) शीर्ष 800- अन्य प्राप्तियों के तहत वर्गीकृत किए गए थे। लघु शीर्ष की प्राप्तियाँ मुख्यशीर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों की 11 से 103 प्रतिशत थी। विवरण परिशिष्ट 3.10 में दिया गया है। इसी प्रकार कुल व्यय ₹ 69,712.30 करोड़ में से ₹ 1,579.97 करोड़ (कुल व्यय का 2.29 प्रतिशत) को 46 मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लघु शीर्ष-800 अन्य व्यय में दर्ज किया गया।

हमने यह भी देखा कि 15 मुख्य शीर्षों के खातों (राजस्व और पूंजी) के तहत ₹ 1,498.48 करोड़ की राशि, जो कुल व्यय ₹ 3,636.39 करोड़ का 39 प्रतिशत है, इन मुख्य शीर्षों के अंतर्गत, 800-अन्य व्यय के तहत वर्गीकृत किए गए थे। इस तरह का व्यय संबंधित शीर्ष के तहत कुल व्यय का 11 प्रतिशत और 100 प्रतिशत के बीच था, जैसा कि परिशिष्ट-3.11 में दिखाया गया है।

अनुशंसा: वित्तीय विभाग को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के साथ विचार विमर्श करके लघु शीर्ष-800 में प्रदर्शित होने वाले सभी का विस्तृत अवलोकन करे एवं यह सुनिश्चित करे कि ऐसी सभी प्राप्तियाँ तथा व्यय भविष्य में संबंधित लेखा शीर्ष में दर्ज हों।

3.9 स्थानीय लेखापरीक्षा से प्राप्त निष्कर्ष

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय प्रतिवेदन में पाई गई अनियमितताएं नीचे प्रदर्शित हैं:

3.9.1 शासकीय खाते से बाहर धनराशि रखा जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार राज्य समेकित निधि एवं राज्य लोक लेखा से आहरित राशि शासन की विशेष स्वीकृति के बिना किसी भी बैंक खातों में नहीं जमा की जाएगी और आहरित धन की तत्काल आवश्यकता न होने पर धनराशि सरकार के खाते में अभ्यर्पित की जानी चाहिए।

तीन आहरण एवं संवतरण अधिकारियों के अभिलेखों की जांच के दौरान, यह देखा गया कि अवधि 1994-18 के विभिन्न योजनाओं से संबंधित ₹ 67.23 करोड़ की धनराशि कोषालय से आहरित कर बैंक खातों में रखी गई जाकि तालिका 3.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.8 सरकारी खाते के बाहर निधियाँ

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	राशि संबंधित है	वर्ष	राशि
01	जिला शिक्षा अधिकारी, बेमेतरा	परीक्षा शुल्क	1994 से 2017	19.83
02	सहायक आयुक्त, आदिवासी विभाग, रायगढ़	निर्माण कार्य, छात्रावास अधीक्षक पुरस्कार और एमओयूडीए पॉकेट योजना	2017-18	14.08
03	परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास योजना, कोयलीबेड़ा, कांकेर	समाज कल्याण और बाल विकास	2014-18	33.32
योग				67.23

(स्रोत: संबंधित विभाग से प्राप्त जानकारी)

उपरोक्त तालिका से पता चलता है कि पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद भी राशि का न तो उपयोग किया गया और न ही वापस शासकीय खातों में जमा किया गया। शासन के खाते से बाहर धनराशि को रखाव वित्तीय औचित्य के सिद्धांतों के प्रतिकूल है।

अनुशंसा: शासन को शासकीय खाते से बाहर धनराशि को रखने से रोकने हेतु आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए तथा कोषालय संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए विभागों को निर्देशित करना चाहिए।

3.9.2 अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न किया जाना

छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के अनुसार अग्रिमों के समायोजन तीन माह के अंदर वर्गीकृत देयक और प्रमाणक प्रस्तुत कर किया जाना चाहिए।

विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों और सूचनाओं की जाँच के दौरान यह पाया गया कि 31 मार्च 2018 की स्थिति में विभिन्न विभागों द्वारा उसी वित्तीय वर्ष या आगामी वित्तीय

वर्ष के दौरान समायोजन प्रमाणक के गैर संग्रहण के कारण ₹ 22.66 करोड़ अग्रिम के 1,922 मामलों समायोजन के लिए लंबित थे। लंबित अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण तालिका 3.9 में दर्शाया गया है। अग्रिमों का विभागीय और वर्षवार विवरण परिशिष्ट 3.12 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.9: अस्थायी अग्रिमों का अवधिवार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

कं.स.	लंबित समयावधि	अवधि	अग्रिमों की संख्या	राशि
1	10 वर्ष से अधिक	2006-07 तक	1,116	6.16
2	5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक	2007-08 से 2011-12	114	2.38
3	1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	2012-13 से 2016-17	667	11.68
4	1 वर्ष तक	2017-18	25	2.44
योग			1,922	22.66

(स्रोत: संबंधित विभाग से प्राप्त जानकारी)

अग्रिम राशि ₹ 22.66 करोड़ अग्रिमों के समायोजन में विभागीय अधिकारियों द्वारा संहिता के प्रावधानों के लागू करने में शिथिलता दिखाई दी है।

अनुशंसा: अस्थायी अग्रिम के यथासमय समायोजन के लिए शासन को आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

3.9.3 रोकड़ बही के रखरखाव से संबंधित वित्तीय नियमों का अनुपालन नहीं करना

रोकड़ बही का समुचित संधारण वित्तीय प्रबंधन का महत्वपूर्ण अवयव है और इसका अभाव आंतरिक नियंत्रण तंत्र में गंभीर खामी इंगित करता है। ऐसा स्थिति गबन, धोखाधड़ी, आदि समस्याओं को कई गुना बढ़ा देता है।

वर्ष 2017-18 में स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान, अभिलेखों की जांच में निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई हैं:

- लेनदेन रोकड़ बही में दर्ज नहीं की गई (06 प्रकरण, ₹ 485.82 लाख)
- रोकड़ बही के बंद एवं खोलने में विसंगतियाँ (01 प्रकरण, ₹ 1.00 लाख)
- रोकड़ बही की प्रविष्टियों का गैर-सत्यापन और गैर-प्रमाणीकरण (22 प्रकरण)
- रोकड़ बही के साथ बैंक पास बुक का मिलान नहीं। (पांच प्रकरण, ₹ 374.38 लाख)
- 10,000 से अधिक की राशि का नकद भुगतान (21 प्रकरण)
- अनुदान प्राप्त हुआ लेकिन रोकड़ बही में नहीं लिया गया (एक प्रकरण, ₹ 1.46 लाख)
- रोकड़ बही में वसूली प्रविष्टि नहीं किया गया (तीन प्रकरण, ₹ 1.31 लाख)
- गणना में अंतर (एक प्रकरण, ₹ 35.00 लाख)

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर संबंधित विभागाध्यक्ष ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि रोकड़ बही में आवश्यक सुधार किया जाएगा तथा रोकड़ बही संधारण हेतु मौजूदा नियम का अनुसरण किया जाएगा।

उपरोक्त कुल राशि ₹ 8.99 करोड़ का विवरण परिशिष्ट-3.13 में दिखाया गया है। उपरोक्त अनियमितताओं ने छत्तीसगढ़ कोषालय संहिता के नियम 53 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। विभाग ने नकदी से निपटने में कोषालय नियमों के प्रावधानों को लागू नहीं किया। रोकड़ बही रखरखाव के साथ-साथ पर्यवेक्षण एवं आंतरिक नियंत्रण का आभाव था।

इस प्रकार, रोकड़ बही के रखरखाव में संहिता के प्रावधानों का पालन न होने के कारण लेखापरीक्षा शासकीय धन ₹ 8.99 करोड़, के दुरुपयोग को खारिज नहीं कर सकता है।

अनुशंसा: रोकड़ बही में अनियमितता निधियों का दुर्विनियोजन तथा गबन के जोखिमों को बढ़ावा देता है। सरकार दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही करें।

3.10 भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर

सरकारी विभाग द्वारा संग्रहित श्रम उपकर छ.ग. समेकित निधि जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अंतर्गत आवश्यक है, में प्रेषण न करते हुए सीधे मुख्य शीर्ष-8443 सिविल जमा - 108 लघु शीर्ष लोक निर्माण जमा में दर्ज किया गया है। जबकि लघु शीर्ष लोक निर्माण जमा का कोई उप-शीर्ष नहीं होने के कारण श्रम कल्याण मण्डल में जमा राशि को पृथक करना संभव नहीं है।

3.10.1 श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से प्रत्यक्ष हुआ कि विभिन्न एजेंसियों द्वारा एकत्रित उपकर चेकों/धनादेशों के माध्यम से मण्डल को भेजा गया या इसी उद्देश्य के लिए खोले गए मण्डल के बैंक खाते में जिला श्रम कार्यालयों द्वारा जमा किया गया। अवधि 2015-16 से 2017-18 में उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं व्यय की स्थिति का विवरण तालिका 3.10 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका 3.10 श्रम उपकर की वर्षवार प्राप्ति एवं उपयोग

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्ति			कुल उपलब्ध राशि	व्यय (स्थापना व्यय सम्मिलित)	अंतः शेष
			नमांकन शुल्क एवं वार्षिक सदस्यता शुल्क	बोर्ड के खाते में प्राप्त श्रम उपकर	जमा पर ब्याज			
1	2015-16	247.48	0.07	127.34	20.85	395.74	121.95	273.79
2	2016-17	273.79	0.15	172.71	19.76	466.41	183.92	282.49
3	2017-18	282.49	0.22	185.93	13.91	482.55	209.10	273.45

(स्रोत: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कल्याण मण्डल द्वारा प्रदत्त सूचना से संकलित)

राज्य सरकार भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण कोष से लाभार्थियों को पेंशन, मातृत्व लाभ, घरों के निर्माण के लिए अग्रिम, अंतिम संस्कार सहायता, चिकित्सा सहायता, छात्रों के लिए खेल में प्रोत्साहित करने के लिए सहायता, शिक्षा/विवाह/कौशल विकास

के लिए वित्तीय सहायता, एलपीजी गैस कनेक्शन का वितरण जैसी विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों का संचालन किया गया है। 2017-18 के दौरान इन योजनाओं पर व्यय का विवरण तालिका 3.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.11 उपलब्ध निधि का योजनाओं पर व्यय

वर्ष	उपलब्ध राशि (करोड़ में)	संचालित योजना		योजना पर वास्तविक व्यय करोड़ में	वर्ष के अंत में पंजीकृत श्रमिक	लाभान्वित श्रमिक	प्रतिशत		
		संख्या	आवंटन करोड़ में				लाभान्वित श्रमिक	आवंटित धन के विरुद्ध व्यय	उपलब्ध धन के विरुद्ध व्यय
2015-16	395.74	45	146.28	120.11	5,95,991	2,49,566	41.87	83.10	30.35
2016-17	466.41	36	273.13	180.83	10,13,018	9,57,190	94.49	66.21	38.77
2017-18	482.55	36	308.38	202.66	14,13,021	4,82,901	34.17	65.72	42.15

(स्रोत: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा सूचना से संकलित)

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि मण्डल उपलब्ध धन का केवल 42 प्रतिशत का उपयोग कर सका और 2017-18 के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत केवल 34 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों को लाभान्वित किया गया। इस प्रकार, ₹ 279.69 करोड़ उपलब्ध धनराशि का उपयोग नहीं होने के कारण, पंजीकृत श्रमिक विभिन्न योजनाओं का लाभ पाने से वंचित हो गये। छत्तीसगढ़ में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण निधि से वर्ष 2017-18 के दौरान 42 प्रतिशत निधि का उपयोग हुआ जो कि मध्य प्रदेश (14 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (7 प्रतिशत) और बिहार (5 प्रतिशत) से अधिक रहा। यह भी कि 34 प्रतिशत श्रमिकों को लाभान्वित किया गया जो मध्यप्रदेश (19 प्रतिशत), उत्तर प्रदेश (8 प्रतिशत) और बिहार (11 प्रतिशत) से अधिक है।

अनुशंसा: राज्य सरकार को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण मंडल में पंजीकृत कर्मकार के लिए कार्यान्वित कल्याण योजनाओं पर अधिकतम राशि उपयोग में लाना सुनिश्चित करना चाहिए।

3.11 राज्य के पुनर्गठन पर शेषों का विभाजन

नवम्बर 2000 में पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के लगभग दो दशक बाद अनुवर्ती राज्यों मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के बीच लोक लेखा शीर्षों के अंतर्गत राशि ₹ 118.28 करोड़, पूँजीगत शीर्षों के अंतर्गत, ₹ 5,750.38 करोड़ तथा ऋण और अग्रिम के अंतर्गत 1,297.35 करोड़ राशि का संविभाजन किया जाना शेष है।

अनुशंसा: दोनो अनुवर्ती राज्यों के बीच लोक लेखा, पूँजीगत लेखा जमा एवं अग्रिम की शेष राशि के बंटवारे की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए राज्य शासन को मध्य प्रदेश के साथ संपर्क करना चाहिए।

3.12 राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपालन

2008-09 से राज्य वित्तीय प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। अद्यतन छत्तीसगढ़ विधानसभा की लोक लेखा समिति में राज्य वित्त के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर कोई परिचर्चा नहीं की गई है।

3.13 राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

वित्त लेखे में व्यय एवं राजस्व के त्रुटिपूर्ण अंकन/लेखन के फलस्वरूप राजस्व आधिक्य में राशि ₹ 2,429.00 करोड़ की अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटे में राशि ₹ 66.46 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई जो कि तालिका 3.12 में दिया गया है:

तालिका 3.12 राजस्व आधिक्य एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व आधिक्य पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति	अत्योक्ति	न्यूनोक्ति
सहायता अनुदान राशि का राजस्व के स्थान पर पूँजीगत शीर्ष में दर्ज करना	2,359.39	0.00	0.00	0.00
कार्यालय व्यय को पूँजीगत शीर्ष में दर्ज किया गया	0.18	0.00	0.00	0.00
पेशेवर सेवा व्यय राजस्व के बदले पूँजी अनुभाग के तहत दर्ज किया गया	2.50	0.00	0.00	0.00
रख-रखाव व्यय को राजस्व के स्थान पर पूँजीगत शीर्ष दर्ज करना	0.47	0.00	0.00	0.00
ऋणशोधन निधि में कम अंशदान	17.15	0.00	0.00	17.15
राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में अनुदान का अहस्तांतरण	49.31	0.00	0.00	49.31
कुल (शुद्ध) प्रभाव	2,429.00	0.00	0.00	66.46

उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में, राजस्व आधिक्य के ₹ 2,429.00 करोड़ के अत्योक्ति तथा राजकोषीय घाटा के ₹ 66.46 करोड़ के न्यूनोक्ति के कारण राज्य के राजस्व आधिक्य तथा राजकोषीय घाटा जो कि वित्त लेखा में ₹ 3,417.32 करोड़ तथा ₹ 6,810.32 करोड़ वर्णित है, वास्तव में क्रमशः ₹ 988.32 करोड़ तथा ₹ 6,876.78 करोड़ होंगे।

(दिनेश आर. पाटील)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़

रायपुर
दिनांक 27 सितम्बर 2019

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 03 अक्टूबर 2019

परिशिष्ट

परिशिष्ट-1.1 (अ)
(संदर्भ: कंडिका-छत्तीसगढ़ का पार्श्व दृश्य; पृष्ठ-1)
छत्तीसगढ़ राज्य की रूपरेखा

अ-सामान्य आंकड़े

सं क्रं.	विवरण	आँकड़े	
1	क्षेत्र	1,35,192 वर्ग कि.मी.	
2	जनसंख्या		
	अ 2001 की जनगणना के अनुसार	2.08 करोड़	
	ब 2011 की जनगणना के अनुसार	2.55 करोड़	
3	अ जनसंख्या का घनत्व (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व =325 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	154 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.	
	ब जनसंख्या का घनत्व ¹ (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत घनत्व =382 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.)	189 व्यक्ति प्रतिवर्ग कि.मी.	
4	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या ² (बी.पी.एल.) (राष्ट्रीय औसत=21.90 प्रतिशत)	39.9 प्रतिशत	
5	अ साक्षरता (2001 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत =64.80 प्रतिशत)	64.66 प्रतिशत	
	ब साक्षरता ³ (2011 के जनगणना के अनुसार) (राष्ट्रीय औसत =73.00 प्रतिशत)	70.30 प्रतिशत	
6	शिशु मृत्यु दर ⁴ (जैसा की वर्ष 2016 में)(प्रति 1000 जीवित बच्चों पर) (राष्ट्रीय औसत =34 प्रति 1000 जीवित बच्चे)	39 प्रति 1000 जीवित बच्चे	
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ⁵ (वर्ष 2011-15 संपूर्ण भारत का औसत = 68.30)	65.20	
8	मानव विकास सूची ⁶ 2007-2008(संपूर्ण भारत =0.467)	0.358	
9	गिनी कोएफिशियेन्ट ⁷		
	अ ग्रामीण (राष्ट्रीय=0.29)	0.28	
	ब शहरी (राष्ट्रीय=0.38)	0.33	
	वर्तमान मूल्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद ⁸ (जी.एस.डी.पी) 2017-18वर्तमान मूल्यों पर	₹ 2,91,681 करोड़ में	
10	प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2008-09 से 2017-18) सी.ए.जी.आर	सामान्य राज्य श्रेणी	13.10
		छत्तीसगढ़	11.60
11	सकल राज्य घरेलू उत्पाद सी.ए.जी.आर (2008-09 से 2017-18)	सामान्य राज्य श्रेणी	14.50
		छत्तीसगढ़	13.00
12	जनसंख्या वृद्धि (2008 से 2017)	सामान्य राज्य श्रेणी	11.60
		छत्तीसगढ़	12.40

ब. वित्तीय आंकड़े

विवरण		विवरण (प्रतिशत में)			
		2008-09 से 2016-17		2016-17 से 2017-18	
सी.ए.जी.आर		सामान्य राज्य श्रेणी	छत्तीसगढ़	सामान्य राज्य श्रेणी	छत्तीसगढ़
क.	राजस्व प्राप्तियों का	15.10	16.65	11.30	11.11
ख.	स्वयं का राजस्व का	14.90	24.37	12.20	5.01
ग.	क्र भिन्न राजस्व का	9.50	12.55	5.90	11.83
घ.	कुल व्यय का	15.80	16.38	4.70	14.89
ङ	पूँजीगत व्यय का	14.00	16.25	1.00	5.79
च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	14.50	21.58	6.20	6.90
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.20	24.68	10.70	21.56
ज	मजदूरी एवं वेतन का	13.40	15.25	8.90	15.41
झ	पेंशनका	16.20	17.94	22.90	12.56

(स्रोत :राज्य शासन के वित्त लेखाओं पर आधारित वित्तिये आँकड़े)

1 जनगणना जानकारी 2011 में भारत की कुल जनसंख्या आँकड़ें।

2 आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), भाग, 2 पृष्ठ अ 160-161।

3 आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), भाग, 2 पृष्ठ अ 155।

4 आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), भाग, 2 पृष्ठ अ 151।

5 आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), भाग, 2 पृष्ठ अ 151।

6 आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 (जनवरी 2018), भाग, 2 पृष्ठ अ 161 और वर्ष 1999-2000 के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य का मानव विकास सूची सम्मिलित नहीं है क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन वर्ष 2000 के दौरान हुआ।

7 एचटीटीपी // प्लानिंगकमीशनएनआईसी.आईएन/ डाटा/ डाटाटेबल/ डाटा2312/ डाटाबुकडीसी2014:20106.पीडीएफ

8 आर्थिक सर्वेक्षण छत्तीसगढ़ 2017-18।

परिशिष्ट-1.1 (ब)

(संदर्भ: कंडिका-1.1: पृष्ठ-1)

शासकीय लेखों की संरचना एवं प्रपत्र

सरकार के लेखे की संरचना: राज्य शासन के लेखे तीन भागों (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखे में रखा जाते हैं।

भाग (I) समेकित निधि: राज्य शासन द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, विनियम पत्र द्वारा प्राप्त समस्त ऋण, आंतरिक और बाह्य ऋण और ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन एक समेकित निधि का निर्माण करते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत यह निधि राज्य की समेकित निधि के नाम से स्थापित की गई है।

भाग (II) आकस्मिकता निधि: भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) के अंतर्गत राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना की गई। यह अग्रिम के रूप में होती है, इसे अत्यावश्यक अनपेक्षित व्यय हेतु अग्रिम प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए राज्यपाल के अधीन रखा जाता है, इस व्यय को बाद में विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाता है। बाद में विधान मंडल द्वारा ऐसे व्यय का अनुमोदन और समान राशि समेकित निधि से आहरण करने की अनुमति प्राप्त की जाती है। तब आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिमों की इस निधि (समेकित) द्वारा भरपाई की जाती है।

भाग (III) लोक लेखा: कुछ लेन-देनों जैसे लघु बचतें, भविष्य निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप, उचंत, प्रेषण आदि से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो समेकित निधि के हिस्से नहीं हैं, इस प्रकार प्राप्त लोक धन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखा के अंतर्गत रखा जाता है एवं जो विधान मंडल के द्वारा मत के अधीन नहीं है।

भाग-स: वित्त लेखों की रूपरेखा

वित्त लेखों को दो भागों में विभाजित किया गया है।

खण्ड-1 – सारांशीय विवरणी

विवरण क्र. 1	वित्तीय स्थिति का वितरण-वर्ष के अंत में शासन के परिसम्पत्तियों एवं दायित्वों की संचयित आंकड़े।
विवरण क्र. 2	प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण-वर्ष के दौरान शासन द्वारा सरकारी लेखे में तीन भागों में रखे गये प्राप्तियाँ एवं संवितरण।
विवरण क्र. 3	प्राप्तियों का विवरण- शासन की राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं शासन द्वारा उधार से प्राप्तियों का विवरण।
विवरण क्र. 4	समेकित निधि में व्यय का विवरण- कार्यकलाप एवं क्रियाकलाप अनुसार व्यय का विवरण।
विवरण क्र. 5	प्रगामी पूँजीगत परिव्यय का विवरण-पूँजीगत व्यय का प्रगामी जोड़ मार्च 2018 अंत तक का सारांशी विवरण।
विवरण क्र. 6	उधारों तथा अन्य दायित्वों का विवरण-शासन के उधारों का सारांशी विवरण जिसमें आंतरिक ऋण भारत सरकार से प्राप्त कर्जे, अन्य दायित्व एवं ऋणों की सेवायें।
विवरण क्र. 7	शासन द्वारा दिये गये कर्जे तथा पेशगियों का विवरण- राज्य शासन द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये ऋणों और अग्रिमों, किये गये पुनर्भुगतान और वसूलियों का बकाया इत्यादि।
विवरण क्र. 8	वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए विभिन्न संबंधित पूँजीगत शेयर एवं ऋण पत्र में शासकीय निवेश का तुलनात्मक सारांश।
विवरण क्र. 9	शासन द्वारा दिए गए प्रत्याभूतियों का विवरण-सांविधिक निगमों, स्थानीय निगमों एवं अन्य संस्थाओं द्वारा लिए गए ऋणों आदि के पुनर्भुगतान हेतु सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति।
विवरण क्र. 10	राज्य शासन द्वारा प्रदत्त सहायता अनुदान का विवरण।
विवरण क्र. 11	प्रभारित एवं दत्तमत् व्यय का विवरण-वर्ष के दौरान किये गए व्यय के भारित एवं दत्तमत् मध्य वितरण।
विवरण क्र. 12	वर्ष 2017-18 के अंत तक व्यय (राजस्व लेखे के अतिरिक्त) के लिये अन्य निधियों के स्रोतों एवं उपयोग का विस्तृत विवरण।
विवरण क्र. 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखे के अंतर्गत शेषों का सारांश, ऋण, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखे से संबंधित लेखे के शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियाँ संवितरण एवं शेषों का विस्तृत लेखा।

खण्ड-2 – विस्तृत विवरणी

विवरण क्र. 14	राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 15	राजस्व व्यय का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 16	मुख्य शीर्षवार तथा लघुशीर्षवार पूँजीगत व्यय का विस्तृत विवरण: वर्ष 2017-18 के अंत तक खर्च किए गये विस्तृत पूँजीगत व्यय एवं पिछले वर्ष की आंकड़ों से तुलना को दर्शाता है।
विवरण क्र. 17	उधारों तथा अन्य दायित्वों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण
विवरण क्र. 18	सरकार द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम का विस्तृत विवरण: छत्तीसगढ़ शासन द्वारा दिये गये ऋण एवं अग्रिम, वर्ष के दौरान ऋण का पुनर्भुगतान, 31 मार्च 2018 तक का विस्तृत लेखा।
विवरण क्र. 19	शासन के निवेशों का विस्तृत विवरण: 31 मार्च 2018 के अंत तक सांविधिक निगमों, शासकीय कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूँजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य शासन के निवेश का विवरण
विवरण क्र. 20	शासन द्वारा दिये गये प्रत्याभूतियों का विवरण-संस्थावार
विवरण क्र. 21	आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखे संव्यवहारों का विस्तृत विवरण।
विवरण क्र. 22	चिन्हित निधियों के निवेश का विस्तृत विवरण।

परिशिष्ट – 1.2

(संदर्भ: कंडिका-1.1.1: पृष्ठ-1)

वित्तीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनायी जाने वाली विधि
राजकोषीय स्थिति के आंकलन हेतु अपनाई गई कार्यविधि

यह मानकर कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के कार्य निष्पादन का अच्छा सूचक है, वृहत राजकोषीय कुल योग जैसे कर एवं कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय, आंतरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को प्रचलित बाजार मूल्य से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिनिधित्व वाले आधार के संदर्भ में संगत राजकोषीय अस्थिर अंक के सह दक्षता सहित उत्पलावकता की संगणना यह आंकलन करने के लिए की गई है कि संसाधनों का संग्रह व्यय की रीति इत्यादि आधार में परिवर्तन के साथ कदम से कदम मिला रहा है अथवा इन राजकोषीय कुल योग पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अलावा अन्य तत्वों द्वारा प्रभावित होता है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के पुनरीक्षित अनुमान का आंकलन आधार वर्ष 2004-05 से वर्ष 2011-12 में परिवर्तित कर तैयार किये गए हैं। इस पद्धति में बाजार भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आंकलन उत्पादन एवं उत्पादक कर जोड़कर सब्सिडी को घटाते हुए किया गया है। इसलिए, अवधि 2013-14 से 2016-17 के के दौरान पिछले प्रतिवेदनों में स.रा.घ.उ. के सापेक्ष विभिन्न परिमाण के आकड़ें भी पुनरीक्षित हुए हैं।

विगत पाँच वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्रवृत्तियाँ निम्नानुसार सूचित किया जाता है

सकल राज्य घरेलू उत्पाद का झुकाव

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्रचलित भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ में)	2,06,833	2,21,142	2,34,212	2,62,263	2,91,681
प्रचलित भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	16.52	6.92	5.91	11.98	11.22
स्थिर भाव पर राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	1,82,579	1,85,882	1,97,069	2,13,649	2,27,866
स्थिर भाव पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.00	1.81	6.02	8.41	6.65

(स्रोत: सांख्यिकी की एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट)

वित्तिय जोड़ो की धारा एवं रूपरेखा के कुछ चुनिंदा मदो की परिभाषा निम्नानुसार है:

मद	गणना का आधार
वृद्धि की दर (आरओजी)	$[(\text{चालू वर्ष की राशि} / \text{पिछले वर्ष की राशि}) - 1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएँ+आर्थिक सेवाएँ
राज्य द्वारा औसत ब्याज भुगतान	$\text{ब्याज भुगतान} / [(\text{पूर्व वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताओं}) / 2] * 100$
ब्याज विस्तार	सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि-औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक*ब्याज विस्तार
दिये गये बकाया ऋणों पर प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	$\text{ब्याज प्राप्ति} / [(\text{प्रारंभिक शेष} + \text{ऋण एवं अग्रिमों का अंतिम शेष}) / 2] * 100$
राजस्व आधिक्य (+)/घाटा (-)	राजस्व प्राप्ति-राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय+पूँजीगत व्यय+निवल ऋण एवं अग्रिम-राजस्व प्राप्तियाँ-विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारंभिक घाटा	राजकोषीय घाटा-ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	राजस्व प्राप्तियों से घटायें सभी योजना अनुदानों एवं आयोजनेत्तर राजस्व व्यय मुख्य शीर्ष 2048 में दर्ज व्यय को छोड़कर ऋण परिहार को कम करने के लिए विनियोग
संसाधनों का अंतर	क्रमिक गैर ऋण प्राप्तियाँ-क्रमिक प्राथमिक राजस्व व्यय+क्रमिक ब्याज भुगतान

परिशिष्ट – 1.3 (भाग – अ)
(संदर्भ: कंडिका-1.1.1: पृष्ठ-1)
वर्ष 2017-18 के प्राप्ति एवं भुगतान का सार

(₹ करोड़ में)

2016-17		प्राप्तियाँ	2017-18		2016-17		भुगतान	2017-18
53,685.25		राजस्व प्राप्ति		59,647.07	48,164.60		राजस्व व्यय	56,229.75
	18,945.21	कर राजस्व	19,894.68			11,496.23	सामान्य सेवायें	12,870.41
	5,669.25	कर-भिन्न राजस्व	6,340.42			21,341.61	समाजिक सेवायें	24,371.59
	18,809.16	संघीय करों में राज्य हिस्सा	20,754.81			11,079.36	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	11,844.56
	10,261.63	केन्द्र प्रायोजित योजनाओं हेतु अनुदान	9,275.76			2,967.27	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	3,606.70
		वित्त आयोग से प्राप्त अनुदान	1,460.23			4,104.07	जल प्रदाय स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	5,898.63
		राज्यों को अन्य हस्तांतरण अनुदान	1,921.17			121.22	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	145.30
						196.36	अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जन जातियों / अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	176.15
						220.04	श्रम एवं श्रमिक कल्याण	255.00
						2,631.67	समाजिक कल्याण एवं पोषण	2,421.73
						21.62	अन्य	23.52
						14,176.21	आर्थिक सेवायें	17,623.09
						6,768.72	कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप	8,781.05
						4,299.11	ग्रामीण विकास	3,695.49
						0.00	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.00
						59.09	संचार	62.18
						524.82	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	534.44
						1,035.89	ऊर्जा	2,635.18
						758.32	उद्योग एवं खनिज	856.25
						653.58	परिवहन	943.24
						12.48	विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	8.33
						64.20	सामान्य आर्थिक सेवायें	106.93
						1,150.55	सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,364.66
53,685.25		कुल राजस्व प्राप्ति	59,647.07			48,164.60	कुल राजस्व व्यय	56,229.75
	II	अनुभाग ब में अग्रपिप्त राजस्व घाटा				5,520.65	अनुभाग ब में अग्रपिप्त राजस्व आधिक्य	3,417.32
53,685.25		योग		59,647.07	53,685.25		योग	59,647.07

परिशिष्ट – 1.5

(संदर्भ: कंडिका-1.1.4: पृष्ठ- 7)

वर्ष 2017-18 के दौरान महिलाओं के लिये बजट प्रावधान एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र.	योजना का नाम	मूल बजट	सहायक बजट	पुनर्विनियोजन	कुल बजट	सकल व्यय	बचत/ आधिक्य
1	ग्रामीण महिलाओं को भ्रमण एवं प्रदर्शनी निर्देश	1.50	0.00	(-)0.11	1.39	1.39	0.00
2	नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोकस्वास्थ्य का एकीकरण	27.65	0.55	(-)10.34	17.86	16.31	1.55
3	महिला खेलकूद प्रतियोगिता	1.50	0.00	(-)0.06	1.44	1.44	0.00
4	विविध संस्थाओं को अनुदान	0.63	0.00	(-)0.03	0.60	0.60	0.00
5	स्पनिंग मिल हेतु अनुदान	0.06	0.00	0.00	0.06	0.06	0.00
6	कन्याओं को शिक्षण प्रोत्साहन योजना	8.48	0.00	(-)3.08	5.40	5.40	0.00
7	स्वास्थ्य मितानिन योजना हेतु अनुदान	1.29	0.00	0.00	1.29	1.29	0.00
8	हाईस्कूल छात्राओं को निशुल्क सायकल प्रदाय	61.00	0.00	(-)1.61	59.39	59.41	(-)0.03
9	मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	13.00	0.00	(-)1.37	11.63	11.63	0.00
10	समारोह हेतु अनुदान	15.00	5.07	(-)5.41	14.66	14.89	(-)0.23
11	किशोरी शक्ति योजना	1.45	0.00	(-)0.44	1.01	1.01	0.00
12	मितानिन कल्याण निधि	41.57	30.00	0.00	71.57	67.60	3.97
13	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	56.65	0.00	(-)0.51	56.14	59.95	(-)3.81
14	सबला योजना	168.34	0.00	(-)3.87	164.47	164.43	0.04
15	असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण	19.25	0.00	(-)6.76	12.49	12.49	0.00
16	राष्ट्रीय ग्रामीण अजीविका मिशन	215.00	34.07	(-)8.01	221.06	221.06	0.00
17	कन्या शिक्षा परिसर	12.03	0.30	(-)0.99	11.34	11.33	0.02
18	व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना	13.52	0.00	(-)4.23	9.28	6.73	2.55
19	महतारी जतन योजना	25.00	0.00	11.65	36.65	36.89	(-)0.24
20	मुख्यमंत्री अमृत योजना	41.41	0.00	(-)23.61	17.80	17.67	0.13
21	प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	25.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
22	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	2,841.00	1,184.00	(-)795.22	3,229.78	3,229.78	0.00
23	दृष्टि एवं श्रवण बाधितार्थों के लिए शालाएं तथा संस्थएं	17.48	0.00	(-)3.92	13.56	13.72	(-)0.15
24	शहरी क्षेत्रों में महिला शौचालय	5.00	0.00	(-)5.00	0.00	0.00	0.00
25	असंगठित सफाई कर्मगार कल्याण मंडल	10.00	0.00	(-)7.55	2.45	2.45	0.00
26	ठेका मजदूर घरेलू कामकाजी महिला एवं हमाल कल्याण मंडल	10.00	0.00	(-)4.83	5.17	5.17	0.00
27	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण	1.00	11.00	(-)2.11	9.89	9.87	0.02
28	महिला जागृति शिविर	5.46	0.00	(-)0.50	4.96	4.96	0.00
योग		3,639.26	1,264.99	(-)897.93	4,006.32	4,002.51	3.81

भाग ब – व्यय/वितरण					
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
10.राजस्व व्यय	32,859(85)	39,561(85)	43,701(84)	48,165(83)	56,230(84)
योजना	13,749(42)	20,990(53)	20,529(47)	24,253(50)	0.00
गैर योजना	19,110(58)	18,571(47)	23,172(53)	23,912(50)	0.00
सामान्य सेवायें	7,851(24)	9,041(23)	10,409(24)	11,496(24)	12,870(23)
समाजिक सेवायें	14,282(43)	15,38(39)	16,339(37)	21,342(44)	24,372(43)
आर्थिक सेवायें	9,756(30)	14,152(36)	16,053(37)	14,176(29)	17,623(31)
सहायक अनुदान एवं अशंदान	970(03)	979(02)	900(02)	1,151(02)	1,365(02)
11.पूँजीगत व्यय	4,574(12)	6,544(14)	7,945(15)	9,471(16)	10,001(15)
योजना	4,575(100)	6,535(99.86)	7,943(99.97)	9,432(99.95)	0.00
गैर योजना	(-) 01	9(0.14)	2(0.03)	39(0.41)	0
सामान्य सेवायें	182(4)	258(4)	362(05)	188(1.99)	303(3)
सामान्य सेवायें	692(15)	1,560(24)	1,807(23)	2,461(25.89)	2,652(27)
आर्थिक सेवायें	3,700(81)	4,727(72)	5,776(73)	6,822(72)	7,046(70)
12.ऋण एवं अग्रिम का वितरण	1,319(3)	89(0.19)	165(0.32)	273(0.46)	369(0.55)
12(अ)राज्य अंतरीय समायोजन	5	1	0.49	0.44	1
13. योग (10+11+12+12(अ))	38,757	46,195	51,811	57,909	66,600
14.लोक ऋण का पुर्नभुगतान	690(2)	1,337(3)	1,250(02)	1,153(02)	1,000(1)
आंतरिक ऋण	541(78)	1,180(88)	1,086(87)	983(85)	828(83)
शुद्ध लेनदेन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
भारत सरकार से प्राप्त ऋण एवं अग्रिम	149(22)	157(12)	164(13)	170(15)	172(17)
15.आकस्मिकता निधि में पुर्नविनियोजन	-	-	-	60	0.00
16.संचित निधि से कुल वितरण(13+14+15)	39,447	47,532	53,061	59,122	67,600
17.आकस्मिकता निधि से भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18. लोक लेखे से भुगतान	43,434	49,933	54,001	61,149	71,754
19. राज्य द्वारा किया गया कुल भुगतान(16+17+18)	82,881	97,465	1,07,062	1,20,271	1,39,354
भाग स – कमी					
20.राजस्व कमी(-)(1-10)/आधिक्य (+)	(-)809	(-)1,573	2,367	5,521	3,417
21. वित्तिय कमी (-) आधिक्य(+)(4-13)	(-) 5,057	(-) 8,008	(-)4,574	(-)4,047	(-)6,810
22.प्राथमिक कमी(-) प्राथमिक आधिक्य(+)(21+23)	(-) 3,706	(-) 6,281	(-)2,425	(-)1,360	(-)3,712

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.12	0.14	0.15	0.16	0.15
समाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय (अनुपात)	0.11	0.14	0.15	0.16	0.15
3. राजकोषीय असंतुलों का प्रबंधन					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/ स.रा.घ.उ. (अनुपात)	0	(-)0.01	0.01	0.02	0.012
राजकोषीय घाटा(-)/आधिक्य (+)/ स. रा.घ.उ. (अनुपात)	(-)0.02	(-)0.03	(-)0.02	(-)0.01	(-)0.02
प्रारंभिक घाटा/आधिक्य/ स.रा.घ.उ.(अनुपात)	(-)0.02	(-)0.03	(-)0.01	(-)0.00	(-)0.01
राजस्व घाटा/आधिक्य/राजकोषीय घाटा (अनुपात)	0.16	0.2	(-)0.52	(-)1.36	(-)0.50
4. राजकोषीय दायित्वों का प्रबंधन					
राजकोषीय देनदारियाँ/ स.रा. घ.उ.(अनुपात)	0.12	0.13	0.14	0.15	0.18
राजकोषीय देनदारियाँ/राजस्व प्राप्ति (अनुपात)	0.78	0.82	0.82	0.81	0.89
प्रमात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा (अनुपात)	2.71	3.58	1.2	0.78	(-)1.73
5. अन्य राजकोषीय सूचक					
निवेश पर प्रतिफल (प्रतिशत)	0.76	0.05	0.09	0.01	0.07
चालू राजस्व से शेष (₹करोड़ में)	9,730	12,097	17,363	21,725	59,847
वित्तीय परिसंपत्तियाँ/देनदारियाँ (अनुपात)	1.48	1.36	1.47	1.53	1.48

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: कडिका-2.2.3, पृष्ठ 33)

योजनाएं जिनमें ₹ 10 करोड़ से अधिक अतिरिक्त व्यय हुए

(₹ करोड़ में)

स. क्रं.	विभाग	योजना का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	अतिरिक्त
1	वित्त	06-2071-01-105-2514-परिवार पेंशन	700.00	710.05	10.05
2		06-2071-01-115-5438-अवकाश नगदीकरण	150.00	176.93	26.93
3		06-2071-01-117-6801-राज्य शासन का अंशदान	370.00	393.57	23.57
4	राजस्व	08-2029-797-6754 अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण	125.40	151.78	26.38
5	वन	10-2406-01-204-5641-वन प्रबंधन समितियाँ	8.25	22.28	14.03
6	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19-2210-03-103-0101-7330- मितानिन कल्याण निधि	41.57	67.60	26.03
7		19-2210-03-198-0101-620-उप-स्वास्थ्य केन्द्र	64.27	79.31	15.05
8	आवास और पर्यावरण	21-4217-01-051-1201-7334-जी.इ.एफ. सहायित एस.यू.टी.पी. योजना	4.27	14.70	10.43
9	लोक निर्माण	24-3054-03-337-2227-नवीनीकरण	30.00	60.43	30.43
10		24-5054-04-337-0101-2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	80.00	96.38	16.38
11	स्कूल शिक्षा	27-2202-01-101-0101-3491-माध्यमिक शालाये-मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	442.63	467.02	24.40
12		27-2202-02-109-0101-578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	394.16	435.58	41.42
13	पंचायत और ग्रामीण विकास	30-2215-02-107-0701-7610-स्वच्छ भारत अभियान	581.36	624.23	42.87
14		30-2505-60-196-0701-6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	642.50	780.07	137.57
15	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	39-2408-01-101-0701-7872-पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन	29.35	42.03	12.68
16	स्कूल शिक्षा	41-2202-02-109-0102-5216-हार्ड स्कूल	95.23	119.34	24.10
17	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	41-2210-03-197-0102-5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	66.27	77.35	11.08
18		41-2210-03-198-0102-620-उप-स्वास्थ्य केन्द्र	36.96	56.41	19.45
19	पंचायत और ग्रामीण विकास	41-2505-60-196-0702-6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	488.30	645.49	157.19
20	लोक निर्माण	41-4202-01-201-0102-9005-इमारतों का अनुरक्षण लघु निर्माण कार्य मरम्मत	0.00	50.00	50.00
21	जल संसाधन	45-4702-101-0101-3803- लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएँ	118.00	144.58	26.58
22	राजस्व	58-2245-80-800-747-ओला पीड़ितों को राहत	10.00	21.71	11.71
23		58-2245-80-800-7729-डूबने से, खदान खिसकने से, रसोई गैस फटने से, बिजली गिरने से मृत्यु होने पर राहत	16.80	43.66	26.86
24		58-2245-80-800-96-अग्नि पीड़ितों को राहत	11.38	24.32	12.94
25	पंचायत और ग्रामीण विकास	64-2505-60-196-0703-6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	154.20	165.26	11.06
26	लोक निर्माण	64-5054-05-337-0103-7818-ई.पी.सी. (इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एवं कंस्ट्रक्शन)	42.00	82.00	40.00
27	शहरी प्रशासन और विकास	69-2217-80-191-0701-6808-लघु एवं मध्यम नगरों की अधोसंरचना विकास योजना	1.00	18.30	17.30
28	जल संसाधन	75-4700-07-800-0311-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	20.00	55.00	35.00
29		75-4701-12-800-0311-5188- मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	7.00	30.97	23.97
30		75-4702-101-0311-9469-नाबार्ड से ऋण सहायता के अंतर्गत	39.00	65.99	26.99
31	वित्त	1-2049-01-101-7895-7.47 % छत्तीसगढ़ राज्य विकास ऋण 2028	0.00	74.70	74.70
32		1-2049-03-104-4487-सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज	335.83	408.04	72.21
33		2-6004-02-101-3052-कर्जें	67.54	78.35	10.81
योग			5173.27	6283.43	1110.16

(स्रोत: विनियोग लेखे 2017-18)

1	2	3	4	5	6
ब- पूंजीगत दत्तमत					
25	8	भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	349.05	111.23	31.87
26	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	647.74	353.65	54.60
27	23	जल संसाधन विभाग	474.15	119.15	25.13
28	24	लोक निर्माण कार्य - सड़कें और पुल	2304.10	808.61	35.09
29	25	खनिज साधन विभाग	866.56	455.69	52.59
30	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	789.17	258.53	32.76
31	41	अनुसूचित जनजाति उपयोजना	3051.89	962.95	31.55
32	42	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	1558.89	926.34	59.42
33	45	लघु सिंचाई कार्य	476.50	185.82	39.00
34	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	1179.32	485.10	41.13
35	67	लोक निर्माण कार्य - भवन	598.45	263.46	44.02
36	68	अनुसूचित जनजाति उपयोजना से संबंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	257.14	141.51	55.03
37	75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	699.91	183.79	26.26
38	76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	900.00	234.87	26.10
39	81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	508.31	146.10	28.74
योग - ब			14,661.18	5,636.80	
स- राजस्व भारित					
40	CH-1	ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा	3,457.80	165.47	4.79
योग - स			3457.80	165.47	
द- पूंजीगत भारित					
41	CH-2	लोक ऋण	1917.38	917.50	47.85
योग - द			1917.38	917.50	
कुल योग			79,613.24	17,075.65	

(स्रोत: विनियोग लेखे 2017-18)

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: कडिका-2.2.4.2, पृष्ठ 34)

विनियोगों के अंतर्गत वर्ष के दौरान ₹ 100 करोड़ से अधिक की बचत

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग का नाम	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
1	गृह	03-2055-104-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	1171.62	983.04	188.58	16.10
2		03-2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	1929.28	1,663.76	265.52	13.76
3		03-2055-115-0600-7918-नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता	230.00	40.00	190.00	82.61
4	वित्त	06-2071-01-101-2413-निवृत्ति वेतन भोगियों को देय	3450.00	2,190.18	1,259.82	36.52
5	राजस्व	08-2029-103-0701-7635-राष्ट्रीय भू-अभिलेख का आधुनिकीकरण (NLRMP)	123.12	0.00	123.12	100.00
6	उर्जा	12-2801-80-101-0101-7305- 5 एच.पी. के पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान	1,114.18	849.67	264.51	23.74
7	आवास एवं पर्यावरण	21-4217-01-051-0101-5371-अटल नगर विकास प्राधिकरण	366.00	80.50	285.50	78.01
8	लोक निर्माण	24-3054-03-797-8716-केन्द्रीय सड़क निधि	350.00	102.55	247.45	70.70
9		24-5054-03-101-0101-3775-रेलवे ओल्डर ब्रिज का निर्माण	201.00	83.64	117.36	58.39
10		24-5054-03-337-0520-8716-केन्द्रीय सड़क निधि	350.00	198.59	151.41	43.26
11		24-5054-04-337-0101-1513-जिले की मुख्य सड़कों का निर्माण	425.00	310.31	114.69	26.99
12		24-5054-05-337-0101-7818-ई.पी.सी. (ईजीनियरिंग प्रेक्योरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन)	650.00	325.00	325.00	50.00
13	खनिज संसाधन	25-4853-01-004-0420-7794-परिवहन नेटवर्क (रेल मार्ग)	220.36	87.20	133.16	60.43
14		25-4853-01-004-0420-7796-छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम संबंधी कार्य/क्रियाकलाप	200.00	20.16	179.84	89.92
15		25-6853-01-190-0420-7796- छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम संबंधी कार्य/क्रियाकलाप	101.23	0.00	101.23	100.00
16	पंचायत और ग्रामीण विकास	30-2216-03-105-0701-7807-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	1820.50	1305.70	514.80	28.28
17		30-5054-04-337-0701-4855- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	400.00	288.41	111.59	27.90
18	स्कूल शिक्षा	33-2202-01-101-2772-प्राथमिकी शालाएं	520.49	402.61	117.88	22.65
19		33-2202-02-109-3492- माध्यमिक शालाएं	812.50	678.71	133.79	16.47

1	2	3	4	5	6	7
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	39-2408-01-102-0101-6839- मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	1200.00	819.06	380.94	31.75
21	पंचायत और ग्रामीण विकास	41-2215-02-107-0702-7610-स्वच्छ भारत अभियान	380.00	259.46	120.54	31.72
22		41-2216-03-105-0702-7807- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	1575.58	1313.60	261.98	16.63
23	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	41-2408-01-102-0102-6839-मुख्यमंत्री खाद्ययान सहायता योजना	1440.00	982.87	457.13	31.75
24	उर्जा	41-2801-06-101-0102-7305- 5 एच.पी. के पम्पों की निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान	727.68	555.07	172.61	23.72
25	जल संसाधन	41-4702-102-0102-7422-औद्योगिक जल संरचना निर्माण	160.00	43.90	116.10	72.56
26	लोक निर्माण	42-5054-03-101-0102-4149-वृहद पुलों का निर्माण	226.00	121.21	104.79	46.37
27		42-5054-04-337-0102-3539-मुख्य जिला सड़कें	294.00	133.12	160.88	54.72
28		42-5054-04-337-0702-7842-आर.आर.पी. फेस-II	546.60	143.30	403.30	73.78
29	राजस्व	58-2245-01-101-7710-फसल क्षति हेतु सहायता	691.00	566.33	124.67	18.04
30	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	64-2408-01-102-0103-6839- मुख्यमंत्री खाद्ययान सहायता योजना	360.00	245.72	114.28	31.74
31	लोक निर्माण	64-5054-04-337-0103-9002-अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	250.00	105.28	144.72	57.89
32		76-5054-03-337-1201-7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट फेस-II	450.00	343.85	106.15	23.59
33	शहरी प्रशासन और विकास	80-2515-198-7675-चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	1,022.18	905.81	116.37	11.38
34	वित्त	CH1-2049-01-101-2199-नया बाजार ऋण	150.00	0.00	150.00	100.00
35		CH2-6003-110-637-उपाय तथा साधन आग्रिम	660.00	0.00	660.00	100.00
36		CH2-.6003-110-779-कमियों की पूर्ति के लिए	264.51	0.00	264.51	100.00
योग			24,832.83	16,148.61	8,684.22	

(स्रोत: विनियोग लेखे 2017-18)

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: कंडिका-2.2.4.2, पृष्ठ 34)

बिना अनुदानों/विनियोगों की सीमा के योजनाओं के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ से अधिक बचत

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	योजना कोड	विभाग	योजना का नाम	कुल प्रावधान	व्यय	बचत
1	2	3	4	5	6	7
1	637	वित्त	उपाय एवं साधन अग्रिम	660.00	0.00	660.00
2	779		कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	264.51	0.00	264.51
3	798	उच्च शिक्षा	कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय	566.44	451.00	115.44
4	1473	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	जिला चिकित्सालय	351.14	208.40	142.74
5	1513	लोक निर्माण	जिले की मुख्य सड़कों का निर्माण	425.00	310.31	114.69
6	2199	वित्त	नया बाजार ऋण	150.00	0.00	150.00
7	2413		निवृत्ति वेतन भोगियों की देय	3450.00	2190.18	1259.82
8	2772	स्कूल शिक्षा	प्राथमिक शालाएं	522.66	404.56	118.10
9	2898	जल संसाधन	बांध तथा संलग्न कार्य	325.80	187.09	138.71
10	3491	स्कूल शिक्षा	माध्यमिक शालाएं—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	886.85	777.15	109.69
11	3492		मध्यामिक शालाएं	813.91	680.01	133.89
12	3539	लोक निर्माण	मुख्य जिला सड़कें	294.00	133.12	160.88
13	3775		रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	201.00	83.64	117.36
14	4149		वृहद पुलों का निर्माण	267.92	146.27	121.65
15	4396	स्कूल शिक्षा	माध्यमिक शालाएं—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	664.35	535.58	128.77
16	4491	गृह	सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	1960.06	1688.41	271.66
17	4492		सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	1182.47	992.88	189.59
18	4855	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	1130.79	795.48	335.31
19	5059	जल संसाधन	एनिकट/स्टापडेम का निर्माण	330.00	132.18	197.82
20	5371	आवास एवं पर्यावरण	अटल नगर विकास प्राधिकरण	574.88	269.68	305.20
21	5396	स्कूल शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान	1500.00	1379.09	120.91
22	5516	जल संसाधन	वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	598.80	382.64	216.16
23	6590	लोक कार्य	नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण	230.00	123.37	106.63
24	6839	खाद्य और नागरिक आपूर्ति	मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना	3000.00	2047.65	952.35
25	7242	कृषि, मछली पालन, पशुपालन	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)	255.47	124.59	130.88

1	2	3	4	5	6	7
26	7247	स्कूल शिक्षा	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	721.90	515.92	205.98
27	7305	ऊर्जा	5 एच.पी. के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु	2171.66	1668.66	503.00
28	7422	जल संसाधन	औद्योगिक जल संरचना निर्माण	345.00	99.82	245.18
29	7433	लोक निर्माण	छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेव्हलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट फेस- 2	900.00	665.13	234.87
30	7475	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	332.59	208.34	124.25
31	7610		स्वच्छ भारत अभियान	1441.00	1255.11	185.89
32	7626	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	292.09	191.92	100.17
33	7635	राजस्व	राष्ट्रीय भू-अभिलेख का आधुनिकीकरण (एन.एल. आर.एम.पी.)	123.12	0.00	123.12
34	7675	शहरी प्रशासन और विकास	चौहदवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अंतर्गत प्राप्त अनुदान	1336.45	1149.61	186.84
35	7710	राजस्व	फसल क्षति हेतु सहायता	691.08	566.33	124.75
36	7794	खनिज संसाधन	परिवहन नेटवर्क (रेल मार्ग)	220.36	87.20	133.15
37	7796		छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम संबंधी कार्य / क्रियाकलाप	301.23	20.16	281.07
38	7807	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	4025.00	3229.78	795.22
39	7818	लोक निर्माण	ई.पी.सी. (इंजिनियरिंग प्रोक्यूरमेंट एण्ड कंस्ट्रक्शन)	742.00	457.00	285.00
40	7842		आर.आर.पी. फेस- 2	590.00	186.70	403.30
41	7853	जल संसाधन	नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	131.00	0.00	131.00
42	7861	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	संचार क्रांति योजना	200.00	1.78	198.22
43	7918	गृह	नक्सल प्रभावित जिलों की सहायता	230.00	40.00	190.00
44	8403	स्कूल शिक्षा	शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिये	3539.66	317.00	365.66
45	8716	लोक निर्माण	केन्द्रीय सड़क निधि	725.05	415.45	309.60
46	9002		अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	250.00	105.28	144.72
47	9044	महिला एवं बाल कल्याण	एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	522.91	386.21	136.69
योग				40,438.15	28,467.68	11,970.47

(स्रोत: विनियोग लेखे 2017-18)

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: कड़िका-2.2.5: पृष्ठ 34)

वर्ष 2013-14 से 2017-18 के दौरान ₹ 20 करोड़ से अधिक तथा ₹ 10 प्रतिषत से अधिक सतत बचत

स. क्र.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	बचत राशि (₹ करोड़ में)				
			अनुदान से प्रतिशत (तिरछे अक्षरों में)				
			2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्व दत्तमत							
1	8	भूमि का पुनर्वसन और जिला प्रशासन	126.00 22.20	176.70 32.46	113.08 16.89	195.65 19.47	203.01 19.77
2	13	कृषि	173.70 23.94	204.27 10.40	265.22 25.98	194.48 15.35	387.06 16.68
3	14	पशुपालन	70.54 23.99	61.21 19.16	51.25 14.60	113.26 27.01	74.58 17.15
4	17	सहयोग	31.85 18.62	36.99 32.19	44.82 31.27	41.23 18.08	26.28 20.49
5	18	श्रम	33.64 34.28	60.55 52.68	43.61 37.06	51.93 39.38	41.98 30.80
6	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	89.30 11.14	241.13 19.47	189.76 14.44	288.37 16.89	218.18 11.57
7	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	54.68 16.89	90.03 19.21	50.24 12.80	83.39 23.20	91.53 24.40
8	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	43.07 44.71	44.96 40.09	114.49 73.25	88.78 50.14	75.86 56.24
9	24	लोक निर्माण कार्य सड़कें और पुल	128.26 11.88	222.76 29.78	314.73 29.46	354.80 38.08	322.15 28.37
10	29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	70.29 26.35	86.34 28.74	62.26 22.71	102.42 32.39	81.20 24.99
11	30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	211.47 27.17	748.51 33.30	1133.54 46.97	669.16 19.61	532.91 13.80
12	41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	1072.97 22.82	2393.70 28.82	3146.19 32.93	2807.58 27.47	2429.12 18.39
13	43	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	40.50 67.48	43.23 74.27	73.79 65.67	73.95 77.36	52.88 74.64
14	44	उच्च शिक्षा	140.49 26.48	186.97 32.90	132.05 22.20	222.87 33.63	114.60 16.79
15	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	60.76 32.47	108.35 37.88	335.89 56.73	175.41 34.07	89.79 23.29
16	55	महिला एवं बाल कल्याण	115.87 17.78	229.20 28.01	286.11 31.51	318.72 33.05	261.18 28.08
17	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	398.96 26.98	932.09 30.94	1148.10 34.79	794.37 22.65	733.50 16.29
18	69	शहरी प्रशासन और विकास	347.11 64.06	454.03 70.09	345.55 71.31	417.45 36.40	121.40 16.54
19	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	84.63 25.94	68.11 18.85	66.00 16.96	145.59 26.56	160.36 27.10
20	82	त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	314.77 19.24	364.17 16.95	257.04 18.41	418.14 21.98	321.79 16.80

1	2	3	4	5	6	7	8
राजस्व भारित							
21	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	44.72	20.42	72.94	43.40	78.31
			87.43	34.90	39.84	18.29	26.23
22	21	आवास एवं पर्यावरण विभाग	229.56	209.40	616.45	178.88	353.65
			81.17	60.34	66.96	27.22	54.60
23	41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	626.73	808.73	686.97	575.76	962.95
			31.01	41.50	29.19	20.64	31.55
24	42	आदिवासी क्षेत्र उप योजना सड़क और पुलों से संबंधित कार्य	185.03	81.59	372.00	574.36	926.34
			40.78	19.48	47.59	49.68	59.42
25	45	लघु सिंचाई कार्य	125.02	95.39	96.52	94.59	185.82
			19.84	21.14	19.83	18.50	39.00
26	47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	37.21	36.47	61.28	67.82	23.98
			89.66	53.16	64.54	67.27	61.28
27	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	296.27	218.11	470.44	492.52	485.10
			30.63	25.37	40.62	37.18	41.13
28	67	लोक निर्माण कार्य-भवन	124.31	56.81	125.66	251.27	263.46
			31.30	15.21	20.65	39.03	44.02
29	68	आदिवासी क्षेत्र उप योजना सड़क और पुलों से संबंधित कार्य	67.02	46.83	20.87	36.35	141.51
			36.29	20.21	10.15	15.17	55.03

(स्रोत: विनियोग लेखे 2013-14 से 2017-18)

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: कडिका-2.2.6: पृष्ठ 35)

योजनाएँ जिनमें ₹ 10 करोड़ से अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग	लेखे का शीर्ष	कुल प्रावधान
1	2	3	4
1	राजस्व	08-2029-103-0701-7635-राष्ट्रीय भू-अभिलेख का आधुनिकीकरण (एन. एल.आर.एम.पी.)	123.12
2	कृषि	13-2401-119-0311-7854- नाबार्ड पोषित संरक्षित खेती एवं फसलोत्तर प्रबंधन योजना	11.50
3	जल संसाधन	13-2401-800-0311-7853-नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	65.50
4	वित्त	19-2210-03-110-0101-7330-मितानिन कल्याण निधि	30.00
5	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19-2210-06-101-0801-6729-एड्स कल्याण निधि	20.00
6		19-4210-01-110-0701-7327-मानसिक चिकित्सालय	18.16
7	आवास एवं पर्यावरण विभाग	21-2216-02-190-0101-7444-विकास नगर योजना	20.00
8		21-2216-02-190-0101-7670-मुख्यमंत्री आवासीय योजना	10.00
9		21-4216-01-106-0101-7552-कर्मचारियों के लिए आवास भवनों का निर्माण	17.25
10		21-6217-01-800-0101-7669-रायपुर में सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	70.00
11	लोक निर्माण	24-5054-04-337-0311-7813-ई.पी.सी. (नाबार्ड) के माध्यम से सड़क निर्माण	25.00
12		25-4853-01-004-0420-7795-परिवहन नेटवर्क (विमानन)	30.00
13	खनिज संसाधन	25-6853-01-190-0420-7796-छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम संबंधी कार्य/क्रियाकलाप	101.23
14	लोक निर्माण	29-4059-01-051-0101-2450-न्याय प्रशासन	22.00
15	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	30-2235-60-196-0101-8968-अटल खेतिहर मजदूर बीमा योजना	12.70
16		30-2505-60-101-0101-7877-मुख्यमंत्री मनरेगा मजदूर टिफिन वितरण योजना	10.00
17		30-4515-102-0801-7645-ग्रामीण सड़क नेटवर्क प्रबंधन इकाई	20.00
18		30-5054-04-337-0101-4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	32.50
19	परिवहन	36-5055-050-0801-7750-ड्रायविंग ट्रेनिंग एवं अनुसंधान संस्थान	14.40
20	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	39-2408-01-102-0701-7801- मूल्य स्थिरिकरण निधि योजना	13.50
21	जल संसाधन	41-2401-800-0312-7853-नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	49.78
22	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	41-2408-01-102-0702-7801-मूल्य स्थिरिकरण निधि योजना	10.26
23	वाणिज्य और उद्योग	41-2852-80-102-0102-5385-नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना	19.67
24	स्कूल शिक्षा, अनुसूचित जाति जन जाति विकास	41-4202-01-202-0702-8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना	12.00
25	चिकित्सा शिक्षा	41-4210-01-110-0702-7851-टर्शटी केंसर संस्थान	10.00
26	कृषि जल संसाधन	41-4702-101-0702-7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	15.00
27	खनिज संसाधन	41-4853-01-004-0420-7795-परिवहन नेटवर्क (विमानन)	27.67

1	2	3	4
28	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग	41-5054-04-337-0102-4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	32.50
29	लोक निर्माण	42-5054-04-337-0312-7813-ई.पी.ओ. (नाबार्ड) के माध्यम से सड़क निर्माण	19.00
30	खेल एवं युवा कल्याण	43-2204-104-0101-7473-37 वें राष्ट्रीय खेल	41.00
31	कृषि, जल संसाधन	45-4702-101-0701-7684- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	15.00
32	लोक निर्माण	45-5054-05-337-0101-7820-सड़क एवं पुल निर्माण	20.00
33	राजस्व	58-2245-01-800-1467-जिला एवं अन्य सड़कें	10.00
34		58-2245-02-122-989-क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्यों के मरम्मत और उसकी पुनः स्थापना	28.90
35		58-2245-05-101-4849-राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण	30.00
36	कृषि	64-2401-800-0313-7853- नाबार्ड पोषित सूक्ष्म सिंचाई योजना	15.72
37	लोक कार्य	68-4202-01-202-0102-3490-माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण	15.85
38	विद्युत और सूचना प्रौद्योगिकी	71-3275-800-0101-7822-यूनीफाईड डेटा बेस परियोजना	10.00
39	जल संसाधन	75-4700-09-800-0311-5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	45.00
40		75-4700-10-800-0311-5516- वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	18.00
41		75-4700-10-800-0313-5516- वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	37.00
42		75-4700-11-800-0311-5516- वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	40.00
43		75-4700-11-800-0313-5516- वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)	60.00
44	चिकित्सा शिक्षा	79-2210-01-110-0701-7637-राज्य कैंसर संस्थान	10.00
45	शहरी प्रशासन एवं विकास	81-2217-05-191-0101-7329-विशिष्ट प्रयोजनार्थ	12.50
46		81-4215-01-101-0101-7845-नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजना	45.00
47		81-6217-60-191-0101-7329- विशिष्ट प्रयोजनार्थ	46.00
48	महिला एवं बाल विकास विभाग	82-2236-02-101-0102-8891-फुलवारी योजना	10.00
49	वित्त	CH1-2049-01-101-2199-नया बाजार ऋण	150.00
50		CH1-2049-01-200-3089-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और केश बैलेन्स की कमी की पूर्ति हेतु लिये गये अग्रिमों पर ब्याज	10.80
51		CH1-2049-60-701-4198- शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज	53.00
52		CH2-6003-110-637-उपाय तथा साधन अग्रिम	660.00
53		CH2-6003-110-779-कमियों की पूर्ति के लिए अग्रिम	264.51
योग			2,576.02

(स्रोत: विनियोग लेखे 2017-18)

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: कडिका-2.2.4.7 (अ) पृष्ठ 35)

प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ या उससे अधिक अनुपूरक प्रावधान, जो अनुदान के अंतर्गत अनवाश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मांग संख्या	विवरण	वास्तविक प्रावधान	वास्तविक व्यय	वास्तविक प्रावधान के साथ बचत	अनुपूरक प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7
अ- राजस्व दत्तमत						
1	1	सामान्य प्रशासन	191.82	164.79	27.03	9.97
2	3	पुलिस	3646.86	3204.94	441.92	367.59
3	4	अन्य गृह विभाग	33.41	29.28	4.13	10.04
4	6	वित्त विभाग	5344.41	4018.76	1325.65	5.21
5	7	वाणिज्यिक ऋण विभाग	407.39	308.85	98.54	12.04
6	8	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	976.74	824.09	152.65	50.35
7	12	ऊर्जा विभाग	1385.85	1335.41	50.44	241.63
8	14	पशुपालन विभाग	433.28	360.30	72.98	1.60
9	15	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अंतर्गत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय सहायता	535.33	519.40	15.93	36.89
10	19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1776.52	1667.48	109.04	109.14
11	21	आवास और पर्यावरण विभाग	130.10	59.02	71.08	4.78
12	26	सांस्कृतिक विभाग	40.96	34.36	6.60	5.57
13	27	विद्यालय शिक्षा	2878.85	2636.54	242.31	15.56
14	28	राज्य विधायिका	62.13	38.67	23.46	3.25
15	34	सामाजिक कल्याण	85.59	77.62	7.97	9.04
16	37	पर्यटन	32.72	19.11	13.61	1.52
17	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1787.37	1405.43	381.94	82.64
18	41	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना	11563.95	10777.54	786.41	1642.71
19	47	तकनीकी शिक्षा और मानव-शक्ति योजना विभाग	378.23	295.73	82.50	7.29
20	55	महिला एवं बाल विकास	914.17	668.98	245.19	106.00
21	66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	226.75	176.29	50.46	7.20

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: कंडिका-2.2.8 (अ) पृष्ठ 35)

उप-बीर्षों के अंतर्गत अनावष्यक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग	लेखा शीर्ष	मुल प्रावधान	मुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	वचत
1	2	3	4	5	6	7
1	गृह	03-2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	1806.68	1664.16	142.52	123.00
2	गृह	04-2013-800-9261-अन्य व्यय	2.10	1.64	0.46	1.19
3	वाणिज्यिक कर	07-2039-001-122-अधिक्षण	32.83	31.21	1.62	1.30
4	वाणिज्यिक कर	07-2040-001-3569-मुख्यालय स्थापना व्यय	15.99	14.88	1.11	3.69
5	पशुपालन	14-2403-101-0701-5620-पशुरोग नियंत्रण	12.10	9.87	2.23	1.00
6	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19-2210-01-001-2283-निदेशन और प्रशासन (राजीव गांधी मिशन) (मूलभूत सेवायें)	37.26	22.59	14.67	4.00
7	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19-2210-01-196-0101-1473-जिला चिकित्सालय	156.43	132.38	24.05	37.61
8	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19-4210-01-196-0101-1473- जिला चिकित्सालय	21.00	12.96	8.04	6.00
9	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं	20-4215-01-102-0701-7353-राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	80.00	55.48	24.52	7.57
10	जल संसाधन	23-4711-01-103-0101-6757-बाढ़ नियंत्रण योजनाएं	20.00	3.59	16.41	1.00
11	लोक निर्माण	24-505-03-101-0101-3775-रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	200.00	83.64	116.36	1.00
12	लोक निर्माण	24-5054-03-101-0101-4151-वृहद पुलों का निर्माण	170.00	165.88	4.12	1.80
13	संस्कृति	26-2205-102-0101-5753-समारोह हेतु अनुदान	15.00	14.89	0.11	5.07
14	विधायी कार्य	28-2011-02-101-4007-विधान सभा	34.87	25.28	9.59	2.90
15	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-2216-03-105-0701-7807-प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	1420.50	1305.70	114.80	400.00
16	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-5054-04-337-0311-8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	38.00	32.82	5.18	25.00
17	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	41-2202-02-109-1002-5480 आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (अनुच्छेद 275(1))	42.89	19.40	23.49	1.70
18	चिकित्सा शिक्षा	41-2210-01-110-0102-8940-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय सरगुजा	20.31	19.84	0.47	521
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	41-2210-01-196-0102-1473-जिला चिकित्सालय	66.34	52.67	13.67	24.17
20	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	41-4210-01-196-0102-1473- जिला चिकित्सालय	38.08	10.39	27.69	1.00
21	सार्वजनिक स्वास्थ्य यांत्रिकी	41-4215-01-102-0702-7353- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	60.80	49.99	10.81	17.47
22	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	41-4225-02-102-1002-5480- आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार (अनुच्छेद 275(1))	120.00	112.96	7.04	22.11

वर्ष 2017-18 का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राज्य वित्त)

1	2	3	4	5	6	7
23	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	41-5054-04-337-0312-8650- मुख्यमंत्री ग्राम गोरव पथ योजना	28.88	16.39	12.49	19.00
24	लोक निर्माण	42-5053-02-102-0102-4727-हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार	15.60	5.28	10.32	4.50
25	लोक निर्माण	42-5054-03-101-0102-4149- वृहद पुलों का निर्माण	225.00	121.21	103.79	1.00
26	लोक निर्माण	42-5054-04-337-0102-2457-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम	150.00	61.01	88.99	5.00
27	लोक निर्माण	47-2230-02-001-0801-9147-रोजगार कार्यालय	0.50	0.19	0.31	4.16
28	चिकित्सा शिक्षा	64-2210-05-105-0103-6968-चिकित्सा महाविद्यालय, बिलासपुर	43.30	37.50	5.80	1.49
29	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं	64-4215-01-102-0703-7353- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	19.20	7.56	11.64	8.52
30	लोक निर्माण	64-5054-03-101-0103-4149- वृहद पुलों का निर्माण	39.92	25.07	14.85	1.00
31	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	64-5054-04-337-0313-8650- मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना	9.12	3.02	6.10	6.00
32	लोक निर्माण	67-4059-01-051-0101-3855- लोक निर्माण कार्य- भवन	39.00	28.35	10.65	1.00
33	लोक निर्माण	67-4059-01-051-0701-2450- न्याय प्रशासन	21.91	6.73	15.18	2.00
34	लोक निर्माण	67-4202-01-202-0701-1502- जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था- मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए	0.02	0.00	0.02	3.82
35	लोक निर्माण	67-4216-01-106-0701-6222- न्याय प्रशासन के आवासगृह का निर्माण	20.10	4.37	15.73	3.20
36	लोक निर्माण	67-4405-101-0101-3321-मत्स्यालय	0.50	0.00	0.50	1.00
37	शहरी प्रशासन और विकास	69-2217-80-191-0701-7685-स्मार्ट सिटी	200.00	199.50	0.50	4.00
38	चिकित्सा शिक्षा	79-2210-01-110-1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय रायपुर	76.31	66.62	9.69	1.94
39	चिकित्सा शिक्षा	79-2210-01-110-0101-8938- चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय राजनांदगांव	22.67	19.54	3.13	1.87
40	चिकित्सा शिक्षा	79-2210-05-105-0101-1352-चिकित्सा महाविद्यालय, रायपुर	77.96	61.67	16.29	3.18
41	चिकित्सा शिक्षा	79-2210-05-105-0101-6996- चिकित्सा महाविद्यालय, रायगढ़	26.89	21.72	5.17	2.44
42	चिकित्सा शिक्षा	79-2210-05-105-0101-8939- चिकित्सा महाविद्यालय, राजनांदगांव	35.37	21.86	13.51	3.40
योग			5463.43	4549.81	913.62	772.31

(स्रोत: विनियोग लेखे 2017-18)

परिशिष्ट 2.11

(संदर्भ: कंडिका-2.2.8 (ब) पृष्ठ 35)

उप-शीर्षों के अंतर्गत अतिरेक अनुपूरक प्रावधान

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग	लेखा शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता	किया गया अनुपूरक प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7
1	सामान्य प्रशासन	01-2013-105-9064-मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान	27.50	28.22	0.72	8.20
2	गृह	03-2055-115-0600-7918-नक्सल जिलों की सहायता	0.00	40.00	40.00	230.00
3	गृह	03-2070-107-492-आव्हान पर होने वाला व्यय	114.78	123.71	8.93	14.00
4	गृह	03-4055-207-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	24.17	24.25	0.08	5.61
5	गृह	04-3454-01-800-7586-2011 का जनगणना कार्य	0.01	4.71	4.70	8.00
6	वित्त	06-2885-60-190-4843-अधोसंरचना विकास निगम	6.20	10.00	3.80	5.00
7	वित्त	08-2029-800-0510-7860-अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि	53.00	101.00	48.00	50.00
8	ऊर्जा	12-2801-80-101-0101-7620-उपभोक्तकों को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी	89.00	27384	184.84	192.58
9	कृषि	13-2401-102-0101-8972-धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	0.00	1022.68	1022.68	1050.00
10	कृषि	13-2401-119-0701-7874-एन.एम.एस.ए. नेशनल मिशन ऑन एग्रोफॉरेस्ट्री	0.00	2.24	2.24	4.17
11	खनिज संसाधन	15-2853-02-800-0103-6299- ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	53.61	80.59	26.98	36.89
12	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	19-2210-06-101-0701-5026- छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान	12.50	21.25	8.75	10.00
13	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	20-4215-01-102-0311-5403-पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना	41.50	42.95	1.45	5.00
14	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	20-6215-01-101-0101-2182- नगरीय नई जल प्रदाय योजनाएं	37.75	63.95	26.20	29.00
15	आवास और पर्यावरण	21-2217-05-001-2020-नगर और ग्राम निवेश	12.62	14.08	1.46	4.78
16	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-2501-06-102-0701-7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	107.50	116.62	9.12	11.27
17	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	39-2408-01-102-0101-8933- शक्कर वितरण योजना	20.00	38.25	18.25	50.00
18	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	41-2202-01-109-0102-7437- मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	9.86	13.31	3.45	5.25
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	41-2210-06-101-0702-5026- छत्तीसगढ़ राज्य बीमारी सहायता निधि हेतु आर्थिक सहायता/अनुदान	15.20	23.05	7.85	9.00
20	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	41-2216-03-105-0702-7807- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	1079.58	1313.60	234.02	496.00
21	कृषि	41-2401-102-0102-8972- धान उत्पादन पर प्रोत्साहन योजना	0.00	775.82	775.82	798.00

परिशिष्ट 2.12
(संदर्भ: कंडिका-2.2.8 (स) पृष्ठ 35)
उप-शीर्षों के अंतर्गत अपर्याप्त अनुपूरक अनुदान

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग	लेखा शीर्ष	मौखिक प्रावधान	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	अनुपूरक प्रावधान की आवश्यकता	किया गया अनुपूरक प्रावधान
1	लोक निर्माण	07-2030-02-101-2456-न्यायिकेतर स्टाम्प की लागत	5.00	14.75	9.75	7.00	2.75
2	कृषि	13-2402-.101-8351-विस्तृत मृदा सर्वेक्षण	3.93	6.50	2.57	1.00	1.57
3	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-2215-02-107-0701-7610-स्वच्छ भारत अभियान	500.00	624.23	124.23	81.36	42.87
4	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	30-2505-60-196-0701-6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	600.00	780.07	180.07	42.50	137.57
5	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	39-2408-01-101-0701-7872-पी. डी.एस. डीलर का मार्जिन	0.00	42.03	42.03	29.35	12.68
6	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	41-2505-60-196-0702-6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	456.00	645.49	189.49	32.30	157.19
7	वाणिज्यक और उद्योग	41-2852-80-102-0102-9068-औद्योगिक इकाइयों को लागत पूंजी अनुदान	12.00	16.00	4.00	2.00	2.00
8	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	64-2225-01-102-0703-7629-अनुसूचित जाति के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	5.97	12.62	6.65	3.67	2.98
9	पंचायत तथा ग्रामीण विकास	64-2505-60-196-0703-6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना	144.00	165.26	21.26	10.20	11.06
योग			1726.90	2306.95	580.05	209.38	370.67

(स्रोत: विनियोग लेखे 2017-18)

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: कडिका-2.2.9: पृष्ठ 36)

अत्याधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त निधियों का पुर्नविनियोजन
(जहाँ आधिक्य/बचत ₹ 10 करोड़ या अधिक हो)

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	विभाग	योजना का नाम	कुल प्रावधान	पुर्नविनियोजन	व्यय	अंतिम आधिक्य(+)/ बचत(-)
1.	गृह	03-2055-104-4492-सामान्य व्यय (विशेष पुलिस)	1171.62	-174.17	983.04	-14.41
2.		03-2055-109-4491-सामान्य व्यय (जिला स्थापना)	1930.28	-254.96	1664.16	-11.16
3.	वित्त	06-2071-01-101-2413-निवृत्ति वेतन भोगियों को देय	3450.00	-40.00	2190.18	-1219.82
4.	राजस्व	08-2029-103-1472-जिला खर्च	249.99	-37.98	223.27	-11.26
5.		08-4059-80-051-0510-7860-अधोसंरचना एवं पर्यावरण निधि	210.00	-25.84	156.11	-28.05
6.	लोक निर्माण	24-3054-01-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत- साधारण मरम्मत	31.90	-10.00	9.93	-11.97
7.		24-5054-03-101-0101-3775-रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण	201.00	-10.00	83.64	-107.36
8.		24-5054-04-337-0101-1513-जिले की मुख्य सड़कों का निर्माण	425.00	-17.00	310.31	-97.69
9.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	30-2515-102-0101-1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	74.20	-13.78	48.47	-11.95
10.		30-5054-04-337-0311-7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	19500	-9.15	136.76	-49.09
11.	अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास	41-2202-01-101-0102-495-आश्रम और शालाएं	244.10	-42.27	191.25	-10.58
12.		41-4202-01-202-0102-1400-विवेकानंद गुरुकुल उन्नयन योजना	96.00	-20.19	88.52	12.71
13.		41-5054-04-337-0312-7475- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना	70.00	-18.08	33.93	-17.99
14.	लोक निर्माण	64-5054-04-337-0103-9002-अनुसूचित जाति बहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	250.00	-45.00	105.28	-99.72
15.		67-4059-01-051-0101-8040-जेल भवनों का निर्माण	41.74	-2.00	8.79	-30.95
16.		67-4202-03-102-0101-5908- खेल प्रशिक्षण भवन का निर्माण	15.25	-1.00	4.07	-10.18
17.		67-4210-03-105-0101-4220-शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय	76.27	-8.00	34.10	-34.17
18.		68-4210-03-105-0102-4220- शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय	50.00	-2.00	29.71	-18.29
19.	शहरी प्रशासन एवं विकास	69-2217-80-191-0701-6808-लघु एवं मध्यम नगरों की अधोसंरचना विकास	1.00	-1.00	18.30	18.30
20.		69-2217-80-191-0701-7610-स्वच्छ भारत अभियान	120.00	-20.61	85.75	-13.64
21.	खनिज संसाधनों	80-2853-02-800-0101-6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	170.77	-74.83	136.02	40.08
योग			9074.12	-827.86	6541.59	-1704.67

(स्रोत: विनियोग लेखे 2017-18)

परिशिष्ट 2.14
(संदर्भ: कंडिका-2.2.10: पृष्ठ 36)
वास्तविक बचत से अधिक समर्पण

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	अनुदान संख्या	विवरण	बचत	अधिक्य	समर्पण	अधिक्य राशि का समर्पण
अ-राजस्व मत						
1	7	वाणिज्यिक कर विभाग	110.57	0	119.36	8.79
2	8	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	203.01	0	212.39	9.38
3	12	ऊर्जा विभाग	292.07	0	294.57	2.5
4	14	पशुपालन विभाग	74.58	0	75.66	1.07
5	15	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	52.81	0	63.66	10.85
6	23	जल संसाधन विभाग	50.25	0	51.01	0.76
7	27	विद्यालय शिक्षा	257.88	0	263.79	5.92
8	33	आदिवासी कल्याण	316.32	0	317.5	1.19
9	44	उच्च शिक्षा	114.6	0	124.59	9.99
10	49	अनुसूचित जाति कल्याण	0	0.53	1.47	1.47
11	50	20 सूत्रीय क्रियान्वयन विभाग	0	0.75	0.50	0.50
12	58	प्राकृतिक आपदाओं और कमी का राहत खाता	225.79	0	261.56	35.77
13	80	तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय सहायता	313.37	0	356.36	42.99
14	82	आदिवासी क्षेत्र उप योजना के तहत तीन स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	321.79	0	323.10	1.31
योग-अ			2333.04	1.28	2465.52	132.49
ब-पूँजीगत दत्तमत						
15	3	पुलिस	16.66	0	18.07	1.41
16	23	जल संसाधन विभाग	119.15	0	120.15	1.00
17	66	पिछड़े वर्गों का कल्याण	9.10	0	57.40	48.29
योग - ब			144.91	0	195.62	50.7
स- राजस्व भारित						
18	23	जल संसाधन विभाग	0.16	0	0.67	0.51
योग-स			0.16	0	0.67	0.51
महायोग अ+ब+स			2478.11	1.28	2661.81	183.70

(स्रोत: विनियोग लेखे 2017-18)

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: कंडिका-2.2.11, पृष्ठ 36)

एक करोड़ एवं उससे अधिक का बचत को समर्पण नहीं किये गये

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मांग संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल प्रावधान	बचत	समर्पण	राशि जो समर्पित नहीं हुई
अ- राजस्व दत्तमत						
1	2	अन्य गृह सामान्य अनुभाग	28.96	10.26	8.43	1.83
2	3	पुलिस	4014.45	809.52	783.35	26.17
3	4	अन्य गृह विभाग	43.45	14.17	2.39	11.79
4	6	वित्त विभाग	5349.62	1330.86	56.26	1274.60
5	10	वन	1002.94	164.60	140.75	23.85
6	28	राज्य विधान	65.38	26.71	0.76	25.95
7	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	3861.04	532.91	475.18	57.72
8	36	परिवहन	69.33	34.67	32.06	2.61
9	47	तकनीकी शिक्षा और मैन पॉवर प्लानिंग विभाग	385.52	89.79	46.46	43.33
10	64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक	4503.55	733.50	684.81	48.69
11	67	लोक निर्माण भवन	619.68	158.72	0.27	158.45
12	71	सूचना प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी	103.53	41.76	36.93	4.83
13	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	591.72	160.36	108.50	51.86
योग-अ			20639.17	4107.83	2376.15	1731.68
ब - पूंजीगत दत्तमत						
14	1	सामान्य प्रशासनिक	106.66	18.43	0.16	18.27
15	8	भू-राजस्व और जिला प्रशासन	349.05	111.23	78.31	32.92
16	20	सार्वजनिक स्वास्थ्य यात्रिकी	298.50	78.31	76.67	1.64
17	29	न्याय एवं चुनाव प्रशासन	37.59	25.54	24.02	152
18	30	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	789.17	258.53	198.84	59.69
19	36	परिवहन	42.33	37.80	27.80	10.00
20	39	खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण	7.24	4.58	1.34	3.24
21	41	आदिवासी क्षेत्र उप योजना	3051.89	1088.35	962.95	125.40
22	47	तकनीकी शिक्षा और मैन पॉवर प्लानिंग विभाग	39.13	23.98	14.27	9.72
23	64	अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना	1179.32	485.10	319.34	165.76
24	67	लोक निर्माण भवन	598.45	263.46	4.67	258.79
25	68	जनजातीय क्षेत्र उप योजना निर्माण से संबंधित सार्वजनिक कार्य	257.14	141.51	0.47	141.05
26	79	चिकित्सा शिक्षा विभाग	234.14	27.23	24.23	3.00
योग-ब			6990.61	2564.05	1733.07	831.00
स - राजस्व वसूली						
27	10	वन	26.75	6.88	0.24	6.64
योग-स			26.75	6.88	0.24	6.64
कुल योग = अ+ब +स			27656.53	6678.76	4109.46	2569.32

(स्रोत: विनियोग लेखे 2017-18)

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: कंडिका-2.2.12, पृष्ठ 36)

वर्ष 2017-18 के दौरान व्यय की अतिवेग

(₹ करोड़ में)

स. क्र.	मुख्य शीर्ष	मुख्य शीर्ष का वर्णन	कुल व्यय	अंतिम तिमाही का व्यय	अंतिम तिमाही में व्यय का प्रतिशत	अंतिम माह का व्यय	अंतिम माह का प्रतिशत व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2030	स्टाम्प और पंजीकरण	121.47	96.44	79.39	5.83	4.80
2	2204	खेल और युवा कल्याण	54.41	27.76	51.02	18.16	33.38
3	2225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण	176.13	96.02	54.52	60.29	34.23
4	2250	नहरें तथा तालाब	9.21	9.00	97.72	2.62	28.45
5	2425	सहकारिता	159.20	122.91	77.20	51.48	32.34
6	2810	नवीन एवं अक्षय ऊर्जा	49.72	28.12	56.56	16.84	33.87
7	2885	उद्योग और खनिजों पर अन्य परिव्यय	10.00	5.00	50.00	0.00	0.00
8	3275	अन्य दूरसंचार सेवाएं	62.18	32.22	51.82	31.02	49.89
9	3451	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	53.35	27.31	51.19	15.19	28.47
10	3452	पर्यटन	19.11	12.79	66.93	3.20	16.75
11	3604	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थानों को क्षतिपूर्ति और समनुदेशन	1364.66	801.45	58.73	508.25	37.24
12	4055	पुलिस, पूंजीगत परिव्यय	46.16	30.48	66.03	15.06	32.63
13	4059	लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	384.37	264.73	68.87	206.03	53.60
14	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	27.44	26.41	96.25	26.15	95.30
15	4210	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	401.20	231.30	57.65	71.83	17.90
16	4216	आवास पर पूंजी परिव्यय	23.81	12.28	51.57	3.81	16.00
17	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों का कल्याण पर पूंजीगत व्यय	387.41	309.56	79.91	191.75	49.50
18	4235	समाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	60.67	38.69	63.77	29.64	48.85
19	4401	कृषि कार्य पर पूंजी परिव्यय	3.25	3.15	96.92	2.24	68.92
20	4402	भूमि और जल संरक्षण पर पूंजी परिव्यय	19.92	10.12	50.80	2.31	11.60
21	4403	पशु पालन पर पूंजी परिव्यय	12.72	6.52	51.26	6.29	49.45
22	4406	वनिकी और अन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	20.06	16.19	80.71	9.88	49.25
23	4415	कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय	16.58	15.73	94.87	15.73	94.87
24	4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	11.02	9.52	86.39	7.96	72.23
25	4801	विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	277.24	224.12	80.84	224.09	80.83
26	4810	ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों पर पूंजी परिव्यय	773.32	541.01	69.96	402.46	52.04
27	5053	नगर विमानन पर पूंजी परिव्यय	24.43	14.44	59.11	14.59	59.72
28	5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	1.78	1.78	100.00	1.78	100.00
योग			4574.82	3020.05	66.01	1951.48	42.66

(स्रोत: विनियोग लेखे 2017-18)

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: कंडिका 3.1; पृष्ठ 41)

बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों की मुख्य शीर्ष वार स्थिति

(₹ लाख में)

कं. स.	विभाग का नाम	2015-16 तक		वर्ष 2016-17		वर्ष 2017-18	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	शहरी प्रशासन	15	1,984.76	01	918.00	26	51,886.22
2	स्थानीय निकास से क्षतिपूर्ति एवं समनु दर्शन	52	7,173.34	04	885.32	00	00
3	सामान्य शिक्षा	01	0.71	00	0	00	00
4	आवास	01	0.19	00	0	00	00
योग		69	9,159	05	1,803.32	26	51,886.22

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: कंडिका 3.2; पृष्ठ 43)

31 जनवरी 2019 तक की लंबित वि.आ. देयकों का वितरण

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	विभाग का नाम	लंबित वि.आ. देयक	राशि
2029	भू-राजस्व	1	1.38
2045	अन्य कर एवं वस्तुओं तथा सेवाओं पर शुल्क	1	0.18
2202	सामान्य शिक्षा	1	0.62
2230	श्रम एवं रोजगार	10	1.34
2235	समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	22	35.01
2425	सहकारिता	6	11,400.00
2701	मध्यम सिंचाई	1	0.04
2851	ग्राम एवं लघु उद्योग	2	73.13
2852	उद्योग	3	3.14
योग		47	11,514.84

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: कंडिका 3.4; पृष्ठ 44)

31 दिसम्बर 2018 तक राज्य शासन के द्वारा बकाया लेखे वाले सा.क्षे. उपक्रमों में निवेश

क्र. स.	सा.क्षे. उपक्रमों का नाम	प्रदत्त पूँजी	वर्ष जिसमें लेखे पूर्ण हुए	लंबित लेखे की अवधि	वर्ष के दौरान बकाया लेखे में राज्य शासन द्वारा अनुदान तथा प्रतिभूतियां (₹ करोड़ में)			
					पूँजीगत अनुदान	अन्य	प्रतिभूति	योग
1	छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड	0.50	2016-17	2017-18	—	46.02	—	46.02
2	छत्तीसगढ़ निःशक्त जन वित्त एवं विकास निगम	5.00	2016-17	2017-18	—	0.54	36.00	36.54
3	रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.10	2016-17	2017-18	—	188.00	—	188.00
4	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	2263.10	2016-17	2017-18	1,338.04	1,573.25	2,455.00	5,366.29
5	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड	6086.05	2016-17	2017-18	—	—	429.30	429.30
6	छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	4.43	2016-17	2017-18	320.29	2,706.00	—	3,026.29
7	छत्तीसगढ़ राज्य स्वास्थ्य सेवा निगम लिमिटेड	3.45	2016-17	2017-18	4.01	—	—	4.01
8	छत्तीसगढ़ राज्य अद्योसंरचना विकास निगम लिमिटेड	4.20	2014-15	2015-16 से 2016-17	—	7.80	—	7.80
				2017-18	10.00	10.00	—	20.00
9	छत्तीसगढ़ राज्य उद्योग विकास निगम लिमिटेड	1.60	2013-14	2014-15 से 2016-17	—	116.89	—	116.89
				2017-18	8.74	195.14	—	203.88
10	बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	0.10	प्रथम लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया	2016-17 से 2017-18	16.00	2.00	—	18.00
योग					1,697.08	4,845.64	2,920.30	9,463.02

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 45)

चोरी, गबन एवं शासकीय सम्पत्ति/सामग्री के कमी के कारण शासन को हानियों के प्रकरणों के संदर्भ में विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

स. क्र.	विभाग/ईकाई का नाम	चोरी के प्रकरण		गबन प्रकरण		सरकारी भंडार/सामग्री की हानि		योग	
		प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि	प्रकरण संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	उच्च शिक्षा	14	12.93	2	0.62	1	0.0	17	13.55
2	कला एवं संस्कृति	1	0.81	0	0.00	1	0.0	2	0.81
3	जिला प्रशासन	1	0.67	5	0.81	1	3.00	7	4.48
4	लेखा एवं कोषालय प्रशासन	3	0.2	1	7.26	3	11.81	7	19.27
5	तकनीकी शिक्षा	6	2.3	0	0.00	7	50.31	13	52.61
6	ग्रामीण विकास	4	1.08	3	0.2	13	16.66	20	17.94
7	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल	0	0.00	0	0.00	1	0.57	1	0.57
8	महिला एवं बाल कल्याण	1	3.50	0	0.00	2	0.32	3	3.82
9	शिक्षा	21	12.94	18	156.11	19	67.09	58	236.14
10	पुलिस	34	6.56	5	19.45	129	15.76	168	41.77
11	जिला स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण	4	0.29	2	0.31	7	0.86	13	1.46
12	तहसील	2	0.5	11	1.87	2	0.18	15	2.55
13	राज्य उत्पाद	0	0.00	1	2.37	0	0.00	1	2.37
14	पशुपालन	8	1.8	1	0.1	155	12.65	164	14.55
15	पुलिस सेवा आयोग	0	0.00	0	0.00	1	3.16	1	3.16
16	सहकारिता	0	0.00	1	96.26	0	0.00	1	96.26
17	पंचायत एवं समाज कल्याण	0	0.00	0	0.00	2	1.00	2	1.00
18	डेयरी विकास	1	0.2	1	0.02	0	0.00	2	0.22
19	रेशम पालन	0	0.00	0	0.00	1	0.00	1	0.00
20	जिला एवं सत्र न्यायालय	5	0.28	2	8.83	0	0.00	7	9.11
21	श्रम एवं रोजगार	9	3.01	0	0.00	3	0.63	12	3.64
22	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	0	0.00	1	0.08	3	0.15	4	0.23
23	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	3	1.14	4	20.48	8	1.24	15	22.86
24	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें	7	2.18	9	33.98	4	9.91	20	46.07
25	फसल पैदावार/कृषि कर्म	1	0.24	1	2.98	5	0.55	7	3.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	वन	1	0.08	0	0.00	914	870.26	915	870.34
27	लोक निर्माण विभाग	2	0.24	0	0.00	468	10,316.51	470	10,316.75
28	जल संसाधन विभाग	7	3.67	0	0.00	14	550.01	21	553.68
29	वित्त एवं सांख्यिकी निदेशालय	1	0.05	0	0.00	0	0.00	1	0.05
30	कलेक्ट्रेट	0	0.00	1	0.08	1	0.30	2	0.38
31	शहरी विकास	0	0.00	1	0.15	0	0.00	1	0.15
32	जल एवं सफाई विभाग	0	0.00	1	189.9	0	0.00	1	189.9
योग		136	54.67	71	541.86	1,765	11,932.93	1,972	12,529.46

परिशिष्ट-3.5

(संदर्भ: कंडिका 3.5; पृष्ठ 45)

31 मार्च 2018 की स्थिति में अंतिम कार्यवाही हेतु लंबित प्रकरण

स. क्र.	विभाग/इकाई का नाम	प्रकरण संख्या एवं राशि						योग
		पाँच वर्ष तक	05 से 10 वर्ष तक	10 से 15 वर्ष तक	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष से उपर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	उच्च शिक्षा	6 (1.80)	4 (7.23)	3 (3.78)	1 (0.13)	2 (0.11)	1 (0.50)	17 (13.55)
2	कला एवं संस्कृति	1 (0.00)	—	—	—	—	1 (0.81)	2 (0.81)
3	जिला प्रशासन	—	—	3 (1.08)	1 (0.16)	—	3 (3.24)	7 (4.48)
4	लेखा एवं कोषालय प्रशासन	—	—	3 (7.34)	—	1 (11.77)	3 (0.16)	7 (19.27)
5	तकनीकी शिक्षा	2 (0.15)	5 (48.80)	5 (3.41)	—	—	1 (0.25)	13 (52.61)
6	ग्रामीण विकास	1 (0.17)	1 (0.50)	2 (0.71)	4 (2.28)	4 (12.32)	8 (1.96)	20 (17.94)
7	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल	1 (0.57)	—	—	—	—	—	1 (0.57)
8	महिला एवं बाल कल्याण	—	—	—	—	2 (3.50)	1 (0.32)	3 (3.82)
9	शिक्षा	9 (148.13)	2 (33.83)	6 (11.45)	3 (17.76)	2 (0.07)	36 (24.90)	58 (236.14)
10	पुलिस	93 (5.88)	44 (6.30)	16 (1.45)	9 (11.81)	4 (13.98)	2 (2.35)	168 (41.77)
11	जिला स्वास्थ्य एवं बाल कल्याण	—	—	—	—	—	13 (1.46)	13 (1.46)
12	तहसील	—	—	3 (0.98)	—	—	12 (1.57)	15 (2.55)
13	राज्य उत्पाद	—	—	1 (2.37)	—	—	—	1 (2.37)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	पशुपालन	63 (6.00)	53 (3.77)	43 (4.09)	—	—	5 (0.69)	164 (14.55)
15	पुलिस सेवा आयोग	—	—	—	—	1 (3.16)	—	1 (3.16)
16	सहकारिता	—	—	—	—	1 (96.26)	—	1 (96.26)
17	पंचायत एवं समाज कल्याण	1 (1.00)	1 (0.00)	—	—	—	—	2 (1.00)
18	डेयरी विकास	—	—	—	1 (0.20)	—	1 (0.02)	2 (0.22)
19	रोशम पालन	1 (0.00)	—	—	—	—	—	1 (0.00)
20	जिला एवं सत्र न्यायालय	2 (0.17)	3 (1.04)	—	2 (7.90)	—	—	7 (9.11)
21	श्रम एवं रोजगार	—	2 (0.50)	—	5 (2.72)	1 (0.05)	4 (0.37)	12 (3.64)
22	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	—	—	1 (0.10)	—	—	3 (0.13)	4 (0.23)
23	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	1 (0.17)	1 (0.00)	1 (19.58)	—	3 (0.48)	9 (2.63)	15 (22.86)
24	स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवायें	1 (0.00)	1 (9.84)	1 (0.06)	6 (33.02)	—	11 (3.15)	20 (46.07)
25	फसल पैदावार/ कृषि कर्म	—	3 (0.16)	3 (0.63)	1 (2.98)	—	—	7 (3.77)
26	वन	12 (48.11)	15 (7.24)	105 (153.08)	170 (377.08)	220 (159.43)	393 (125.40)	915 (870.34)
27	लोक निर्माण विभाग	107 (4,376.51)	259 (4,808.04)	94 (549.58)	10 (582.62)	—	—	470 (10,316.75)
28	जल संसाधन विभाग	8 (364.54)	8 (183.01)	5 (6.13)	—	—	—	21 (553.68)
29	वित्त एवं सांख्यिकी निदेशालय	—	1 (0.05)	—	—	—	—	1 (0.05)
30	क्लेक्ट्रेट	—	—	—	—	—	2 (0.38)	2 (0.38)
31	शहरी विकास	—	—	—	—	—	1 (0.15)	1 (0.15)
32	जल एवं सफाई विभाग	—	—	—	—	—	1 (189.90)	1 (189.90)
	योग	309 (4,953.20)	403 (5,110.31)	295 (765.82)	213 (1,038.66)	241 (301.13)	512 (360.34)	1,972 (12,529.46)

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ: कंडिका 3.5: पृष्ठ 46)

वर्ष 2017-18 के दौरान सूचित किये गये हानि प्रकरणों में वसूली

(राशि ₹ में)

स.क्र.	प्र. क्र.	मुख्य शीर्ष	विभागों के नाम	हानि का प्रकार	वर्ष	हानि राशि	वसूली राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	410	2406	वन	हानि	1984-85	44,967	18,847
2	179	2406	वन	हानि	1996-97	13,500	13500
3	253	2406	वन	हानि	2005-06	79,497	79,497
4	567	2406	वन	हानि	1996-97	12,371	12,371
5	313	2406	वन	हानि	1997-98	5,000	5,000
6	188	2406	वन	हानि	2016-17	3,962	3,962
7	63	2406	वन	हानि	2016-17	19,826	19,826
8	186	2406	वन	हानि	2019-17	1,468	1,468
9	155	2406	वन	हानि	1999-00	3,00,089	2,36,721
10	22	2406	वन	हानि	1996-97	34,783	34,783
11	26	2406	वन	हानि	2016-17	9,965	9,965
12	27	2406	वन	हानि	1995-96	23,985	23,985
13	59	2406	वन	हानि	2013-14	9,841	9,841
14	29	2406	वन	हानि	2016-17	4,007	4,007
15	31	2406	वन	हानि	1996-97	7,424	7,424
16	32	2406	वन	हानि	1992-93	13,907	13,907
17	33	2406	वन	हानि	2015-16	2,10,265	2,10,265
18	190	2406	वन	हानि	2019-17	12,360	12,360
19	189	2406	वन	हानि	2015-16	9,738	9,738
20	57	2406	वन	हानि	2013-14	8,011	8,011
21	42	2406	वन	हानि	1998-99	43,035	43,035
22	43	2406	वन	हानि	1994-95	17,241	17,241
23	44	2406	वन	हानि	2002-03	9,424	9,424
24	47	2406	वन	हानि	1991-94	1,473	1,473
25	61	2406	वन	हानि	2014-15	65,794	65,794
26	187	2406	वन	हानि	2017-18	25,164	25,164
27	65	2406	वन	हानि	2016-17	8,668	8,668
28	543	2055	पुलिस	हानि	2016-17	9,540	9,540
29	542	2055	पुलिस	हानि	2017-18	795	795
30	541	2055	पुलिस	हानि	2017-18	2,740	2,740
31	540	2055	पुलिस	हानि	2017-18	2,134	2,134
32	545	2055	पुलिस	हानि	2016-17	250	250
33	19	2055	पुलिस	हानि	1994-95	5,900	5,900
34	30	2055	पुलिस	हानि	2012-13	1,798	1,798
35	21	2055	पुलिस	हानि	2012-13	2,796	2,796
36	74	2055	पुलिस	हानि	2002-03	723	723
37	482	2055	पुलिस	हानि	2014-15	3,310	3,310
38	113	2055	पुलिस	हानि	2005-06	9,864	9,864
39	40	2055	पुलिस	हानि	2015-16	7,790	7,790
40	41	2055	पुलिस	हानि	2017-18	810	810

1	2	3	4	5	6	7	8
41	57	2055	पुलिस	हानि	200-02	18,350	18,350
42	04	2039	आबकारी	हानि	2003-04	2,37,198	2,37,198
43	22	2501	अनुसूचित जनजाति कल्याण	हानि	2014-15	4,160	4,160
44	19	2217	यू.ए.डी.	हानि	2012-13	14,445	14,445
45	11	2701	कृषि	हानि	2016-17	19,000	19,000
46	113	2055	पुलिस	हानि	2006-07	17,620	17,620
47	11	2070	राजस्व	हानि	1996-97	4,645	4,645
योग						13,59,633	12,89,145

परिशिष्ट-3.7

(संदर्भ: कंडिका 3.6.1: पृष्ठ 46)

व्यक्तिगत जमाखतों में भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि

स.क्र.	कोषालय का नाम	भूमि अधिग्रहण से संबंधित राशि (₹ करोड़ में)
1	अंबिकापुर	58.86
2	बिलासपुर	225.45
3	जगदलपुर	61.23
4	दुर्ग	6.22
5	कोरबा	47.46
6	जशपुर	11.68
7	कांकेर	12.43
8	जाँजगीर-चांम्पा	196.07
9	कोरिया	2.58
10	रायगढ़	336.87
11	राजनांदगाँव	41.54
12	धमतरी	8.23
13	महासमुंद	49.37
14	कबीरधाम	8.56
15	सुरजपुर	0.07
16	दत्तेवाड़ा	6.34
17	बेमेतरा	3.49
18	रायपुर	259.97
19	कोण्डागाँव	7.24
20	बलरामपुर	48.98
21	मुंगेली	35.89
22	सुकमा	0.43
23	बालोद	1.98
24	बलौदा बाजार	5.90
25	बीजापुर	0.18
26	गरियाबंद	22.11
योग		1,459.13

परिशिष्ट-3.8

(संदर्भ: कंडिका 3.6.3: पृष्ठ 48)

मार्च 2018 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में हस्तांतरित राशि का विवरण

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	प्रशासक	मुख्य शीर्ष	राशि
1	कलेक्टर- राजस्व अभिलेख, महासमुंद	2029	0.25
2	अधीक्षक- केन्द्रीय कारागार, बिलासपुर	2056	0.47
3	सह-निदेशक, पंचायत कल्याण, बिलासपुर	2235	0.10
4	कलेक्टर, राजस्व अभिलेख, धमतरी	2029	0.30
5	उप. जिला निर्वाचन अधिकारी, धमतरी	2015	0.02
6	तहसीलदार, सीतापुर, अम्बिकापुर	2053	0.72
7	निदेशक, पुरातत्व एवं अभिलेखागार, रायपुर	2205	0.12
योग			1.98

परिशिष्ट-3.9

(संदर्भ: कंडिका 3.7, पृष्ठ 49)

पूँजीगत के अंतर्गत बजट राजस्व प्रकृति के व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	नामावली	प्रयोग्य शीर्ष	नामावली	राशि
1	4059	लोक निर्माण पर पूँजीगत लागत	45	पूँजीगत सम्पत्ति सृजन हेतु अनुदान	21.60
2	4202	शिक्षा, स्वास्थ्य, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत लागत	45		25.47
3	4210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत लागत	45		9.60
4	4217	शहरी विकास पर पूँजीगत लागत	45		442.71
5	4225	अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग पर पूँजीगत लागत	45		248.01
6	4403	पशुपालन पर पूँजीगत लागत	45		0.25
7	4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम पर पूँजीगत लागत	45		557.96
8	4801	विद्युत परियोजना पर पूँजीगत लागत	45		274.09
9	4810	नव एवं अक्षय उर्जा पर पूँजीगत लागत	45		773.32
10	4851	ग्राम एवं लघु उद्योग पर पूँजीगत लागत	45		0.60
11	5275	अन्य संचार सेवाओं पर पूँजीगत लागत	45		1.78
12	5452	पर्यटन पर पूँजीगत लागत	45		4.00
13	4059	पूँजीगत कार्यों पर पूँजीगत लागत	04	कार्यालय व्यय	0.10
14	4801	विद्युत परियोजना पर पूँजीगत लागत	04		0.03
15	4853	अलौह खनन एवं धातुकर्म पूँजीगत लागत	04	कार्यालय व्यय	0.05
16	4853	अलौह खनन एवं धातुकर्म पूँजीगत लागत	10	व्यवसायिक सेवा	2.50
17	4851	ग्राम एवं लघु उद्योग पूँजीगत लागत	24	अनुरक्षण कार्य	0.47
योग					2,362.54

परिशिष्ट-3.10

(संदर्भ: कंडिका 3.8, पृष्ठ 49)

वर्ष 2017-18 के दौरान लघु शीर्ष 800 अन्य प्राप्ति में दर्ज का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तिओं के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ	लघु शीर्ष 800- अन्य प्राप्तिओं के अंतर्गत कुल प्राप्तियाँ का प्रतिशत
1	0029	भू-राजस्व	446.41	97.90	21.93
2	0039	राज्य उत्पाद	4,054.00	874.31	21.57
3	0043	विद्युत पर कर एवं शुल्क	1,688.95	223.00	13.20
4	0045	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर और शुल्क	10.14	4.22	41.62
5	0055	पुलिस	17.08	13.56	79.39
6	0056	कारागार	6.38	1.35	21.16
7	0058	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	3.43	2.67	77.84
8	0059	लोक निर्माण	54.29	53.27	98.12
9	0070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	39.81	22.02	55.31
10	0071	पेंशन एवं अन्य सेवा निवृत्ति लाभ पर योगदान एवं प्राप्तियाँ	10.33	8.50	82.28
11	0075	विविध सामान्य सेवायें	(-) 0.29 ¹	0.59	-
12	0202	सामान्य शिक्षा	17.15	1.95	11.37
13	0210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	52.56	7.26	13.81
14	0211	परिवार कल्याण	0.06	0.06	100
15	0217	शहरी विकास	31.37	31.38	100.03
16	0220	सूचना एवं प्रचार	0.06	0.06	100
17	0230	श्रम एवं रोजगार	20.61	7.40	35.90
18	0235	समाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	3.46	3.57	103.18
योग			6,456.38	1,353.07	

¹ प्राप्ति से अधिक वापसी होने के कारण ऋणात्मकता है। वर्ष के दौरान वापसी ₹9.69 करोड़ तथा प्राप्ति ₹9.40 करोड़ थी।

परिशिष्ट-3.11

(संदर्भ: कंडिका 3.8: पृष्ठ 49)

वर्ष 2017-18 में लघु शीर्ष "800" के अंतर्गत अन्य व्यय के तहत आरक्षित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष	विवरण	कुल व्यय	लघु शीर्ष 800- अन्य व्ययों के अंतर्गत कुल व्यय	लघु शीर्ष 800- अन्य व्ययों के अंतर्गत कुल व्यय का प्रतिशत
1	2029	भ-राजस्व	577.59	101.00	17.49
2	2075	विविध सामान्य सेवायें	1.03	0.31	30.10
3	2245	प्राकृतिक विपदाओं से राहत	1,040.95	137.35	13.19
4	2250	अन्य सामाजिक सेवायें	9.46	1.57	16.60
5	2810	विद्युत	49.72	16.62	33.43
6	2852	उद्योग	200.08	23.58	11.79
7	2853	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	476.63	281.31	59.02
8	3275	अन्य संचार सेवायें	62.18	62.18	100
9	3454	जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	26.80	4.72	17.61
10	4070	अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत लागत	27.43	27.43	100
11	4405	मछली पालन पर पूँजीगत लागत	9.78	8.68	88.75
12	4700	वृहद सिंचाई पर पूँजीगत लागत	763.76	631.09	82.63
13	4701	मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत लागत	109.21	93.61	85.72
14	4801	विद्युत सिंचाई पर पूँजीगत लागत	277.24	105.00	37.87
15	5055	सड़क यातायात पर पूँजीगत लागत	4.53	4.03	88.96
योग			3,636.39	1,498.48	

परिशिष्ट-3.12
(संदर्भ: कंडिका 3.9.2: पृष्ठ 51)
अस्थाई अग्रिम की स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष	प्रकरणों की संख्या	अग्रिम राशि आहरण
1	2	3	4	5
1	कलेक्टर कार्यालय, रायगढ़	1984 –2017	79	0.76
2	कलेक्टर कार्यालय, बिलासपुर	1999 – 2015	92	1.81
3	कलेक्टर कार्यालय, सुकमा	2014–17	10	1.18
4	कलेक्टर कार्यालय, जशपुर	2005–17	160	28.49
5	कलेक्टर कार्यालय, अम्बिकापुर	1975–17	539	14.48
6	कलेक्टर कार्यालय, सुरजपुर	2012–17	12	0.25
7	जनपद पंचायत, कोण्डागाँव	2012–2017	33	14.86
8	जनपद पंचायत, रायगढ़	2012–17	27	6.61
9	आयुक्त, कार्यालय, नगर पालिक निगम, बस्तर	2016–17	02	1.17
10	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, सरायपाली	2012–17	04	0.50
11	आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर	2016–17	42	14.80
12	ग्राम पंचायत, अम्बागढ़ चौकी, राजनादगाँव	2016–17	04	1.05
13	ग्राम पंचायत, अनथपुर, कोण्डागाँव	2015–17	01	0.73
14	उप निदेशक, कृषि बिलासपुर	2010–17	17	95.51
15	सहायक निदेशक, औद्योगिकी, बलौदाबाजार	2012.17	13	28.24
16	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दुर्ग कोण्डल	2016–18	03	1.21
17	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, नारायणपुर	2010–17	10	6.32
18	ग्राम पंचायत, बछरवार, बिलासपुर	2017–18	03	4.55
19	आयुक्त, नगर पालिक निगम, धमतरी	2013–17	35	12.54
20	आयुक्त, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर	1992–17 (शासकीय कर्मचारी)	44	329.23
		2002–17 (अमृत मिशन पेयजल प्रदाय)	02	195.53
21	नगर परिषद, जामुल, दुर्ग	2007–17	03	4.60
22	रायपुर नगर निगम	2017–18	22	239.11
23	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, खैरागढ़	1982–17	51	11.19
24	आयुक्त, नगर निगम, चिरमिरी	1999–17	14	8.23
25	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सिमगा	2012–17	27	13.30
26	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, पाली	2006–07 एवं 2012–13	27	55.10
27	आयुक्त, नगर पालिक निगम, वीरगाँव	2010–17	16	7.92
28	आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा	2015–16	270	1,083.0
29	आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई, चरौदा	2013–17	9	2.31
30	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला परिषद, दंतेवाड़ा	2011–17	11	1.59
31	जनपद पंचायत, महेन्द्रगढ़ कोरिया	2005–17	21	21.84
32	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, दोण्डी लोहारा	2009–2017	9	4.48
33	कार्यपालन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, अंबिकापुर	2013–2017	9	2.70
34	कार्यपालन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, पश्चिम बस्तर संभाग	2003–2017	23	2.78
35	कार्यपालन अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, खैरागढ़	जब तक 2017	84	1.17
36	उप-निदेशक, कृषि, बेमेतरा	2011–2017	8	33.85
37	कार्यपालन अधिकारी, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग, रायपुर	2014–2017	150	7.52
38	प्राचार्य, व्ही.वाई.टी.पी.पी.जी. कॉलेज, दुर्ग	2014–2017	29	4.01
39	मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, रायगढ़	1996–17	7	0.70
योग				2,265.27

परिशिष्ट -3.13

(संदर्भ: कडिका 3.9.3: पृष्ठ 52)

रोकड़ पुस्तिका का अनियमित संधारण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	लेखापरीक्षित ईकाई का नाम	क्षेत्र	आक्षेप की प्रकृति	राशि
1	जिला योजना एवं सांख्यिकी, सरगुजा	सामान्य क्षेत्र	बही खाता में प्रमाणकों पर निकासी दर्ज न करना	267.71
2	कलेक्टर कार्यालय, बलौदाबाजार		दैनिक लेन-देन दर्ज न करना	0.00
3	ग्राम पंचायत, सिधनपुर केशकाल, जिला-कोणडागाँव	स्थानीय निकाय	1. लेखा बही को दैनिक संधारण न करना। 2. 10,000 से अधिक की राशि नगद में भुगतान। 3. 05/2015 से 03/2017 तक खाता बही में नगद रखना	0.00
4	ग्राम पंचायत, जम्हारी महासमुंद	स्थानीय निकाय	10,000 से अधिक नगद में भुगतान	0.00
5	ग्राम पंचायत, मुग्धा महासमुंद	स्थानीय निकाय	10,000 से अधिक नगद में भुगतान	0.00
6	ग्राम पंचायत, भोलापुर राजनांदगाँव	स्थानीय निकाय	1. 10,000 से अधिक नगद में भुगतान 2. बही खाता को प्रति दिन बंद न करना	0.00
7	सहायक निदेशक औद्योगिकी, रायगढ़	आर्थिक क्षेत्र	1. बही खाते में देयक/प्रमाणक संख्या तथा भुगतान का प्रकार प्रविष्ट न करना। 2. बही खाता को अभिप्रमाणित तथा समय पर बंद न करना। 3. लेखापरीक्षा दल तथा कार्यालय का गणना में अंतर।	5.18
8	सहायक निदेशक, औद्योगिकी बलौदाबाजार	आर्थिक क्षेत्र	1. केश बुक में 3,41,007 की राशि की कमी 2. बी.आर.एस. का संधारण न करना	3.41
9	उप निदेशक, औद्योगिकी रायपुर	आर्थिक क्षेत्र	1. केश बुक के गणना के दौरान अंतर। 2. केश बुक में राशि का विवरण न देना।	35.00 181.48
10	जनपद पंचायत, देवगाँव नारायणपुर (तीन मामले)	स्थानीय निकाय	केशबुक प्रतिदिन बंद तथा अभिप्रमाणित न करना।	0.00
11	जनपद पंचायत लछनपुर, लोरमी	स्थानीय निकाय	सितम्बर 2017 तक केश बुक का संधारण न करना तथा 10,000/- से अधिक नगद में भुगतान करना।	0.00
12	जनपद पंचायत, गौरेला, (पाँच मामले)	स्थानीय निकाय	1. 10,000/- से अधिक की राशि नगद में भुगतान 2. केश बुक प्रतिदिन बंद न करना।	0.00
13	जनपद पंचायत माकरी (05 मामले)	स्थानीय निकाय	1. 10,000/- से अधिक नगद में भुगतान करना। 2. केश बुक प्रतिदिन बंद न करना।	0.00
14	जनपद पंचायत कोणडागाँव (05 मामले)	स्थानीय निकाय	1. 10,000/- से अधिक नगद में भुगतान करना। 2. केश बुक प्रतिदिन बंद न करना।	0.00
15	विकास खंड शिक्षा पदाधिकारी, पेंड्रा, बिलासपुर	सामाजिक क्षेत्र	प्राप्त अनुदान को केशबुक में इंद्राज न करना।	1.46
16	प्राचार्य, डीएसवी, स्नातकोत्तर शासकीय संस्कृत महाविद्यालय, रायपुर	सामाजिक क्षेत्र	केश बुक तथा बैंक पासबुक के योग में अंतर।	1.70
17	उप-निदेशक कृषि, बलरामपुर	आर्थिक क्षेत्र	भू-जांच व्यय को केशबुक में इंद्राज न करना।	26.50
18	उप-निदेशक कृषि, महासमुंद	आर्थिक क्षेत्र	1. टीडीएस को केशबुक में इंद्राज न करना। 2. केशबुक के प्राप्ति में न दिखाया जाना।	0.81 1.54
19	उप-निदेशक कृषि, बालोद	आर्थिक क्षेत्र	टीडीएस को केशबुक में इंद्राज न करना।	0.37
20	उप-निदेशक कृषि, दुर्ग	आर्थिक क्षेत्र	टीडीएस को केशबुक में इंद्राज न करना।	0.12
21	विकास खंड स्वास्थ्य अधिकारी, धमतरी	सामाजिक क्षेत्र	केशबुक के अंतःशेष तथा प्रारंभिक शेष में अनियमितता।	1.00
22	जिला अस्पताल, बैकठपुर, कोरिया	सामाजिक क्षेत्र	केशबुक तथा बैंक पासबुक के मिलान में अंतर।	8.35
23	प्राचार्य, शासकीय दंत महाविद्यालय, रायपुर	सामाजिक क्षेत्र	केशबुक तथा बैंक पासबुक के मिलान में अंतर।	5.21
24	सहायक आयुक्त, जनजाति विभाग बालोद	सामाजिक क्षेत्र	केशबुक तथा बैंक पासबुक के मिलान में अंतर।	357.63
25	जनपद पंचायत, छुरिया	स्थानीय निकाय	1. केश बुक प्रतिदिन बंद न करना। 2. 10,000/- से अधिक की राशि नगद में भुगतान 3. केशबुक को सत्यापित न करना। 4. 20,000 से अधिक नगद में रखना।	0.00
26	शासकीय काव्योपाध्याय हीरालाल महाविद्यालय, अभनपुर, रायपुर	सामाजिक क्षेत्र	केशबुक तथा बैंक पासबुक के मिलान में अंतर।	1.50
योग				898.97

©
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

Email: agauchhattisgarh@cag.gov.in